राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का आठवां दिवस [संख्या ५

बुधवार, दिनांक २ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ६ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्थान केनाल बोर्ड, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सिंचाई, सामुदायिक विकास, भाखरा प्रोजेक्ट, कृषि, सहकारी, पशुपालन तथा वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १३३

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में निर्मित औषधियों की खरीद

१३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मंत्री, आयुर्वेद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सन १९५८-५९ में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में बनाई जाने वाली औषधियों की खरीद के लिए मैनेजर फार्मेसीज़ द्वारा टेन्डर्स मांगे गये थे?

(ख) यदि हां, तो कब कब? किन किन के टेन्डर्स आये और किसके स्वीकार किये गये और किस के द्वारा?

(ग) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा इन टेन्डर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और खरीद के लिए फिर दुबारा टेन्डर आमन्त्रित किये गये? यदि हां, तो रिजेक्ट कब और क्यों किये गये और दुबारा टेन्डर्स कब आमन्त्रित किये गये?

(घ) क्या यह सही है कि इस ही क्रम में मोहम्मद हुसेन बाटलीवाला नामक फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया था?

(ङ) क्या यह सही है कि दुबारा टेन्डर्स आने पर सेफी ट्रेडिंग कम्पनी नामक फर्म के नाम से भी टेन्डर था और उसका टेन्डर

(श्री भैरोंसिंह)

भी कुछ आइटम्स के लिए स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो किस किस क्वालिटी के, किस किस भाव के आइटम्स स्वीकृत हुए ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(च) क्या यह सही है कि यह फर्म इन औषधियों के क्रय-विक्रय में बिल्कुल नई है तथा बाटलीवाला फर्म का ही दूसरा नाम है?

(छ) क्या यह सही है कि क्वालिटी के अनुसार सामान नहीं खरीदा गया ? यदि नहीं, तो विभाग के पास इसको प्रमाणित करने के क्या आधार हैं कि सामान टेन्डर में उल्लिखित क्वालिटी के अनुसार खरीदा गया ?

(ज) क्या यह सही है कि पहले जो टेन्डर्स आये उनमें तथा दुबारा टेन्डर्स मांगने पर जो दूसरे टेन्डर्स आये उनकी दरों में बहुत अन्तर है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे आइटम्स की मय रेट्स व उनके अन्तर की तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(झ) क्या यह सही है कि इसमें सरकार को काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी और इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष ५८-५९ में औषधियों के लिए दिनांक ११।३।५९ को ४ बजे शाम तक टेन्डर्स मांगे गये थे जिसके प्रत्युत्तर में १६ व्यापारियों के टेन्डर्स प्राप्त हुए । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । उक्त टेन्डर दाताओं में से विभागीय क्रय समिति ने ६ व्यापारियों के टेन्डर्स अनुमोदित किये, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) टेन्डर अनुमोदन के पश्चात् कुछ व्यापारियों ने क्रय-समिति के द्वारा स्वीकृत नमूनों के अनुसार माल देने से इन्कार कर दिया, अतः उनका रक्षित धन जब्त कर राजाज्ञान्तर्गत उनके पक्ष में आये निम्नतम मूल्य के द्रव्यों का १५।१२।५९ तक रीटेन्डर किया गया ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां । दुबारा टेन्डर्स प्राप्त होने पर सेफी ट्रेडिंग कम्पनी का टेन्डर भी प्राप्त हुआ था । जिसके नाम सूची "अ" में अंकित निम्नतम मूल्य के द्रव्य स्वीकृत हुए । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(च) जी नहीं ।

(छ) जी नहीं । रसायनशालाओं में समस्त सामान क्वालिटी के अनुसार ही खरीदा गया है । इसके प्रमाण में प्रत्येक व्यापारिक फर्म से खरीदे गये सामान के बिलों पर सम्बन्धित रसायनशाला प्रभारी द्वारा नमूने के अनुसार माल प्राप्त करने का सर्टिफिकेट उपलब्ध है ।

(ज) वांछित तुलनात्मक सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(झ) असफल टेन्डर दाताओं के रक्षा धन को जब्त करने के बाद ही रिटेन्डर किया गया है । उस स्थिति में सरकार को हानि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना किसी की जिम्मेदारी का ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : सेफी ट्रेडिंग कम्पनी कितने वष से इस काम में डील करती है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह फर्म इन औषधियों के क्रय-विक्रय में नई है; आपने कहा 'नहीं', तो मैं पूछता हूं कि यह कब से काम चालू कर रखा है ?

श्री भीखाभाई : यह अर्ज नहीं कर सकता। इस वक्त मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी करके अलग से जवाब दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जो पहले टेन्डर था दुबारा इन्वाइट किया जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी हुई है, उस दुबारा के आधार पर कह सकता हूं कि पिछला टेन्डर जो स्वीकार हुआ था यदि वहां उसके द्वारा माल खरीदा जाता तो सरकार को घाटा नहीं होता; क्या यह सही है ?

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के दिमाग में इसको लेकर कोई भ्रम हो गया है। बात यह है कि पहले टेन्डर मांगा गया था, १६ आदमियों ने दिया था जिनमें से ६ ने तो स्वीकार किया और यह एक स्टोर पर्चेज कमेटी बनी हुई है उसने किया। उसके डाइरेक्टर चैयरमैन हैं, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के प्रधान भी उसमें हैं, कॉलेज के प्रिन्सिपल भी हैं। सात आदमी हैं और उन्होंने यह तय किया है कि इसमें औषधि निर्माण का काम प्रमुख है और दवाइयां बनी हुई ठीक नहीं मिलती; हैं तो सारा का सारा असर ही दवाइयों का गायब हो जाता है इसलिए जो नमूने सैन्ट्रल पर्चेज कमेटी ने अपने यहां रखे थे उनके अनुसार चीजें लीं। जिन्होंने उनके अनुसार देने का तय किया उनकी तो ले लीं और जो निम्नतर दरें होने के बावजूद भी नमूने के माफिक औषधियां नहीं दे सकते थे उनके लिए रिटेन्डर कॉल किया गया। उसका पर्चेज भी इसी कमेटी के द्वारा होता है। इससे सरकार को नुकसान नहीं, फायदा हुआ कहना चाहिये। हल्की दवाइयां सस्ती लेने से उसका असर गायब हो जाता है। इसलिए अगर दुबारा टेन्डर में वही कुछ मंहगी भी आईं तो दवाइयों के अच्छे बनने के अर्थ में सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जो रिटेन्डर में रेट आई क्या यह सही है कि वे पहले वाले टेन्डर से कम हैं ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपके सामने लिस्ट मौजूद है। मुलाहिज़ा कर सकते हैं और सूची आपको दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : रेट्स कम हैं न ?

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा था किसी में कम हैं, किसी में ज्यादा हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिसमें कम हैं उसमें जांच की है सरकार ने ? पहले वाले में और दुबारा में रेटों में जिनमें विशेष अन्तर है, क्या इसकी जांच की है सरकार ने कि इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : यह तो टेन्डर की बात है, व्यापारियों की मर्जी पर है। हमने तो अपने स्केल के माफिक जिसकी दवा लगी वह ले ली।

Page No.4

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांचा है कि सेफी एण्ड कम्पनी वही है जो पहले बाटलीवाला के नाम से थी ?

श्री भीखाभाई : मैंने "जी नहीं" कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह : जांच की है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है। मैंने कहा जानकारी मैंने ली जो ऑफिस से, वह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : पर क्या सरकार इस सम्बन्ध की जांच करेगी यदि प्रमाण पेश किये जावें ? यह फर्म बाटलीवाला के नाम से ही है, पर चूंकि इस नाम से ब्लैक लिस्ट हो गई है इसलिए यह नया नाम रख लिया है उसी फर्म ने और इस तरह से इस टेन्डर में शामिल होने की कोशिश की है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। एक फर्म कई नाम से काम कर सकती है, तीन नाम से भी कर सकती है। वही प्रोप्राइटर हो सकता है; पर कैसे निवेदन करूं ? एक आदमी के दस कम्पनियां अलग अलग नाम से हो सकती हैं।

प्रश्न संख्या १३५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

इण्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मांगों पर कार्यवाही

१३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के समक्ष इण्डियन मेडिसिन बोर्ड ने कुछ मांगें रक्खी थीं ?

(ख) यदि हां, तो वे क्या थीं और उनमें से अब तक किस किस की पूर्ति की गई है और जिनकी पूर्ति नहीं की गई उस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) :
(क) जी हां।

(ख) इनका उत्तर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : ये मांगे पूरी नहीं की गईं, इसका क्या कारण ?

श्री भीखाभाई : मांग दर असल में खास यह है नहीं। एक तो मांग यह थी कि आयुर्वेद की एक फेकल्टी बनाई जावे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से निरन्तर इसके प्रयत्न हो रहे हैं। हमने यहां तक कह दिया है कि इसके लिये सरकार पैसा देने को तैयार है, पर यूनिवर्सिटी से फाइनल फैसला नहीं हुआ इसलिये इसमें अभी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार को गजेटेड ऑफिसर करने का क्या विचार है ?

Page No.5

श्री अध्यक्ष : गजेटेड हों या न हों इससे क्या, काम से मतलब है या इसके होने न होने से क्या दिक्कत पड़ती है ? व्यक्तिगत प्रश्न यहां नहीं आने चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : बोर्ड ने रिकमन्ड किया है इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बोर्ड की रिकमन्ड भी नहीं करना चाहिये। बोर्ड को डिमान्ड नहीं करनी चाहिये थी।

प्रश्न संख्या १३७

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३८

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४०

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४१

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री भैरोंसिंह।

राजकीय आयुर्वेद औषधालय मदनगंज के वैद्यों का बारबार स्थानान्तरण

१४२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मदनगंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? क्या उनके स्थानान्तरण के दो-तीन बार आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब-कब ?

(ख) क्या जून, १६५६, में स्थानान्तरण आदेश के द्वारा अजमेर से एक वैद्य इनके स्थान पर चार्ज लेने आये थे ?

(ग) क्या यह भी सही है कि चार-पांच दिन बाद ही स्थानान्तरण के आदेश रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) बार बार स्थानान्तरण के आदेश जारी करने अथवा रद्द करने की क्यों आवश्यकता हुई ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) यह औषधालय वर्ष ५६-५७ में दिनांक ८. ८. ५६ से हस्तान्तरित हुआ है तब से ही वे यहां कार्य कर रहे हैं। उनके स्थानान्तरण का दो-तीन बार नहीं अपितु केवल एक बार आदेश हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। मदनगंज में भवन के सम्बन्ध में जनता के साथ बातचीत चल

Page No.6

(श्री भीखाभाई)

रही थी फलतः जनता के आग्रह पर राज्य हित में कुछ समय के लिये दूसरे आदेश तक स्थानान्तरण स्थगित किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बातचीत अब समाप्त हो चुकी है भवन के सम्बन्ध में ?

श्री भीखाभाई : ठीक है, जब प्रशासनिक दृष्टि से बहुत आवश्यक समझा जाये तो स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा समझा जाये कि भवन की समाप्ति के बाद ही उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया जायेगा ?

श्री भीखाभाई : यह आवश्यक नहीं है। भवन के बनने तक उनके साथ पब्लिक की और सहानुभूति हो गई होगी। उनको और ज्यादा सहयोग प्राप्त हो गया होगा और सहयोग के कारण उनको और रोका जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : भवन का कार्य समाप्त होने के बाद जिन ग्राउन्ड्स पर यह स्थानान्तरण स्थगित किया है उनको देखते हुए फिर वह कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थानान्तरण के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जनता को उनके लिए शिकायतें हैं। वह तो इनकी पार्टी के लोगों ने लिखकर भेजा कि इनको रोक दिया जाये।

श्री भीखाभाई : अगर उनके खिलाफ कोई खास शिकायत है तो वह आप मुझे अलग से दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

प्रश्न संख्या १४३

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

भरतपुर जिले में टूटे हुए बांधों की मरम्मत व नवीन बांधों का निर्माण

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी [डीग—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) भरतपुर जिले में विगत वर्ष की भारी वर्षा में जो बांध टूटे थे वे कौन कौन से हैं और वे कितने कितने आकार में टूटे थे ?

(२) उक्त बांधों में से अब तक कितनों की मरम्मत कराई जा चुकी है ?

(३) क्या इन बांधों के अतिरिक्त कोई और नए बांध बनाने की भी सरकारी योजना है ?

(४) यदि हां, तो कहां कहां और कितनी लागत से ?

(५) क्या सरकार को पता है कि डीग की पूरी तहसील और नगर के पूर्व-दक्षिणी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भाग में सिंचाई के कोई भी साधन नहीं हैं ?

(६) यदि हां, तो सरकार इस भाग को सिंचित करने के लिए क्या साधन उपलब्ध करा सकती है ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण):(१) भरतपुर ज़िले में सन् १६५८ की भारी वर्षा एवं अभूतपूर्व भीषण बाढ़ के कारण ३६ बांधों में नाके टूटे थे जिनकी सूची- सदन की मेज पर रख दी गई है। इनको थोड़ी थोड़ी क्षति पहुँची है।

(२) उक्त बांधों में से केवल ७ बांधों की मरम्मत पूर्ण रूपेण नहीं हो पाई है, शेष बांधों के नक्के बन्द करा दिये गये हैं।

(३) जी हां।

(४) भरतपुर जिले में बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां, साधन उपलब्ध हैं। डीग तहसील में सेशन, कुचावली व श्रो तालाब हैं।

(६) जहां जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं उनका उपयोग करने की योजनाएं सरकार बनाती रहती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या १४५

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

एन० ई० एस० ब्लॉक्स

१४६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister in charge of Community Development be pleased to state:—

1. How many N. E. S. Blocks are there in the state in:—

   (a) Second stage series: 1952,1953 and April, 1955 ?

   (b) C. D. Series; April, 1956, October, 1956, April, 1957 and October, 1957 ?

   (c) First stage series;October,1955, April, 1956, October, 1956, April, 1957, October 1957, April, 1958, October, 1958, April, 1959, and October, 1959 ?

   (d) Multipurpose series; April, 1957 ?

2. And what is the extent of peoples participation per thousand persons in each of these series ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) A list has been placed on the table o 1the House.

(b) (c) (d) This information is included in the said list.

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो ब्लॉक्स हैं उनमें जो पीपुल्स पार्टीसिपेशन के फिगर्स दिये हैं वह कोई एनकरेजिंग हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is a question of opinion. डिफरेन्ट ब्लॉक में डिफरेन्ट है। वह एन्करेजिंग जरूर है। जो श्रमदान का है वे एन्करेजिंग रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : सन् १९५२–५३ में ब्लॉक्स में पीपुल्स पार्टीसिपेशन में पर थाउज़ेन्ड १४ रुपया लिया है। इसका मतलब १९५२–५३ से जो १९५९–६० तक १४ गुणा ६ बराबर ८४ रुपया ७ साल में पीपुल्स पार्टीसिपेशन में है।

श्री अध्यक्ष : It is per thousand of the population.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir. So 60 thousand. It will be more than that-700 rupees in seven years. Does the Minister consider it encouraging ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पीपुल्स पार्टीसिपेशन जो हमारे यहां होता है वह डिफरेन्ट स्कीम्स ब्लॉक्स में होती हैं, उसमें होता है। अब डिफरेन्ट स्कीम्स के अन्दर जैसे कुआ खोदने की बात है यह पब्लिक के थ्रू होती है। जितना ब्लॉक्स का रुपया है वह यूटीलाइज़ हो रहा है। इसमें कोई डिस्करेजिंग बात नहीं है। वैसे मैंने इनकी कोई कम्पेरेटिव स्टडी नहीं की है, लेकिन फिर भी एचीवमेंट एन्करेजिंग है। जो रुपया ब्लॉक्स का है वह काम में आ रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : कुछ में ३ रुपया पर थाउज़ेन्ड है और कुछ में १४ रुपया पर थाउज़ेन्ड है, तो इस तरह की यह वाइड डिस्पेरिटी ब्लॉक्स में क्यों है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें पुराने और नये ब्लॉक्स की भी तो बात है।

श्री पी० के० चौधरी : आप देखिये १९५५–५६ में ३ रुपया है और एक जगह १९५६–५७ में ११ रुपया है पर थाउज़ेन्ड।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह फर्स्ट स्टेज ब्लॉक्स की है, उसमें ३ रुपया है क्योंकि इसमें काम बहुत कम होता है, इसलिये कम पार्टीसिपेशन होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट कस्बे में 'ए' श्रेणी के अस्पताल तथा शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना

१४७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(१) क्या लालसोट कस्बा, जो २७५ गांवों के बीच में स्थित है तथा जहां तहसील पंचायत समिति, थाना और रेन्ज का प्रधान कार्यालय है, वहां 'ए' क्लास का अस्पताल खोलने का सरकार का इरादा है ? यदि हां तो कब तक ?

(२) क्या सरकार लालसोट में मकान

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

उपलब्ध होने पर भः शिशु कल्याण केन्द्र खोलना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी नहीं ।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : 'ए' ग्रेड अस्पताल के खोलने के क्या नियम हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अस्पताल तो पहले से ही खुला हुआ है । आप उसको 'ए' ग्रेड का करवाना चाहते हैं । 'ए' ग्रेड का मतलब ३०० बैड्स वाला, जैसा कि जयपुर में है ।

श्री अध्यक्ष : इस पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय यह जो ग्रेड का सिद्धान्त है यह बहुत ही अवैज्ञानिक और वाहियात है, इसको दूर किया जाना चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कहा है वह शिशु कल्याण केन्द्र के लिए कहा है, जो आपका दूसरा प्रश्न है उसके लिए उत्तर दिया है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : लालसोट में कौनसी ग्रेड का अस्पताल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता के अनुसार बहुत अच्छा अस्पताल खुला हुआ है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अगर हम ३०० मरीज़ ला दें तो क्या 'ए' ग्रेड का अस्पताल कर दिया जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास ।

तहसील सहाड़ा के मौजासर गांव में गौवाऊ तालाब की वृद्धि के कारण भर जाने वाले पानी को नियंत्रित करना

१४८. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सहाड़ा के मौजा सरगांव में गौवाऊ तालाब को सरकार ने अपने तहवील में लेकर ऊंचा बनाया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस तालाब को बड़ा बनाने के कारण मगरियों का पानी जो तालाब में पड़ता था वह रुक कर गांव के मोहल्लों व घरों में भरा रहता है ।

(३) यदि हां, तो वह पानी कितने समय तक घरों व मुहल्लों में भरा रहता है और वह किस प्रकार खाली होता है ?

(४) क्या इस कष्ट के निवारणार्थ सरकार के पास समय समय पर उक्त गांव की जनता की तरफ से प्रार्थनापत्र आये हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(५) क्या सरकार ने इस पानी को नहीं भरा रहने के लिए कोई प्रबन्ध कर दिया है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

Page No.10

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम-सारण) : (१) जी हां, यह तालाब ऊंचा व ठीक किया गया था। काम सन् १६५५–५६ में पूरा हुआ था।

(२) जी नहीं, पानी गांव के रास्ते में जरूर भर जाता था और जो मकान रास्ते के पास थे उनमें कुछ सील पहुंचती थी क्योंकि पानी का आगे निकास ऊंचा था।

(३) ज्यादा पानी आने पर रास्ते से निकल जाता था पर नीचे लेवल की जगहों पर बरसात के मौसम में पानी रहता था जो बाद को सूख जाता था।

(४) ये प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत, सर गांव से कलेक्टर के मार्फत एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के पास निम्न पत्रों द्वारा आये थे :—

ग्राम पंचायत क्रमांक	दिनांक
५०	५–६–५६
७१	१८–६–५६
१०४	१३–८–५६
१२६	२–६–५६
१५३	२७–६–५६
१६४	२२–१०–५६

(५) अब सबका इन्तजाम पंचायत व कलेक्टर, भीलवाड़ा की राय के मुताबिक करा दिया गया है। नीची जमीनों को;

(१) मिट्टी से भरकर ऊंचा कराया गया है ताकि पानी भरे नहीं।

(२) गांव में पहुंचने के लिए मिट्टी डाल कर रास्ता ऊंचा बना दिया है।

(३) एक छोटी मोरी तालाब में उसके पूरे भराव के लेवल से ६ इंच ऊंची बनाई गई है जिससे गांव का पानी तालाब में चला जावे और तालाब भर जावे तो पंचायत मोरी बन्द करा दे। यह सब काम करीब २५००) रु० की लागत से कराया गया है और १७-२-६० को पूरा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

दौसा अस्पताल में मकानात, डॉक्टरों, नर्सों व बिजली के इलाज की व्यवस्था

१४६. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या कस्बा दौसा के अस्पताल में मरीज़ों की संख्या के हिसाब से मकानात, डॉक्टर व नर्सों की कमी है ?

(ख) अगर हां, तो यह कमी कब तक पूरी की जावेगी ?

(ग) क्या दौसा हॉस्पिटल में बिजली से इलाज की व्यवस्था तथा डिस्पेन्सरी को बढ़ाने के प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) अगर हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां। भवन में स्थान की कमी है। स्वीकृत स्टाफ में से केवल एक मिडवाइफ का स्थान रिक्त है।

(ख) भवन में स्थान की पूर्ति के लिये विचार किया जा रहा है। ट्रेन्ड मिडवाइफ प्राप्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकेगी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) जी हां।

(घ) अक्टूबर, १९५७ से ।

श्री रामधन : यह मकानों और नर्सों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टाउन इम्प्रूव-मेन्ट बोर्ड ने पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन के लिये कहा था और उसके आधार पर बातचीत हो रही है। इस पर जल्दी ही निर्णय कर दिया जायेगा।

श्री रामधन : बिजली से इलाज कराने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान बनने के बाद की जायेगी।

श्री रामधन : कौनसी तारीख तक हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि पब्लिक की ओर से कन्ट्रीब्यूशन करने की बात है, तो कुछ रुपया तो पब्लिक का और कुछ गवर्नमेन्ट का मिलाकर बनाने की योजना है। उस पर जल्दी ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

गालब बांध, उनियारा

१५०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि उनियारा कस्बे से १ मील पर कोई गालब बांध तैयार हो रहा है ? अगर हां, तो यह कब शुरू हुआ था और कितनी लागत का ?

(२) क्या यह सही है कि इस बन्ध में गलबा नाम की नदी रोकी गई है ? अगर हां, तो क्या जहां नदी का पोर्शन रोका है वहां पक्की पाल लगाई जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट टैक्निकल की राय ले ली गई थी ? अगर हां, तो किस की और क्या राय थी ?

(४) क्या यह सही है कि अगर इस बन्ध की पुख्तगी नहीं की गई तो चालीस गांव जो इस बन्ध के नीचे आते हैं उनको खतरा पैदा हो जावेगा ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, गलबा बांध का काम माह मई, सन् १९५५ में शुरू हुआ था और रिवाइज्ड एस्टीमेंट के अनुसार इसकी लागत का अन्दाजा ३५ लाख रुपये का है।

(२) जी हां, गलबा नदी को मिट्टी की पाल द्वारा ही रोका जावेगा।

(३) जी हां, सिंचाई विभाग के टैक्निकल अधिकारियों की राय ले ली गई है। बांध पर अब जो काम चल रहा है वह अधिकारियों की राय के अनुसार है।

(४) जी नहीं। ऐसी कोई सम्भावना नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी आपने यह फरमाया कि मिट्टी का बान्ध बनाने से

(रावराज श्री सरदारसिंह)

पानी रुक जायगा तो क्या यह सच है कि वहां पर इस वक्त नीवें खुदने लगी है और पक्की दिवाल उठने का काम भी चालू हो गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है या मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं वह गलत है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखा भाई) : जो बान्ध बनाने का था उसमें जब तक रौक नहीं मिली थी तब पेडलिंग करके अर्थ का बान्ध बनाने का विचार था। लेटेस्ट जो इन्वेस्टीगेशन हुए हैं उनमें रौक मिल गई है और अब आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पक्की दीवाल ही बना रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : रौक मिल गई है और रॉक पर पक्की दीवाल बनाकर अर्दन डेम भी बनायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रॉक निकल गई है और तैयार होगई है, उस पर पक्का बान्ध नहीं बनाया जायगा तो ब्रीच हो जाने पर ४०-५० गांवों के डूबने का अन्दाजा है।

श्री भीखाभाई : इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ज्यादा है। आप निश्चिन्त रहिये।

रावराज श्री सरदारसिंह : वह मर जायेंगे उसके बाद में सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी? उसके लिए टेक्निकल राय लेकर उस पर काम किया जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(श्री गिरधारीलाल का प्रश्न नहीं लिया गया)

प्रश्न संख्या १५२.

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १५३.

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

नाजायज तौर पर भाखरा नहर को काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही

१५४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, भाखरा प्रोजेक्ट, यह बताने का कृपा करेंगे :-

(क) चक खुणजा, मक्कासर, डबली, तहसील हनुमानगढ़ व पीलीबंगा, दुलमाना, तहसील सूरतगढ़ में भाखरा नहर को कितनी कितनी बार काटा गया ?

(ख) क्या सरकार ने नहरों के काटने के सम्बन्ध में कोई जांच की और नाजायज़ तौर पर नहर काटनेवालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण):- (क) नहर काटने की संख्या सूची में बताई गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नहरों के काटने के सम्बन्ध में जांच की गई है और नहर काटने वालों के

(श्री दौलतराम सारण)

खिलाफ सरकारी कानून के अनुसार (इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट, १६५४) कार्यवाही की गई है। कानून के अनुसार उन पर तावान (पेनल्टी) भी लगायी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री भीमसेन : नहर के काटने के, ५५ में १० बार काटी गई है, ५७ में १२ बार काटी गई है और ५८ में ११ बार काटी गई है। उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, वह क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : नहर काटने के कई कारण हो सकते हैं। चूहे का बिल आ जाय तो पानी उधर बह जाता है। कोई व्यक्ति भी काट सकता है। अगर कहीं पर मिट्टी कमजोर हो और पीछे से पानी का दबाव ज्यादा हो तो उससे भी कट सकती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितनी बार काटी गई है और जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, उनसे तावान लिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि तावान लिया गया है।

श्री भीमसेन : यह खालना के आदमी हैं जो कि नहर काटने में एक्सपर्ट हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने जवाब दिया है कि वहां पर जिन लोगों ने जानबूझ कर नहर को काटा है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

श्री भीमसेन : क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनसे तावान लिया गया है जैसा कि एक्ट में प्रोविज़न है।

श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन सु०) : अध्यक्ष महोदय, १५२ के प्रश्न को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आपको आवाज़ दी थी, आप बोले नहीं। इसको फिर से ले लेंगे।

रतनगढ़ नगरपालिका में हुए गबन व अवैधानिक कार्यों की शिकायतें

१५५. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने रतनगढ़ नगरपालिका में हुए गबन तथा उसके अवैधानिक कार्यों के विषय में आई हुई शिकायतों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो वह कब तथा किस अधिकारी द्वारा ? जांच की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़, राजस्थान ने दिनांक १३–७–५६ को जांच की थी और जांच की रिपोर्ट इस कार्यालय से १४-७-५६ को सरकार के पास भेज दी गई।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : सूची मांगी थी वह सदन की मेज पर नहीं आई है।

Page No.14

श्री सम्पतराम : रिपोर्ट पर एक्शन लिया जायगा । वैसे जनहित की दृष्टि से रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं समझी जायगी ।

श्री अनोपसिंह : आपको कुछ नहीं मिला, किशनारामजी को कुछ नहीं मिली । ये शिकायतें किस किस के खिलाफ थीं और किसके द्वारा जांच की गई ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है कि यहां रखा जाय । यहां की म्युनिसिपेलिटी के कुछ सदस्यों ने शिकायत की थी । उसके बारे में डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ ने जांच की और जांच करने के बाद में रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की और सरकार ने एक्शन लिया और जो एक्शन लेना बाकी था वह लिया जायगा ।

श्री अनोपसिंह : वे शिकायतें किस तरह की थीं जिन पर कार्यवाही की गई डाइरेक्टर, लोकल बोडीज़, के द्वारा ?

श्री सम्पतराम : एक-दो छोटे छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एम्बेज़लमेंट की शिकायतें थीं, कुछ इर्रेग्युलेरिटी थी गवर्नमेंट प्रोपर्टी वगैरह के ट्रान्सफर के सिलसिले में, उनकी बातें थीं । कुछ इर्रेग्युलेरिटी के सिलसिले में और भी शिकायत थी ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Is it in the public interest to hide the report ? Why don't you want to lay down the report on The table of the House ?

श्री सम्पतराम : एम्बेज़लमेंट के केसेज़ के अलावा और दूसरी भी शिकायतें थीं । उन शिकायतों को दबाने की बात नहीं है Report is itself pending under consideration of the Government and action is to be started. So in the public interest, I don't want to put it on the Table of the House.

श्री श्रीभानसिंह : How is public interest involved ?

श्री सम्पतराम : I don't want to disclose it.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): What do you mean by 'action started to be taken' ?

श्री सम्पतराम : I have started action but it has not been finalised.

श्री श्रीभानसिंह : What is the nature of that action ?

श्री सम्पतराम : Notice has been given. It has been served and so I can't disclose what exactly is there. Because the enquiry is to be held in detail.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Does the Hon'ble Minister feel that the findings of the report are too serious to be made public.

एक माननीय सदस्य : यह हिन्दी का श्रीगणेश है ।

श्री सम्पतराम : According to the provisions enquiry is going on. And to facilitate myself, I would not like to disclose the enquiry report.

श्री पी० के० चौधरी : Has any prima facie case been established by the enquiry ?

श्री सम्पतराम : Till the enquiry is complete, I cannot say anything.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय, जो इन्क्वायरी डाइरेक्टर ने की है, उससे सन्तुष्ट नहीं हैं ?

श्री सम्पतराम : डाइरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसके बाद में एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक मुझे भी कुछ जांच करना है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने इन्क्वायरी की है उससे सन्तुष्ट हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जब तक डिटेल्ड इन्क्वायरी नहीं कर लूं तब तक फाइनल एक्शन लेने की पोज़ीशन में नहीं हूं। डाइरेक्टर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट हूं या नहीं; उन्होंने फेक्चुअल रिपोर्ट दी है, उस पर एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक मुझे भी सुनने का सवाल आता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि डाइरेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसके लिए सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह रिपोर्ट सन्तोषजनक है।

श्री सम्पतराम : I cannot give any opinion over it.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

वेक्सीनेटर्स नियुक्त करने के नियम

१५६. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) एक वेक्सीनेटर कितनी आबादी पर नियुक्त करने का नियम है ?

(ख) क्या सब-डिविजन, कोटपूतली, में नियम के आधार पर ही वेक्सीनेटर्स नियुक्त किये हुए हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) पहले आम तौर पर ३०,००० की जनसंख्या पर एक वेक्सीनेटर लगाया जाता था अब बड़े बड़े शहरों में हर ५०,००० की जनसंख्या पर २ वेक्सीनेटर लगाये जाते हैं तथा अब हर पंचायत समिति में एक वेक्सीनेटर लगाया गया है।

(ख) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

कृषि विभाग द्वारा बीज रूप में प्रदत्त गेहूं का श्री कल्याणमल सोमाणी द्वारा दुरुपयोग

१५७. श्री शिवचरणदास (माण्डल): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री कल्याणमल सोमानी, निवासी हमीरगढ़, ज़िला भीलवाड़ा ने डेढ़ सौ मन गेहूं कृषि विभाग से सन् १९५७ में लिए ?

(२) यदि हां, तो क्या यह वापिस जमा हो चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री कल्याणमल ने गेहूं को बीज के काम में न लेकर बेच दिया है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

झुंझुनूं जिले में काश्तकारों को ट्रेक्टरों की खरीद हेतु प्रदत्त ऋण

१५८. श्री लच्छूराम (मन्डावा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जिला झुन्झुनू में गत पांच सालों में कितने काश्तकारों को ट्रेक्टरों के लिये ऋण दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : गत पांच सालों में सन् १९५५-५६ से १९५९-६० तक ट्रेक्टरों के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जयपुर जिला बोर्ड के हिसाब की जांच

१५९. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने जयपुर जिला बोर्ड की गत वर्षों की ऑडिट रिपोर्टों का अध्ययन किया है ?

(ख) यदि हां, तो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर; जैसे सन् १९५८-५९ में कार की खरीद व श्रमदान और इसी प्रकार की अन्य सहायताओं की रकमों के हिसाबों के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इस बारे में एक कमेटी द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) कार की खरीद की स्वीकृति दी जा चुकी है और अन्य सहायताओं की रकमों के हिसाब के बारे में कलेक्टर, जयपुर के द्वारा कार्यवाही की गई है।

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जीप के खरीदने में क्या अनियमितता की गई ?

श्री सम्पतराम : उसके दो कारण थे। रूल्स के अनुसार गवर्नमेंट की प्रायर सेन्क्शन लेने की जरूरत थी। वह प्रायर सेन्क्शन नहीं ली गई। प्रायर सेन्क्शन का जो पोइन्ट था वह तय कर दिया गया है।

श्री भीमसेन : उस समय गाड़ी की प्राइस ११ हजार थी और १४ हजार में खरीदी गई, क्या यह सही है ?

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का इस बात

(श्री भीमसेन)

का सर्वे दिया गया है कि जिस तारीख को यह जीप खरीदी गई थी उस तारीख को जीप की प्राइस ११ हजार थी और वास्तव में १५ हजार दिये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : नहीं। युनाइटेड मोटर्स, जयपुर, से पहले खरीद होने की बात हुई थी, १७-१-१९५९ को क्रय करने की बात थी उस वक्त १३१००) रु० की कीमत थी। बाद में कीमत और दूसरे टैक्सेज़ वगैरह के कारण बढ़ाई गई। इसलिए १४,०००) में खरीदी गई है।

श्री रामधन (दौसा) : जीप का बाजार भाव १७-१-१९५९ को ११,९९७) का था, तब यह १४०००) रु० में खरीदी गई !

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री सम्पतराम : यह मुझे पता नहीं कि उस समय क्या था ? जो फैक्ट्स जानकारी में थे वे बता दिये।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था कि उस समय इसकी कीमत ११ हजार रुपये थी, तब फिर १४ हजार में कैसे खरीदी गई ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामधन : जिला बोर्ड की शुरूआत के बाद से भंग होने तक ऑडिट पार्टीज़ ने कितनी बार हिसाब की जांच की ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है।

श्री भीमसेन : जहां तक मुझे जानकारी दी है, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसका जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है।

श्री सम्पतराम : आप सूचना दे रहे हैं, मैं इसकी और जांच करूंगा।

श्री रामधन : क्या ऑडिट नोट में ४००० रुपये बकाया निकाले हैं, भाई-बेटों की तरफ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट रिपोर्ट पर एक्शन क्या शुरू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एक्शन शुरू हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक्शन शुरू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर जांच कर रहे हैं।

(विराम)

श्री शंकरलाल।

पंचायत समिति, रायपुर, के प्रधान के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

१६०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले के गांव झूंटा की ग्राम सेवा बहुउद्देशीय सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा पंचायत समिति, रायपुर, के प्रधान पर यह आरोप

(श्री शंकरलाल)

लिखित में लगाया गया कि राजनैतिक गुटबन्दी में आकर प्रधान ने दिनांक १७–१०–५६ को समिति का रेकॉर्ड अध्यक्ष से जबरन छीन लिया ?

(२) क्या यह भी सही है कि डिप्टी रजिस्ट्रार का यह पत्र जाने पर भी कि रेकॉर्ड समिति को सौंप दिया जाय प्रधान ने कोई परवाह नहीं की और उल्टा वहां के सहायक निरीक्षक, सहकारी विभाग, को 'धक्के देकर अपने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया ?

(३) क्या इस शिकायत की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और यदि की गई, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, शिकायत की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि सहकारी समिति के अध्यक्ष और मंत्री में समिति की कार्यकारिणी के चुनाव पर आपस में झगड़ा था। इस कारण पंचायत के प्रधान ने समिति का रेकॉर्ड सहायक निरीक्षक, सहकारी विभाग, को दिला दिया था। इस मनमुटाव को दूर करने के लिये कार्यकारिणी समिति का पुनः चुनाव करा दिया गया है और रेकॉर्ड बदस्तूर समिति के मंत्री को दिला दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब अध्यक्ष और मंत्री दोनों ने समिति का कार्य सहयोग से चलाने का आश्वासन दिया है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

प्रान्त के प्राकृतिक चिकित्सालय

१६१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में ऐसे कुल कितने प्राकृतिक चिकित्सालय हैं जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है तथा उन पर कुल कितना खर्च होता है ?

(ख) राजस्थान में ऐसे प्राइवेट प्राकृतिक चिकित्सालय कितने हैं जिन्हें सरकार मदद देती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र, बीकानेर कब से स्थापित है तथा उसने अब तक क्या उन्नति की है ?

(घ) क्या इस केन्द्र के विकास का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर में है, जिस पर लगभग १४,००० रु. वार्षिक व्यय होता है।

(ख) राजस्थान में केवल एक प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर में ऐसा है जिसे राज्य सरकार मदद देती है। पिछले वर्ष उक्त चिकित्सालय को ५,५०० रु० सहायता मिली थी।

(ग) राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, बीकानेर, की स्थापना पिछले लगभग ७ वर्ष पूर्व हुई है। उसकी उन्नति के विषय में उल्लेखनीय है कि संस्था ने १–१०–५७ से

(श्री भीखाभाई)

२५-५-५६ तक कुल २२७ आतुर रोगियों को प्रवेश देकर चिकित्सा लाभ पहुंचाया है।

(घ) इसको अनुदान देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरकार प्राकृतिक चिकित्सालयों को प्राकृतिक साधन उपलब्ध जिलों में क्यों नहीं बनाती ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ये तो अप्राकृतिक जगहों पर ही हो सकते हैं क्योंकि रोगी वहीं पर होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : सहायता देने का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसी साल उनकी डिमान्ड आई है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या उदयपुर के प्राकृतिक चिकित्सालय भवन को उपयुक्त समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उदयपुर और जयपुर के लिये यह मांग की है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उन्होंने सरकार के सामने आवेदन पत्र दिया है कि जो मरीज़ सरकारी अस्पताल में ठीक नहीं होते हैं और जिनके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि उनसे ठीक नहीं हो सकते, उनको प्राकृतिक चिकित्सालय में भेज दिया जाय और एक रोगी पर जो साधारण खर्चा लगता है वह उन्हें दिया जाय ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या रोगियों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ भेजा जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बीकानेर गया था तब मुझे उन्होंने अस्पताल दिखाया था, लेकिन यह बात नहीं कही कि सब बीमारियों का इलाज वे कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बीमार एलोपेथिक इलाज से ठीक नहीं हों, उनको ये ठीक कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उनको सहायता इस वर्ष के अंत तक मिल जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइनेन्स विभाग के पास कागज़ गये हुए हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मंत्रीजी ने बताया कि ५५०० रु० जयपुर चिकित्सालय को पिछले साल दिये गये थे, तो क्या ये रुपये हर साल दिये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये रूल्स बने हुए है, उन्हीं के अनुसार मिलेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब आप यह मानते हैं कि यह चिकित्सालय संतोष-जनक ढंग से चल रहा है, उदयपुर में १४००० रु० दे रहे हैं और यहां पर ५००० रु० ही क्यों दे रहे हैं ?

श्री भीखभाई : वह गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है और यहां वाले को सहायता दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसको भी प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको पिछले साल २५,००० रु० मकान बनाने के लिये भी दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

विकास कार्यों में रूरल वॉयस के व्यक्तियों की नियुक्ति

१६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सहकारी शिक्षा आदि विकास विभागों में रूरल वॉयस के व्यक्तियों को ही भर्ती करने की सिफारिश की है? अगर हां, तो सन् १९५७-५८ व ५८-५९ में कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई तथा उनमें कितने देहात के अथवा कितने शहर के व्यक्ति भर्ती किये गये?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बलवन्तराय मेहता कमेटी से संबंधित है और बलवन्तराय मेहता कमेटी को डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डील करता है इसलिये यह प्रश्न उनके पास भिजवा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

राजसमन्द सब-डिविजन की खारी बांध योजना में प्रगति

१६३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजसमन्द सब-डिविज़न में खारी बांध बनाए जाने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हो पाई है एवं कार्य आरम्भ कब तक होने की संभावना है?

(ख) इस बांध के बन जाने से राजसमन्द तालाब में कितना पानी भरा जा सकेगा एवं कितनी ज़मीन की पिलाई हो सकेगी?

उप मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री दौलतराम सारण):(क) इस योजना की सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन द्वारा जांच ली गई है परन्तु मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्लानिंग कमीशन और राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा सकेगा।

(ख) इस योजना के पूरा हो जाने पर राजसमन्द में ६०० मिलियन क्यूबिक फीट पानी अधिक आ सकेगा जिससे ६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : यह कैसे मालूम हुआ कि स्वीकृत नहीं हुई है?

श्री भीखाभाई: जवाब में बताया गया है कि जो टैक्निकल एडवाइज़री कमेटी है उसने पास कर दिया है और यह प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है, उसने हमें पूछा है कि आप कहां तक उचित समझते हैं, यह लेटेस्ट खबर है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह खबर है या निश्चित सूचना है। आप क्या कर रहे हैं यह निश्चित तौर से बताना चाहिये।

श्री भीखाभाई : पहले साहित्य का नाम लेने पर माननीय मित्र नाराज हो रहे थे, मैं ऑफिशियली कहता हूं कि उनको सूचना दे दी गई है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूं, मेरे भी चार-पांच काम अटके हुए हैं, इसलिये जल्दी करें।

Page No.21

श्री भीखाभाई : कोशिश की जायगी जल्दी करने की।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

अनियमितताओं के कारण भूतपूर्व अधीक्षक, कैटल ब्रीडिंग फार्म, के विरूद्ध कार्यवाही

(श्री गिरधारीलाल का प्रश्न संख्या १६४ नहीं लिया गया)

१६५ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Minister-in charge of Animal Husbandry be pleased to state:—

1. Is it correct that a Departmental Enquiry was made against Shri B. K. Mathur, the then Superintendent Cattle Breeding Farm?

2. Is it correct that the enquiry revealed that Shri Mathur (a) paid high prices for grass purchased, (b) made payment of heavy amounts to labour on false muster roll, (c) maintained false milking records and (d) allowed Government tractor to be used on private work of the contractor Sri Hariyal Das? If so, what action has been taken against the officer concerned, and also a copy of the finding of the Enquiry Committee may be placed on the table of the House.

3. Is it correct that Mr. Mathur has now been appointed as Fodder Development Officer superseding many of his seniors?

पशु-पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (१) जी हां।

(२) जांच अभी जारी है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(३) जी हां, श्री माथुर की नियुक्ति फीड एण्ड फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर की जा चुकी है। परन्तु सीनियोरिटी अभी तक निश्चित नहीं की गई है और नियुक्ति अस्थाई तौर पर है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the report of the enquiry committee?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : Is there no enquiry?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच पूरी नहीं हुई है?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कब तक पूरी हो जायगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री अर्जुनदास (अजमेर, पश्चिम) : जांच पूरी कब होगी?

श्री पी० के० चौधरी : How far it is correct that when the enquiry was going on against him how is that he has been made the Development officer at a higher post?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस काम को जल्दी चालू करना था और वे इसके जानकार हैं, इसलिए इनको वहां पर अस्थायी तौर पर लगा दिया है।

Page No.22

श्री पी० के० चौधरी : There is a vacant post at Alwar and instead of that he has been appointed as Development Officer!

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इन मिस्टर माथुर की क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ? जैसा कि आप कहते हैं कि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग वालों ने कहा कि फोडर के मामले में, घास पैदा करने के मामले में जानकार हैं, इसलिए उनको अस्थाई तौर से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मिस्टर माथुर आई० डी० डी० हैं, उनको एग्रीकल्चर का एक्सपीरियेन्स नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें एग्रीकल्चर के एक्सपीरियेन्स की जरूरत नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि श्री माथुर के पास डेरी का डिप्लोमा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

ग्राम हरिपुरा, थानागाजी, में प्लान्टेशन का कार्य

१६६. **श्री रामकरणसिंह** [कोटपूतली श्री लच्छूराम (मन्डावा) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम हरिपुरा तहसील थानागाजी में प्लान्टेशन १६५५-५६, ५६-५७, ५७-५८, ५८-५६, और ५६-६० में हर वर्ष नया किया गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि यह वन इस ग्राम के बिल्कुल पास से भी और चारों तरफ भी लगाना आरम्भ कर रखा है ?

(ग) क्या सरकार ग्रामवालों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ग्राम के चारों तरफ जो वन लगाने के लिए भूमि रोकी है, उसे उचित समझती है ?

वन मन्त्री (श्री सम्पराम) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री लच्छूराम : १३३।

(कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

Page No.23

उनियारा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कस्बे में सड़क निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि में से किया गया खर्चा

१३६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उनियारा टाउन म्युनिसिपल कमेटी को कस्बे में सड़क बनाने हेतु सरकार से धन राशि प्रदान की गई है ? अगर हां, तो कितनी और कब दी गई

(२) क्या यह सड़क बन कर तैयार हो चुकी है ? अगर हां, तो कितनी और कितना खर्चा आज तक हुआ और क्या क्या काम अभी चालू हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । ५७–५८ में २५ सौ रुपये और ५८–५९ में दो हज़ार रुपये की धन राशि दी गई ।

(२) पूरी बन कर तैयार नहीं हुई है । सड़क अब तक....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह आपका प्रश्न नहीं है ।

श्री सम्पतराम : मेरा है ।

श्री श्रीभानसिंह : This is not the reply of that question.

श्री अध्यक्ष : आपका ही है ।

श्री सम्पतराम : सड़क अब तक करीब ८०० वर्ग फीट बनी है, जिसके ऊपर ४,२५१ रुपये व्यय हो चुका है । सड़क निर्माण का कार्य चालू है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सड़क बनाने के लिए सब्सिडी दी है या स्पेशल ग्रान्ट दी गई है ? म्युनिसिपल कमेटी को जो सब्सिडी दी जाती है, वह है या सड़क के लिए ग्रान्ट दी है ?

श्री सम्पतराम : सब्सिडी और ग्रान्ट में क्या फर्क है, माननीय सदस्य बतायेंगे ?

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : सड़क के लिए जब मांग पहले की गई थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि १० हज़ार रुपये की मांग आई है जो अन्डर कन्सीडरेशन है । मैं कहता हूं कि हर साल सब्सिडी दी जाती है, वह रकम है या खास सड़क के लिए दी गई है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : वह इस साल मंजूर हो गई है, मुझे ताज्जुब हो रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब मंजूर हो गई है क्या ?

श्री सम्पतराम : आपके प्रश्न से रुपया कमी या बढ़ती देने का मामला हल नहीं होता । केपिटल कंट्रोल फ्रोम पी. डब्ल्यू. डी. हैड से रुपया दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : जो हैड आपने बताया उसका मतलब है कि सब्सिडी जो मिलती है यह ग्रान्ट उससे अलग है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उससे अलग है। तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब सड़क के लिए ग्रान्ट दी है, उसके पहले एस्टीमेंट बन कर पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत आपके पास आ पहुँचे हैं क्या और कितने का एस्टीमेंट आया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा): दो लाख की रकम म्युनीसिपैलिटी को रुपया देने के लिए सड़क के लिए अलग रखा हुआ था। जो स्कीमें बन कर आई हैं वे खुद अपने आपमें बड़ी स्कीमें हैं और कन्टीन्यूअस स्कीम मानते हैं। हमेशा के लिए और उसमें ४० पर्सेन्ट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन होता है और ६० पर्सेन्ट म्युनीसिपैलिटी को लगाना होता है। सड़क के लिए जितने फन्ड्स अवेलेबल हों, जितने मीट किये जा सकते हों, उतने ही देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि काम जारी है हमेशा के लिए। तो काम पूरा नहीं होगा तो बन्द हो जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : बीच में बन्द हो जायगा, फिर जारी हो जायगा।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : बीच में बन्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैसा नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पैसा नहीं है, म्युनीसिपैलिटी को पैसा देते हैं, वह चन्दा भी इकट्ठा करती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कुछ करती है, कुछ सरकार भी करती है। यह मुमकिन नहीं कि सारी सड़कें एक साथ बन जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

नोहर की डिस्पेन्सरी का अस्पताल में परिवर्तन

१४०. श्री रामकिशन [नोहर–श्री लच्छूराम (मण्डावा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील नोहर की चिकित्सा व जन स्वास्थ्य के लिये कुल कितना व्यय साल भर में होता है ?

(२) उक्त रकम में से नोहर की डिस्पेन्सरी पर दवाओं के लिए सालाना कितनी रकम दी जाती है ?

(३) क्या विभाग इतनी रकम को पर्याप्त मानता है, जब कि साल में नौ महिने रोगियों को पट्टियां व दवायें बाजार से लानी पड़ती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी में अभी तक लेडी डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक वहां लेडी डॉक्टर भिजवा रही है ?

(५) उक्त डिस्पेन्सरी को अस्पताल का रूप देने तथा दवाओं में बढ़ोतरी करने की सरकार की क्या योजना है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(१) १६,४७६ रुपये।

(२) ३,३०० रुपये।

(३) दवाइयों तथा पट्टियों आदि के लिये पिछले वर्ष २००० रुपये थे जिसको बढ़ा कर रोगियों की सुविधा के लिये ही इस वर्ष ५६-६० में ३,३०० रुपये कर दिये गये हैं।

(४) डिस्पेन्सरी के लिये केवल एक प्रथम श्रेणी के डॉक्टर का स्थान स्वीकृत है जो वहां कार्य कर रहा है। लेडी डॉक्टर के लिये प्रावधान नहीं है।

(५) दवाओं के लिये बजट में बढ़ोतरी कर दी गई है।

श्री लच्छूराम : क्या लेडी डॉक्टर का प्रावधान बिल्कुल नहीं रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक लेडी डॉक्टर नोहर के लिए सेंक्शन नहीं है, इसलिए लेडी डॉक्टर नहीं है। लेडी डॉक्टर सेंक्शन होने के बाद भी मिलती नहीं है, इसलिए दोनों बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह !

टौंक जिले में प्रसूतिगृह खोलना

१४१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १६५७-५८ व ५६ में सरकार ने प्रसूतिगृह कहां कहां खोले है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि प्रसूतिगृह न होने से टौंक शहर व टौंक जिले में कितनी ही स्त्रियों व बच्चों का दुःखद अन्त होता है ?

(ग) क्या सरकार टौंक जिले में जहां जहां प्रसूतिगृह नहीं हैं, वहां खोलने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) केवल सन् ५७ में निम्नलिखित ७ स्थानों में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये हैं। शेष अवधि में इस प्रकार के कोई केन्द्र नहीं खोले गये हैं :—

१. बीदासर जिला चुरू

२. चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

३. रामगंज मंडी जिला कोटा

४. कपासन जिला चित्तौड़गढ़

५. दौसा जिला जयपुर

६. सीकर जिला सीकर

७. बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टौंक में नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टौंक में बहुत बड़ा अस्पताल मौजूद है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन मिडवाइफ के लिए कह रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें मेटरनिटी हॉस्पीटल भी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं गांव के लिए पूछता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गांवों में खोलने की व्यवस्था नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसील हैड क्वाटर पर डिस्पेन्सरी मौजूद है. वहां मिड वाइफ का भी प्रावधान होना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे ब्लॉक में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल रहे हैं, उसमें प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा दलित वर्ग के लोगों को मकान निर्माण हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट

१५२. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा सन् १९५२–५३, ५३–५४, ५४–५५, ५५–५६, ५६–५७, ५७–५८ व ५८–५९ में कुल कितने दलित वर्ग के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु भूमि अलॉट की गई ?

(ख) मकान बनाने हेतु उक्त सनों में कुल कितने दलित वर्ग के व्यक्तियों ने आवेदन–पत्र दिये ?

(ग) क्या नगर विकास मंडल, जयपुर, में इस प्रकार भूमि अलॉट करने हेतु कोई कमेटी बनाई हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त कमेटी में किस किस सन् में किस हरिजन व्यक्ति को सदस्य बनाया गया तथा वह लगातार कितने सालों तक सदस्य रहे तथा वह सदस्य किस जाति के हैं ?

(घ) उक्त सनों में इन दलित वर्ग के सदस्य के परिवार वाले कितने व्यक्तियों को तथा स्वजाति वाले कितने कितने व्यक्तियों के नाम भूमि अलॉट हुई ? मय पूरे विवरण के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) वर्तमान नगर विकास मंडल का गठन १९५४ के अन्त में हुआ था। इसके पूर्व भूमि का अलॉटमेंट सरकार द्वारा किया जाता था। बोर्ड के गठन के बाद निम्न प्रकार दलित वर्ग के लोगों को भूमि अलॉट की गई :—

१९५५–५६	–४८
१९५६–५७	–११
१९५७–५८	–६६
१९५८–५९	–५७

(ख) जी हां, कुछ बस्तियां अवश्य बसाई हैं, उनके आंकड़े प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में आ गये हैं।

(ग) अलग से कमेटी नहीं बनाई गई है। विकास मंडल में कोई हरिजन सदस्य नहीं है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री जयचन्द्र मोहिल : इन सालों में हरिजन सदस्य विकास मंडल की कमेटी में नहीं था ?

श्री सम्पतराम : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३।

राजस्थान नहर योजना से नोहर तहसील में सिंचन कार्य

१३३. श्री **रामकिशन** [नोहर-श्री लच्छूराम (मण्डावा) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल बोर्ड यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान नहर योजना से नोहर तहसील के किन किन गांवों की, कितने कितने बीघा भूमि सिंचित हो सकेगी ?

(ख) क्या जहां पर भूमि समतल नहीं है और बड़े ऊंचे टीले हैं वहां पानी पहुँचने के लिये यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग किये जाने की भी कोई योजना है ?

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत सभी गांवों से मालिकाना कर की वसूली कब से शुरू की जा रही है और कितनी रकम प्राप्त हो सकेगी ?

(घ) क्या मालिकाना कर की रेट सभी गांवों में एक ही रखी गई है या भिन्न भिन्न है ?

राजस्थान केनाल मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है, प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(घ) मालिकाना कर की रेट सभी गांवों के लिये एक ही रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११.५६ म० पू०

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

(१२ मध्याह्न)

राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९६०

(विचारार्थ एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १६६०, को विचारार्थ लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित समझता हूं कि किन वजूहात की वजह से यह बिल यहां पेश किया जा रहा है और किन वजूहात में एक ऑर्डीनेन्स करने की आवश्यकता पेश हुई, वह सदन को मुख्तसिर में बता दूं तो अच्छा रहेगा, जिससे आयन्दा जो डिबेट हो, वह थोड़ी कम हो।

राजस्थान बनने से पहले अलग अलग रियासतों के अन्दर, सभी स्टेट्स में सक्सेशन के अलग अलग नियम बने हुए थे और अलग अलग कायदे कानून थे और आम तौर पर जहां सक्सेशन के मामले हुए, हर रियासत के अन्दर गवर्नमेंट की मंजूरी से, कहीं राजा–महाराजा की मंजूरी से होते थे; उसके बाद में राज प्रमुख की मंजूरी से अधिकार होते थे। वे सक्सेशन के मामलात के अन्दर अन्तिम निर्णय दे सकते थे। खास तौर पर उन मामलों में, जहां असली औलाद छोड़ कर नहीं कर मरते थे यानी स्टेट ग्रान्टी, उनका अडॉप्शन का सवाल था और बहुत से सक्सेशन के सवाल थे। अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज़ थे, जिससे गवर्न होते थे और इनवेरीएबली अडॉप्शन के केसेज़ रूलर तक पहुंचते थे, राज प्रमुख तक पहुँचते थे, मगर सन् १६५५ में हमने उन सारे पॉवर्स को जो एक रूलर तक सीमित थे, राजप्रमुख तक थे, वे फाइनल लॉ ऑथोरिटी को दे दिये। जागीर डिसीजन्स एन्ड प्रोसिडिंग्स (वेलिडेशन एक्ट) इस गरज से बनाया कि ये सारे पॉवर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डेलिगेट हो जायं, जो सक्सेशन का तय हो जाय उसमें अन्तिम निर्णय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इन सारे मामलात में हो जाय, गवर्नमेंट के पास इस तरह के केसेज़ न जायं। १६५४ में जगीरें रिज्यूम हुई, १६५५ से पहले कुछ केसेज़ ऐसे तय हुए जिनमें पहली फोर्मर स्टेट का फैसला था कि यह लाइफ ग्रान्ट है, अमुक जागीरदार के मरने के बाद यह जागीर स्टेट को रिज्यूम हो जायगी, तो इस प्रकार की जागीर स्टेट को रिज्यूम होनी चाहिये इसलिये गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्ट को देखने के लिये, यह देखना जरूरी है कि गलत सक्सेशन नहीं हो जाय। जिसको केवल लाइफ ग्रान्ट माना है उस पर किसी का गलत तरीके से सक्सेशन मंजूर हो जाने से, स्टेट को नुकसान होता है, स्टेट का इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व होता है। इसी तरह याबिन्दे जायदाद में से कोई नहीं है और गलत आदमी को अडॉप्ट कर लिया गया है तो इससे स्टेट का इन्ट्रेस्ट क्लैश होता है। इसलिये इस कानून को बनाने की आवश्यकता पेश हुई, एक-दो केसेज़ इस तरह के हैं, एक तो हमारे यहां माननीय सदस्य हैं सदन के, उन्होंने कई बार उस केस को सदन में दोहराया है। एक केस ऐसा ध्यान में आया कि १६५५ से पहले एक जागीरदार, जिसके सम्बन्ध में फोर्मर रूलर का, स्टेट कौंसिल का ऑर्डर था कि यह लाइफ ग्रान्ट है। उस जागीरदार के मरने के बाद याबिन्दे जायदाद की नस्ल में से कोई औलाद नहीं रही, एक थर्ड पर्सन ने अडॉप्शन के लिये एप्लाई कर दिया, स्टेट कौंसिल से रिसीट डिस्पेच का रजिस्टर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गायब कर दिया गया, जो डिसीज़न लिया गया था वह फाइल ही गायब हो गई, कोई पहली फाइल रही उसके पहले के ११ पेजेज़ फाड़ डाले गये, और फर्जी तौर पर सक्सेशन अपने नाम पर करा लिया। जागीर डिसीज़न एन्ड प्रोसिडिंग्स (वेलिडेशन) एक्ट १९५५ के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविजन के लिये भेजा कि इसको रिवाइज़ करें पर क्योंकि सेट आप लॉ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविजन के पॉवर्स नहीं थे, इसलिये यह दिक्कत पैदा हो गई, पोज़ीशन यह आई कि एक जागीर विदाउट कम्पेन्सेशन स्टेट को रिज्यूम हो जानी चाहिये थी, वह नहीं हुई और एक गलत आदमी लाखों का मुआवजा पाने का मुस्तहक हो गया, इसलिये आवश्यकता महसूस हुई कि गवर्नमेंट को इस प्रकार के पॉवर्स रखने चाहिये कि गलत आदमी, फ्रॉड के बेसिस पर या और किसी बेसिस पर ऐसी कार्यवाही न कर सके, इस गरज़ से यह लॉ पास करने की आवश्यकता महसूस हुई। ये पॉवर्स गवर्नमेंट ने ही अपने आप में डेलिगेट किये हैं, हमेशा से ये पावर्स सोवरिन पॉवर्स रही है कि किसी स्टेट में अडोप्शन को स्वीकार किया जाय, ओरिजिनल ग्रान्टी की औलाद में है कि नहीं, यह पावर्स हमेशा से गवर्नमेंट में इन्वेस्ट रहे हैं और रखने चाहिये। मगर उन्हीं केसेज़ में होना चाहिये जिनका मैंने ज़िक्र किया, जनरल केसेज़ के लिये जनरल पॉवर्स नहीं ली जा रही हैं। जिन सर्कम्स्टान्सेज़ में इस कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, उनको मैंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा मोशन स्वीकार किया जाय।

श्री रघुवीरसिंह जावली (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय ने इस कानून के पीछे जो भावना है, उसको एक्सप्लेन किया जिससे ऐसी बात है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में संशय होगा, वह दूर हो जाय। लेकिन मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि हो सकता है कि राजस्व मन्त्रीजी की स्थिति में या मौजूदा सरकार की सत्ता में इस कानून के बनाने में इतनी ही भावना हो कि एक–दो केसेज़ जो उनके सामने हैं उनका पुनर्विचार किया जाय और जो उसका उचित अधिकार है वह उसको मिल जाय या सरकार में जाना है तो सरकार में मिल जाय, पर सदैव तो न मौजूदा राजस्व मन्त्रीजी रहेंगे और न यह सरकार रहेगी, कानून तो सदा रहेगा, यह चीज़ ऐसी हाथों में आ जायगी कि दस वर्ष तक एक जागीरदार को पता नहीं रहेगा कि मैं अपनी जागीर का मालिक हूं कि नहीं, सक्सेशन कैसे है, यह तो पिता के पुत्र का सक्सेशन तो है नहीं। इससक्सेशन के लिये कई कन्टेस्टिंग पार्टीज रहेंगी। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हुआ, उसका सक्सेशन मान लिया, जिन लोगों को फैसले से नाराज़गी है वे राजस्थान गवर्नमेंट के पास परस्यू करेंगे और इसमें हो सकता है वह दो–चार साल तक यों ही बैठा रहे। यह भी संभव है कि जिन जागीरदारों को दो–चार साल एन्जोय करते हुए हो गया, उनके केसेज़ को भी इन्ट्रेस्टेड लोग रीओपन कराने की कोशिश करेंगे। यह ठीक है कि आपने तो दो–तीन केसेज के लिये बनाया है पर इससे हज़ारों केसेज़ के लिये दरवाजा खुलेगा। जागीरों के सक्सेशन के केसेज़ की यह दुर्गति है कि रिज़म्प्शन हुए चार-चार, पांच-पांच साल हो गये पर सक्सेशन डिसाइड नहीं हो रहे हैं, इससे उन लोगों को न इन्टेरिम कम्पेन्सेशन

(श्री रघुवीरसिंह)

मिला है, न क्लेम मिल रहा है और वे लोग दर दर के भिखारी बने फिर रहे हैं।

छोटे छोटे जागीरदार जो सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ के जागीरदार हैं, उनके सक्सेशन के केसेज़ के डिसाइड होने में छः-छः, सात-सात साल लग रहे हैं तो आप फिर इस पर तेरहवां महीना लाद रहे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होने के बाद भी गवर्नमेंट के पास रिविज़न होगा, इसका कितना बुरा नतीजा हो सकता है, कौन जानता है कि ऊंट किस करवट बैठे ? तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी कानून की फाइनेलिटी होनी चाहिये।

Revenue Board is the High Court of Rajasthan in revenue cases. हाइ कोर्ट ऑफ राजस्थान के फैसलों को सरकार चैलेंज कर ले और फिर who is the party ? सरकार पार्टी है। सरकार को इन्ट्रेस्ट है तो सरकार जिस वक्त रेवेन्यू बोर्ड में फैसला हो रहा हो अपने इन्ट्रेस्ट के लिये खड़ी हो, प्रूव करे। यह नहीं हो सकता कि एक जगह इम्पर्शियल ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया और चूंके हम इन्ट्रेस्टेड हैं, बैठ कर कह दें कि गलत फैसला हो गया, हम फैसला देंगे, यह कोई फैसला देने का तरीका नहीं है। अगर इस तरह के केसेज़ हैं तो रेवेन्यू बोर्ड को रिव्यू के पॉवर्स दे दीजिये और ठीक तरह प्रूव कराइये। गवर्नमेंट कन्टेस्ट करे और रिव्यू करवा लीजिये। जागीर कमिश्नर को और रेवेन्यू बोर्ड को इसीलिये इस प्रकार की पॉवर्स दी थीं कि हो सकता है कोई गलत डिसिजन हो गया है, उसको सही करने के लिये। उसमें ६ महीने की मोहलत उस तारीख से दी गई थी जिस तारीख से कानून अमल में आया। ६ महीनों का समय देकर रिव्यू का मतलब यह हो जाता है कि सरकार की निगाह में गलती हुई है तो रेवेन्यू बोर्ड को रिविजन के पॉवर्स दें और रिविजन कर लें। यह बड़ा अन्याय होगा कि सरकार को यह पॉवर्स दिये जावें कि सरकार के पास रेवेन्यू बोर्ड के फैसले की रिव्यू करे। रेवेन्यू बोर्ड एक इम्पार्शियल कोर्ट है और उसके फैसले की रिव्यू पार्टी (गवर्नमेंट) के पास आए। इसमें गवर्नमेंट पार्टी है और वह यह तय करे। यह तो किसी हालत में उचित नहीं हो सकता। वह यह कहेगी कि तुम भी खारिज हो और तुम भी खारिज हो। सरकार इसको रिज्यूम करेगी। मेरा यह निवेदन है कि सरकार वन साइडेड फैसला करेगी। यह तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। सरकार के पास ताकत है। यह ऑर्डर हो जावेगा कि इसमें तुम झूठे हो और इसमें तुम झूठे हो और मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इन्ट्रेस्टेड पार्टीज़ हैं वे भी इसमें गलती करेंगी। वे यह समझेंगे कि अगर किसी तरह से यह केस री-ओपिन हो जाता है तो हमारे हक में फैसला हो जावेगा। इस मुगालते में आकर वे ऐसा करते हैं। मगर उनका यह खयाल गलत है। होगा वही जैसे बन्दर ने कह दिया कि तेरा भी कुछ नहीं, तेरा भी कुछ नहीं। आखिर में वह जागीर सरकार में रिज्यूम हो जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आखिर कहीं तो फाइनेलिटी होनी चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला किया है। उसने गंभीरता से अपना निर्णय किया है। यह क्या कि रेवेन्यू बोर्ड ने तय कर दिया और अब आप यह कहें कि उसकी रिव्यू सरकार के पास हो ! उस बेचारे ने उसके पीछे सालों खर्च

(श्री रघुवीरसिंह)

किये हैं और अपना पैसा खर्च किया है। उस पर भी यह १० वर्ष का आप समय रख रहे हैं। १० वर्षों में कोई भी दरख्वास्त दे दे तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, यह गलत होगा। मान भी लें कि सरकार ईमानदारी से फैसला करेगी मगर फिर भी उसको तो तकलीफ हो जावेगी। दो-चार साल तक वह मामला चला जावे। इसके अलावा लोगों को बोन्ड्स मिल गये हैं और लोगों ने बोन्डस बेच भी दिये हैं। अब आपको थर्ड पार्टी के पास पहुंच कर पैसा लेना बहुत मुश्किल होगा। पैसा उन लोगों से लेना, कैसे लेंगे। आप उनके मकान नीलाम कराएगें। यह तो उनसे एक प्रकार की दुश्मनी साधना होगा। अगर आप देखें कि कोई ग्लेअरिंग इनजस्टिस हुआ है तो आप रेवेन्यू बोर्ड को ही रिव्यू के पॉवर्स दे दें। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होने के बाद भी १० साल तक हमारे सिर पर एक प्रकार की तलवार सी लटकती रहे, यह उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसमें संशोधन करके हाउस में पेश करेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Speaker, Sir, on this Bill I personally believe the intentions of the Government are not very clear. The first point that attracts my attention is that why was an ordinance passed so soon before the session was to be convened? That is a problem. I don't find it only in this particular case, but it has become a practice with the Government to get Ordinance issued soon before the session is to commence. I have tried to think over it, why this practice is followed in Rajasthan. The only conclusion that I have come to is this that whenever the Government is not certain about the support from its own ranks, they play a little trick upon their own members and that trick is to get an ordinance issued and after issue of that ordinance, they tell their own members that "Here is an ordinance which has already been issued. It is a fait accompli, which we have got to carry through." Unless this be the idea behind it, I really fail to see any reason why the ordinance was issued for a humble subject like this. There was no urgency about it. The House could consider it and every member of the Congress party would have been free to vote for to against it within their party meetings. But only with a view to avoid the members of the Congress party from taking any decision against this Bill, the ordinance was issued. I beg of the Hon'ble Minister to take this Houes into confidence and tell us why the ordinance was issued when the House was about to be convened. If there was any urgency the House could have been called earlier. When an ordinance has been issued, to keep up the dignity of the Hon'ble Governor of the State, we must pass it. It is begging the question itself. Let us be above board and unless we get a rational reply to the question that I have put, I have every resson to doubt the intention of the Government when ordina-

(श्री अर्जुनदास)

nce on such petty matters are issued.

The other point that I fail to understand is why should the Government like to keep powers in their own hands when the judgment of the best tribunal in Rajasthan has been awarded. After the judgment, what is the reason for the Government to keep powers in their own hands? Shall we not look upon it with greatest possible suspicion? Shall we not say that for any reasons a person or the whole party is trying to collect funds by this process for the purposes of next elections? I am afraid, if we give these powers to the Government, huge sums running into lakhs of rupees can easily be collected in matters like this, only with a view to fight the next general elections. Is that the reason for keeping such powers with the Government?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Can you quote any instance for it?

एक माननीय सदस्य : There are hundreds.

श्री मूलचन्द डागा : It is only a conjecture.

श्री अर्जुनदास : We are here to conjecture and come to the core of the whole thing. It is a matter in which crores of rupees are to be involved, and with a view to have control over all the persons having any claims, you want to keep the powers with you and not to give them to any tribunal. All along we are crying for keeping judiciary separate from executive, but here we are giving judicial powers to the executive. There can be enough bargaining and selling of justice in it. Why keep powers under control? You say that the Revenue Board or the highest tribunal have not been above board or have made mistakes. If they have made mistakes then the Government can also make mistakes. Then where is the check for that? The Government or any person above the Board of Revenue can also be selfish and try to extort money for any purpose. Possibly somebody may try to extort money and keep in his own bank account or utilise it for the purposes of next general elections.

I, therefore, suggest that the House should rise and decide that we should not give such powers to the Government after the decision of the best tribunal in our State. We must keep some sanctity for the judgments of our tribunals. With a view to keep them honest we must deal with them as honest men. Here you are telling them openly, "We are not prepared to accept your judgment" So we should not pass such law which might make confusion worse confounded.

श्री शिवचरणदास (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने आज लाया गया है संशोधन के लिए, यह १६५५ में हमने पास किया था। आज इस

(श्री शिवचरणदास)

विधेयक को देखते हुए सबसे पहले यदि हम देखें अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह समझता हूं कि एक तरफ तो स्वतन्त्रता के बाद नागरिकों को अपने अधिकार मिले हैं जिनसे उनको स्वतन्त्र किया गया है और एक तरफ हम समय समय पर इस प्रकार के विधेयक और ऑर्डिनेन्स पास करके उनके अधिकारों को कुंठित करना चाहते हैं और उनके हाथ पावों को बांध कर, उनके अधिकारों पर ब्रेक लगा कर उन पर अनाधिकार चेष्टा करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम, अध्यक्ष महोदय, आखिर यह क्यों किया जाता है जब कि सर्व साधारण के लिये हमारे न्यायालयों के द्वारा खुले हुए हैं जहां कि वे न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की आम तरीके से यह पोलिसी रही है कि किसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को अपने हाथों में रखा जाय ताकि जब वे चाहें उनको जिस ढंग से चाहें अपने प्रयोग में ला सकें। यह भी वही ढंग प्रतीत होता है, अध्यक्ष महोदय। स्वतन्त्रता के बाद एक ही देश में एक वर्ग विशेष के लिए एक अलग कानून बनायें और जन साधारण के लिए अलग कानून बनावें ये दो तरह की शक्तियां सरकार काम में लेना चाहती है। आखिर यह किस हेतु ? मुझे तो स्पष्टतया इसमें मेलाफाइडी इन्टेन्शन मालूम पड़ता है, अध्यक्ष महोदय। जब हमने सन् १९५५ में ऑर्डिनेन्स पास करके और कानून पास करके रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दे दिये थे कि इस प्रकार के जो केसेज़ हैं उनके लिए वह फाइनल आथोरिटी होगी और उनका ही इसमें अन्तिम निर्णय होगा और ज्युडिशियल तरीके पर इनकी कार्यवाही होकर रेवेन्यू बोर्ड अपना फैसला देगा लेकिन जैसा कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बताया इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि कुछ मामलों में गलत कार्यवाही हो गयी है। हो गयी होगी। दूसरे नागरिकों के साथ में जिनको अब जागीरदार सम्बोधित नहीं किया जाता है, उनके साथ में भी गलतियां हुई और हुआ करती हैं, तो उसके लिए वे उच्च न्यायालय और उससे भी आगे सर्वोच्च न्यायालय मौजूद हैं जहां से वे न्याय प्राप्त कर सकते हैं तो विशेष बात क्या हैं ? एक तरफ यह कहा जाता है कि जागीरदारियां हमने समाप्त कर दी हैं और जागीरदारों को समाप्त कर दिया है और दूसरी तरफ सरकार का इस प्रकार का मेलाफाइडी इन्टेन्शन होता है और वहां यह कहा जाय कि जागीरदारों के साथ यह बात करना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का एक वर्ग विशेष के साथ, हालांकि दूसरों के साथ यह वर्ग भी आज़ाद हुआ है और उनको उन सुधारों के नारों में प्रवाहित करके, उस वर्ग विशेष की सम्पत्ति को कानून द्वारा लेते हैं और यह बात करें कि सर्व साधारण के लिए जागीरदारियां नहीं रह सकतीं, ठीक है नहीं रही हैं, नहीं रह सकती हैं और न रहेंगी, हमने ही उनको समाप्त कर दिया, फिर यह विशेष बात क्यों थोपी जाती है कि सरकार को नुक्सान होता है। होता होगा। आप भी फरीक की तरह न्यायालयों में आवें। एक की शक्ति का दुरुपयोग करके एक वर्ग को कुंठित करना चाहते हैं, यह बात प्रजातन्त्र में कोई न्यायोचित नहीं है और न ही कही जा सकती है। सन् १९५५ में भीए क ऑर्डिनेन्स बनाया। इस दृष्टि को देखते हुए मैं उसकी भी आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन हमने बना लिया। अब एक विशेष रूप से जब कि आज से १० वर्ष पहले ही केसेज़ तय हो चुके है

Page No.34

(श्री शिवचरणदास)

उन केसेज़ को फिर से रीओपन करके उन लोगों को फिर परेशानी में डालना चाहते हैं जिन्होंने किसी प्रकार से न्याय प्राप्त किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि एक तरफ हम कहते हैं, और अभी अभी राज्यपाल महोदय के भाषण में एक जगह कहा गया कि समाज और आर्थिक स्तर के लिए सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिये और दूसरी तरफ इस प्रकार से आर्थिक स्तर में एक दरार डालना चाहते हैं । आखिर यह क्या बात है ? ये परेशानियां क्यों पैदा करना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इसको गहराई से सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की आपत्तियां लाकर हम किसी को क्यों परेशान करें ? आखिर यह किस प्रकार की स्वतन्त्रता है, और किस प्रकार का आर्थिक स्तर हमारा होगा । यदि सरकार यह कहती है कि सरकार का इसमें नुक्सान होता है तो, अध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई कि राजा और महाराजाओं के वक्त की कि सरकार के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता था, सरकार के मुकाबले में कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सकता था, उसी तरह से आज भी सरकार किसी तरह से हमारे हाथ, पैरों को बांध कर रखना चाहती है , यह कोई न्याय संगत नहीं है । यह कहा गया कि कुछ एक मामले ऐसे हैं जिनके कारण यह संशोधन करना चाहते हैं । आपने तो साधारणतया यह कह दिया । लेकिन यदि यह संशोधन कर दिया गया तो उसका असर न केवल दो-चार मामलों पर ही पड़ेगा बल्कि कई लोग इसमें बंधेंगे और आर्थिक स्तर में भी उनको बंधना पड़ेगा

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निस्संकोच कहूंगा कि उसी भ्रष्टाचार को सरकार पनपाना चाहती है जिसको कि आज हम बन्द करना चाहते हैं और जब सदन में इसकी आवाज़ उठाते हैं तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि भ्रष्टाचार का इश्यू बना लिया, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं, यह उचित नहीं है । पहले ही हम इस प्रकार के मार्ग क्यों अपनाते हैं जिनसे कि भ्रष्टाचार पनपता है, यह तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल रहे हैं । इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक मेरी जानकारी में आया है, वह सही हो, और वह सही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि राजस्व मंत्रीजी ने हमारे सामने उसका विवरण नहीं दिया है लेकिन इसमें वही केस स्पष्ट तौर पर लिया गया है । हिज़ हाइनेस का केस है जलाय का । रेवेन्यू बोर्ड केस नं० ६२, १०-१२-१६५८ को फैसला हुआ । हिजहाइनेस जयपुर के दो राजकुमारों ने १-२-१६५६ को जलाय पर अधिकार बता कर सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी, उसका फैसला रेवेन्यू बोर्ड ने उनके विरोध में दिया । जब विरोध में फैसला हो गया तो रेवेन्यू मिनिस्टर को श्रीजयसिंहजी की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई जिस पर राजस्व मंत्रीजी ने स्टे ऑर्डर कर दिया । स्टे ऑर्डर जब रेवेन्यू बोर्ड में गया तो ८ पेज का मेमोरेन्डम देकर कहा गया कि कानूनन कोई अधिकार नहीं है स्टे ऑर्डर के लिए भी । तो यह एक ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया और उसी को कानूनी रूप देने के लिए यह संशोधन पेश किया जा रहा है ।

(श्री शिवचरणदास)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा कि यदि हमने इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स और संशोधनों को पास कर दिया तो एक जन साधारण के साथ और मुख्यतः उस वर्ग के साथ जिसको हम पुनर्स्थापन करना चाहते हैं और एक तरफ हम यह कहते हैं कि हम सब के साथ सामान व्यवहार करना चाहते हैं उनके साथ इसका बड़ा बुरा असर होगा।

इस प्रसंग में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमने जो जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट बनाया है उससे प्राप्त सुविधाएं भी उन जागीरदारों को जो बड़े हैं और जिनका वसीला मन्त्री से मिलने का है या अन्य प्रकार के साधन हैं उनको ही प्राप्त हो सकती हैं। पर मैंने अपने यहां भीलवाड़ा जागीर कलेक्टर के दरवाजे के बाहर सैकड़ों की भीड़ में देखा है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : On a point of information, Sir, माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर बात कही है और जो बिलकुल ही बेबुनियाद और गलत ही नहीं बिल्कुल झूंठी बात है। महाराज जयसिंहजी की किसी दर्ख्वास्त पर मैंने कोई स्टे ऑर्डर दिया हो और रेवेन्यू बोर्ड से कोई मेमोरेन्डम आया और यह ऑर्डिनेन्स उस पर बनाया जा रहा है, यह कतई झूंठ है। बिलकुल झूठ है, ऐसा कोई ऑर्डर मैंने नहीं दिया और न ऐसा कोई मेमोरेन्डम ही आया।

श्री शिवचरणदास : यदि मेरी जानकारी सही है....

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि मेरी जानकारी सही, होने का सवाल नहीं है। मैं आपकी जानकारी को बिलकुल गलत बताता हूं। कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया मैंने इस तरह का।

श्री शिवचरणदास : आपके पास एप्लीकेशन आई है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एप्लीकेशनें तो मेरे पास पचासों आती हैं, पचासों के लिये आप कह सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, पर ऐसा कोई ऑर्डर मैंने नहीं दिया। मैं फाइल बता सकता हूं। महाराज जयसिंहजी का किसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपने दर्ख्वास्त पर फैसले की तामील को रोका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिलकुल गलत।

श्री शिवचरणदास : तो यह मैं बताऊंगा आपको।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह जागीर तो कभी की पुनर्ग्रहीत हो चुकी, १९५४ में पुनर्ग्रहीत हो चुकी, जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अधीन हो चुकी।

श्री शिवचरणदास : इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रश्न आता है। और इसी को लेकर यह केस चल रहा है।

(श्री शिवचरणदास)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज सैकड़ों की तादाद में वे जागीरदार जो नाम से जागीरदार सम्बोधित किये जा रहे हैं पर जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनको मुश्किल से मुआवज़ा भी मिलेगा तो सौ डेढ़ सौ से अधिक नहीं मिलेगा ; लेकिन आज उनके सामने किस प्रकार से परेशानियां आ रही हैं, वह सब आज मैं समझता हूं हमारे राजस्वमन्त्रीजी से भी छिपी हुई नहीं हैं। पर इस प्रकार का यह बिल लाकर उनको और खामख्वाह जलील किया जाना प्रजातन्त्र के अन्दर, मैं समझता हूं, न्यायोचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक चीज़ और निवेदन करूं कि जैसा कि इसके उद्देश्यों में बताया गया है सरकार को किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण की शक्तियां प्रदान करने को कहा है। इसमें इस बात की ओर ध्यान दिया गया है :

"इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि ऐसे कई मामलों पर निर्णय लेते समय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों ने सन्धिपत्रान्तर्गत राज्यों के तद्विषयक विधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। तदनुसार वे निर्णय राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल सिद्ध हुए।"

मैं नहीं समझता कि गलत निर्णय हुए या हैं। अगर हुए हों तो मैं पूछता हूं इसके लिये आप अपने हाथ में क्यों शक्ति लेते हैं। आप न्यायालयों में क्यों नहीं जाते ? आप क्यों नहीं यह पसन्द करते कि अपील में आगे न्यायालयों में जावें। कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है। हमने सुना इसका संशोधन १६५७ में भी आया। उस वक्त हमने उसके संशोधन में कलेक्टर और कमिश्नर के फैसलों की अपीलें करने का, उसमें अपील का प्रोविजन नहीं था इसलिये बीच में सरकार ने संशोधन लाकर अपील करने का अधिकार लिया था और संशोधन किया था। यदि ऐसी चीज़ इसमें भी थी, तो अध्यक्ष महोदय, सरकार यह संशोधन भी इस वक्त ला सकती थी।

आप जैसा कहते हैं कि यह बिलकुल गलत है तो इस प्रकार मामले विशेष के लिये मैलाफाइडी इन्टेन्शन अगर नहीं है तो यह संशोधन उस वक्त भी लाया जा सकता था।

एक तरफ हम कहते हैं कि हम बीच वालों को नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ हम इस तरह से मामलों को तोड़-मरोड़ कर लाते हैं। मुझे मालूम है, आपका बहुमत है, आप अपने बहुमत के जोर पर इसे पास करवा जरूर लेंगे। पर आखिर में मैं निवेदन फिर कर देना चाहता हूं कि इसका उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे जाकर आप भी ऐसा कौनसा फायदा इससे उठा लेंगे, यह भी आप सोचें। इसलिये आज जब कि हमने सबको अपना व्यवसाय करने की आजादी दी है उस समय सरकार का ऐसा रवैया रहता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत है और सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार का संशोधन वक्त वक्त पर वह लाती रही तो हम इनके द्वारा भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहन देंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिलेगी और यह मैं तो खुले रूप से कह सकता हूं कि

Page No.37

(श्री शिवचरणदास)

इसमें सिवाय भ्रष्टाचार का दरवाजा खोलने के और कोई मतलब नहीं निकलेगा । इसलिये मैं यह निवेदन करते हुए कि इसको वापिस ले लिया जाय और मूलतः इसका विरोध करते हुए कि यह संशोधन न किया जावे, अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन अध्यादेश, १६६०, में जो अधिकार सरकार अपने हाथों में लेने का प्रावधान रख रही है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें सरकार को विचार करना पड़ता है । कई फैसले ऐसे भी आते हैं बाद में सरकार के ध्यान में, जिनमें फैक्टस के आधार पर न्याय देना दुबारा जरूरी हो जाता है ।

सवाल सिर्फ यह है कि इस प्रकार की बात के ध्यान में आने के बाद या इस प्रकार के तथ्य सामने आने के बाद सरकार का यह फर्ज़ न्याय दिलाने का किस प्रकार से पूरा किया जाय ।

जहां तक न्याय दिलाने का सवाल है इसके लिये रास्ता निकाला जाय, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को मतभेद नहीं । किन्हीं तथ्यों के अभाव में किसी के साथ अगर पहले न्याय नहीं हो सका तो जब वे तथ्य सामने आवें तब उसे न्याय दिलाया जाना उचित ही है । अब प्रश्न यह है कि वह न्याय कैसे मिले ? ऐसे मामले में क्या सरकार खुद अपने अधिकार में लेकर उसका फैसला करे और न्याय दे या इसके लिये कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय और सरकार के स्वयं के हाथ में अधिकार लेना जनतान्त्रिक दृष्टिकोण से कहां तक ठीक है, यह देखना है । आज जब हम न्याय और प्रशासन को अलग करने की बात कहते हैं, इस हिसाब से सरकार यह अधिकार ले तो मुझे कोई अनुचित नहीं लगता कि सरकार के ध्यान में सही तथ्यों के आते ही पुनः उस केस को उन तथ्यों के साथ फिर उसी कोर्ट में रिविजन करने के लिये भेजे । इस दृष्टि से अगर यह अधिकार सरकार के पास रहता है तो न्याय की दृष्टि से उचित है ।

पर अगर इसका फैसला या रिविजन करने का सरकार स्वयं अधिकार लेती है तो यह मैं उचित नहीं मानता । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान की दस साल की राजनीति में चाहे कोई सरकार किसी भी समय रही हो पर राजस्थान का इस प्रकार का ढांचा रहा कि उसमें सरकारी पक्ष को अपने आपको मज़बूत रखने के लिये हमेशा इस प्रकार से कुछ करने के कानून, कुछ सत्ता अपने हाथों में लेकर मौके बेमौके उन्होंने उन, जो उनके विरोधी हो सकते हैं, को अपने नीचे दबाये रखने की नीति रक्खी है । जिसमें जागीरदार भी या बड़े आदमी या अधिकारी भी हो सकते हैं वे एक पक्ष के नीचे दबे रहें, इस उद्देश्य से उन्होंने इन कानूनों और सत्ता का उपयोग किया है और इसी भावना से उनको अपने हाथों में रक्खा है। यह भावना रही है । यह भावना हर कानून के बनाने में महसूस की जाती है । सरकार के सामने यही दृष्टिकोण हमेशा रहा कि इस बहाने आर्थिक दृष्टि से लोग हमसे से दबे रहें ताकि हम उनका लाभ उठा सकें ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं समझता हूं कि यह राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से भी हो सकता है। हो सकता है वह दृष्टिकोण आपका न हो, लेकिन ऐसा हुआ है, इस प्रकार से लाभ हमेशा से उठाया गया है। मैं समझता हूं ऐसी हालत के अन्दर राजस्थान सरकार को कोई कानून बनाकर एक नागरिक को अपने विचारों के दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार देना चाहिये, वहां किसी भी प्रकार से किसी के आर्थिक मामले पर प्रभाव पड़ने का सवाल होता है, उनके विचार चाहे कुछ हों वे भी इस प्रकार से दबा दिये जा सकते हैं। आज अगर कोई कानून इस प्रकार का बनता है जिससे दूसरे आदमी दबते रहें, यह अच्छा नहीं है। हमें ध्यान इस बात के लिए करना चाहिये कि हर आदमी का जीवन स्वतंत्र रहे, वह स्वच्छंदता से घूम फिर सके, अपने विचार रख सके, न किसी प्रकार का आर्थिक दबाव डाल सके तो यह उपयुक्त हो सकता है। इस कानून में संशोधन लाकर हम पुराने मामलों को जो कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा फैसल हो चुके हैं पुनरावलोकन के अधिकार सरकार को देना चाहते हैं। इस प्रकार से दस सालों में जो जो कार्यवाही हुई है इस कानून द्वारा उन लोगों पर प्रहार कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा कि इस मामले को लेकर दूसरे लोग जो अब इन मामलों में स्वच्छन्द हो चुके हैं तो उनके लिए भी ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जा सकती हैं जिससे वे भी आप पर आधारित रहें। मैं समझता हूं जहां तक सरकार द्वारा इन मामलों के अन्दर न्याय देने का सवाल है, कानून में व्यवस्था करने का सवाल है, वह अपने आप में बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिये। लेकिन जो संशोधन लाया गया है वह उच्च दर्जे का दिखाई नहीं देता। इसे अगर उच्च दर्जे का बनाना हो तो इसके अन्दर परिवर्तन करना चाहिये। इस प्रकार के मामले हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिए जायं तो फिर भी यह माना जा सकता है कि ठीक है, इससे कानून भी अच्छा बनेगा, उसके साथ साथ इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके अलावा जहां आप इस प्रकार के मामलों को अपने हाथ में लेंगे उसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। ऐसा संशोधन रखा जाना चाहिये जिससे किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न आ सके। रेवेन्यू बोर्ड को हम रेवेन्यू के मामलों में सबसे उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड मानते हैं उसके खिलाफ अगर हम कुछ अधिकार लेते हैं तो यह न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाय वह अपने आप में बहुत उच्च हो यही मेरा निवेदन है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन जागीर पुनर्ग्रहण कानून में लाया गया है उसके बारे में मेरी अर्ज है। अभी अभी मुखालिफ पार्टी की तरफ से यह बताया गया है, इस प्रकार के अधिकार शासन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये; न्याय के सम्बन्ध में जो भी बात हो वह न्यायालय द्वारा ही होनी चाहिये, वह पावर्स एक्जीक्यूटिव को नहीं लेना चाहिये। मैं निवेदन

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करना चाहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव है उसको जागीर देने और लेने के अख्त्यारात हैं क्या ? जिन स्टेट्स के अन्दर जो अब राजस्थान में मिल गई उनमें भी राजाओं को यह अधिकार था कि वे जागीरें दे सकते थे और वापिस ले भी सकते थे। जो पॉवर राजाओं को थे उन्हीं पॉवर्स का इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार के अधिकार गवर्नमेंट लेना चाहती है।

एक माननीय सदस्य : तो क्या आप राजा बनना चाहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप जरा शान्ति से सुनिये। मैं यह निवेदन करने जा रहा था, जिन राजाओं को इन्-हैरेन्ट पॉवर्स थे उनको व उनकी केबीनेट को वे लेना चाहते हैं। जो प्रणाली उस समय थी उसी को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। वे पॉवर्स जो राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड को दे रखी थीं उस रेवेन्यू बोर्ड के वे पॉवर्स सरकार अपने हाथ में उनके पुनरावलोकन के लिए लेना चाहती है। इसमें यह मानना नहीं चाहिये कि न्याय की अदालतें हैं उनके पॉवर्स एग्जीक्यूटिव लेना चाहती है, यह कतई नहीं है। जहां तक सार्वजनिक सम्पत्ति का सवाल है जैसे जागीरें हैं उनके इन्-हैरेन्ट पॉवर्स राजाओं को थे वे चाहे जब जागीर को ले सकते थे या दे सकते थे उसी प्रकार ऐसी चीजों में अगर किसी प्रकार की खिलाफवर्जी हुई है इन पॉवर्स के जरिये राजस्थान सरकार उसके पुनरावलोकन का अधिकार लेना चाहती है। यह सार्वजनिक न्याय पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, यही मेरा निवेदन है। इतनी सी बात जरूर है आयन्दा के दस सालों के लिए भी यह अधिकार सरकार अपने पास रखती है तो उसका मैं विरोध करता हूं। जब राजस्थान बना, उसके बाद से आज तक किसी प्रकार की अनियमितता हुई, किसी फैसले में कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन आगे के दस सालों के फैसलों के बारे में भी आप इस प्रकार भी तलवार लटकाये रहें तो इसको उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर मेल-मिलाप से या प्रेशर डलवाकर अपनी और फैसला करवा लिया हो, जो सम्पत्ति सार्वजनिक हित में काम आनी चाहिये उस पर कोई व्यक्ति अपना अधिकार कर बैठा हो उसे सार्वजनिक हित के लिए लेना जरूरी है। इसके अलावा आगे के फैसलों के बारे में ५ - ६ महिने की मियाद रखी जा सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। इस बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है कि हर जागीर के सक्सेशन के केस री ओपन कर दिये जायेंगे, हरेक को देखेंगे। मेरा आपसे निवेदन कि आप इसके बेक ग्राउन्ड को और इस बिल की मन्शा को, दोनों को साथ मिलाकर देखेंगे तो सही स्थिति सामने आ जायगी। आज यहां राजस्थान में कोई अन रिज्यूम्ड जागीर नहीं है। जहां सक्सेशन का सवाल आता है इन जागीर्स के बारे में, वे अपने पर्सनल लॉं से गवर्न होंगे। रिज़म्प्शन के बाद की जागीरों को लें, जहां सक्सेशन एप्लाई नहीं होता they are governed by their

(श्री दामोदरलाल व्यास

personal law. इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं होता । They are governed by their personal law as any other citizen of the country. आज से आगे के दस वर्ष तक इसको करते रहेंगे, ऐसा जो कहा गया उसके लिये निवेदन है कि जागीर के रिज़म्प्शन के बाद में जो कार्यवाही होगी वह उनके पर्सनल लॉ से गवर्न होगी इसलिये आगे के दस साल का कोई सवाल नहीं है । That is not the case.

उन केसेज के अन्दर ही जो फ्रोडरेन्टली धोखा देकर, फ्रॉड से या किसी अन्य तरकीब से किसी आदमी ने अपने हक में सक्सेशन ऑर्डर ऑब्टेन कर लिए हों जिसका कि उनको राइट नहीं, उसकी रेमेडी के लिये क्या उपाय है, उसके लिये यह संशोधन लाया गया है । आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविजन के पॉवर्स नहीं हैं, उसकी अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुन नहीं सकता····

श्री अध्यक्ष : सारे सक्सेशन के मामले थोड़े ही री-ओपन होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सक्सेशन नेचुरली बोर्न सन्स या ग्रान्ड सन्स के नाम पर है उसको टच करने का सवाल ही नहीं है । अडौप्शन की बेसिस पर जो सक्सेशन का क्लेम करते हैं और अडौप्शन के अन्दर जहां तक तमाम स्टेट्स थीं और जो उनमें लॉ था और जो ओरीजिनल ग्रान्टी की नस्ल में मेल डिसेन्डेन्ट था उसको अडॉप्ट किया जायेगा, उसको फोलो नहीं किया गया और एक गलत आदमी बाहर से आकर फंस गया और फ्रॉडुलेन्टली अपना अडौप्शन कराके उस जागीर का मालिक बन गया और वह जागीर जो कि वास्तव में एक सार्वजनिक सम्पत्ति होनी चाहिए उसका मालिक बन गया; तो जैसा आपने बताया कि १६५६–५७ में कोई प्रोविजन था उसमें अपील की राइट है । पर मैं आपको बताऊं कि आप धोखे में हैं; जहां रिविजन के राइट्स नहीं हैं, अपील के राइट्स नहीं हैं, जो जानकारी आप लेकर आये हैं वह गलत है ···

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आप धोखे को निकालने के बहाने अब धोखे में डालना चाहते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन शब्दों का प्रयोग मैं आपके लिए नहीं करना चाहता, जो आपको अच्छा लगे आप प्रयोग करें । यह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक उन केसेज़ का संबन्ध है, जो जो ऑर्डिनरी सक्सेशन के लिए हैं उनको दखल देने का सवाल नहीं है । अब जब यहां पर कोई अमेन्डमेन्ट आता है तो माननीय सदस्य एकदम उठते हैं और कहते हैं कि न जाने कितने केसेज़ नये री-ओपिन करना चाहते हैं और न जाने कितने केसेज़ री-ओपिन हो जायेंगे ।

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : आप बताइये कि किन किन केसेज़ को री-ओपिन किया है और गवर्नमेंन्ट की क्या पोज़ीशन है ? यह बताइये कि ये वे केसेज़ हैं और उससे गवर्नमेंन्ट को यह लॉस हुआ है । आप उन सारी बातों को दबा कर फायदा उठाना चाहते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, कानून बना रहे हैं । इस-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिए मैंने यह स्पष्टीकरण किया था कि यह पावर्स गवर्नमेन्ट के पास रहनी चाहिए और इनका रहना इसलिए जरूरी है कि यह पहले भी थे और अब भी रहने चाहिए। एक आदमी धोखे से, गलत तरीके से, एक जागीर को इनहरेन्ट कर लेते हैं तो उसके लिए प्रोवीजन नहीं बनाया। यह नहीं कर सकते।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वह न्याय में परिणित किया जाये, अगर किसी को इन्जरी होती है तो उसका रिड्रेस किया जाये। अगर किसी ने फ्रॉडुलेन्टली गलत फैसला करवा लिया है तो उसको उल्टा किया जाये। मैं यह भी मानता हूं कि अगर कहीं पर अपील करने की जगह नहीं है तो उसको मौका दिया जाये। इन सब को मानता हुआ मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि जो यह ऑर्डिनेन्स जनवरी, १६६० को शाया हुआ उस समय से लेकर हमारे सदन के मिलने तक, जब कि २४ फरवरी से हम यहां पर मिले हैं, एक महीना और पांच दिन का वक्त था अब मुझे यह समझने में थोड़ी बात नहीं आ रही है कि जब एक महीने का समय था जिसके बाद ही हम यहां पर मिल रहे थे और मिलते ही पहला काम भी शायद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद यही हो रहा है और ऐसे सक्सेशन के केसेज़ में हम यह मानकर चलते हैं कि ६ महीने, १२ महीने या १॥ साल तक भी यह केसेज़ चलने वाले हैं और ऐसे केसेज़ में फैसला एकदम या रातों रात हो जाये और दूसरे दिन उस फैसले को शाया करना पड़े, इतना इमीजियेट इन केसेज़ में एक्शन नहीं होता है। पहले तो नीचे के कोर्ट्स होते हैं, फिर रेवेन्यू बोर्ड होता है और जब कहीं जाकर फैसला होता है। तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि जो इतना इमीजियेट एक्शन लिया गया और जो ऑर्डिनेन्स निकाला तो मैं गवर्नमेंट की इन्टेन्शन को नहीं समझ पाया। मैं नहीं समझ पाया हूं कि क्या हम एक महीना और नहीं ठहर सकते। में यह अर्ज़ करूंगा कि जब आप इस तरह की चीज़ रास्ता चलते ओवरनाइट निकालना चाहते हैं तो यह मानी हुई बात है कि जनता को इसमें शक होता है और हम जो यहां पर आये हैं हमको भी शक होता है। आपने इतनी जल्दी क्यों की ? क्या बात है ? अगर कुछ पॉवर्स की जरूरत है तो आप यहां ऑर्डिनेन्स के बजाय दूसरी तरह की कोई चीज़ लाते और ऑर्डिनरी अमेन्डमेन्ट को लेकर यहां आते तो ज्यादा अच्छा रहता। पर यह आपकी पार्टी का एकदम पक्का निश्चित मत हो गया और आपने ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। पर यदि हम यहां से कुछ कहते हैं तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं मानता हूं कि इस मामले में सदन अपनी समझदारी से चलेगा और सभी की राय से जो कुछ होना है वह होगा। आप इस तरह का अमेन्डमेंट, जिसके लिए आपके ऊपर शक होना लाज़िमी हो गया है इस तरह का कदम उठाते हैं तो शक होना लाज़िमी होता है। मैं अदब के साथ फिर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस पर ऐसा मामला मालूम हो रहा है मुद्दई, मुद्दायला और मुखबिर तीनों ही एक हैं। मुद्दई भी खुद,

मुद्दायला भी खुद और न्यायधीश भी खुद । यह बात आज के डेमोक्रेसी में चलने वाली नहीं है। यह तो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है उनको यह चान्स दे सकते थे या फ़िर ट्रिब्यूनल को दे सकते थे या सेशन्स कोर्ट को दे सकते थे कि सिविल जुरिस्डिक्शन के ऊपर जाकर ऐसे मामले को लें। यह सब अधिकार लेना चाहते हैं तो अमेन्डमेन्ट के रूप में कोई चीज लानी चाहिए थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी भारी जल्दी क्यों की ? कुछ केसेज़ ऐसे हैं जैसा कि इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है कि 'There are some cases.'; तो सम केसेज़ के लिए आप इतना ड्रास्टिक एक्शन लेना चाहते हैं जिनको रिड्रेस करना आपके लिए मुश्किल हो जायेगा। आपको फिर विचार करना होगा कि हम किसी पोइन्ट को बदलें तो कैसे बदलें ? तो ऐसा ड्रास्टिक कदम लेने के लिए 'and that to for some cases only.' आपने ऐसा किया है और फिर आपने यह मेन्शन भी नहीं किया है कि यह अमुक अमुक केसेज़ के बारे में है । ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी इन्टेन्शन कुछ केसेज़ के बारे में है। यह तो वही बात हो गई कि जैसे आप किसी बच्चे के हाथ में कोई खतरनाक चीज़ पकड़ा दें और आप चाहें कि वह उससे खेले तो फिर आपको उस चीज़ से खतरा भी हो सकता है। तो इस सदन से जो चीज आप करवाते हैं या जो चीज़ आप निकालते हैं वही की वही इन्टेन्शन तो कोई कोर्ट की होती नहीं है । यहां पर कोई कोर्ट का आदमी नहीं बैठा है कि जो आपकी इन्टेन्शन को देखता रहे या जो आपकी इन्टेन्शन को समझ सके । तो कोर्ट का इन्टरप्रिटेशन लेजिस्लेचर के इन्टरप्रिटेशन से कितना डिफरेन्ट होगा और उसके लिहाज से जो कुछ फैसला होगा वह कितना डिफरेन्ट होगा, इसको सोचकर चलना है। ऐसी बात तो नहीं है कि कानून का एक वर्ड इधर का उधर आ जाये या इन्टेन्शन में किसी तरह का फर्क हो जाये। तो कोई कोर्ट आपकी इन्टेन्शन के मुताबिक फैसला देगी, यह मानकर हम नहीं चल सकते । एक चीज एक जगह ठहरी हुई नहीं है, परिवर्तन होना एक प्राकृतिक लॉ है।

१. म. प.

आप जिस इन्टेन्शन को आज ठीक करना चाहते हैं उस इन्टेन्शन को देखने के लिए शायद नहीं रहें, हम शायद नहीं रहें। यहां जो लेजिस्लेटर्स बैठे हैं सभी के सभी नहीं रहें, लेकिन जो कुछ भी आज आप बनाते हैं वह बाहर रहेगा । यह कानून बाद में रहेगा। उस वक्त कौन कहेगा कि नहीं नहीं यह इन्टेन्शन कोई नहीं था, दूसरे केसेज़ आपने सुझाये हैं जिनको बन्द करने की ज़रूरत नहीं थी; हमारी किसी तरह की मन्शा नहीं थी कि हम किसी को तकलीफ दें। अब जैसा कि दीख रहा है हमारे लोगों को शिकायत होती है और वाकई में माननीय सदस्यों को भी शिकायत होती है कि किस अन्दाज़ से और किस विचार से, किस इन्टेन्शन से इसका स्वागत करें। हो सकता है कि हम गलत हों और आपका इन्टेन्शन सच हो । लेकिन इसकी सेन्क्टिटी क्या है। रेवेन्यू बोर्ड की सेन्क्टिटी को हटाकर आप अपने हाथ में पॉवर लेना चाहते हैं। आप किसी ट्रिब्यूनल को दे सकते थे, हाई कोर्ट

(श्री अनोपसिंह)

को दे सकते थे। अपना पॉवर ऑफ रिविज़न किसी और को दे दें । आप मुद्दई और मुद्दायला दोनों नहीं बन सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, इसीलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि जो कुछ भी हम यहां पर चीज़ करें उसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। जिसको हम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, बड़े महत्व की चीज़ बना रहे हैं वह महत्व की चीज़ बिना महत्व की नहीं हो जाय। जो चीज़ हम बना रहे हैं या बनाते हैं उससे दूसरी चीजों को लेना पड़े। इसलिए समझदारी और विचार से अपनी भावनाओं को सरकम्स्का-इब्ड होने से रोकें। वह उस तरह से बनानी पड़े। माननीय राजस्व मंत्रीजी उसको गलत नहीं समझें । मैं किसी और विचार से नहीं अर्ज करूंगा। हम एक खतरे से बचने के लिए ऐसा कहीं न करें कि और खतरे मोल ले लें । हम अपने निश्चय से ही मुद्दई और मुद्दायला सब कुछ बन जायं, इससे अच्छा यह होगा कि हम किसी ट्रिब्यूनल को दे दें। आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर आपके पुख्ता आदमी हैं, मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, पढ़े-लिखे और एक्सपीरियन्स्ड आदमी हैं । शायद आपकी गवर्नमेंट के पास में ऐसे नहीं हों, और अगर मान लें कि हों भी तो भी बुरा क्या है ? अगर वहां फैसला कुछ कर दें, मैं मानता हूं कि कुछ गलत फैसले भी कर दिये हों, कहीं पर अनाचार हो गया हो तो रेवेन्यू बोर्ड को दे दें। आप यह समझते हैं कि वह नहीं कर सकता है तो ट्रिब्यूनल को दे दें, ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता है तो आप हाई कोर्ट को दे दें। अगर आप मुद्दई और मुद्दायला दोनों ही बन कर बैठ जायं तो फिर आपकी इन्टेन्शन पर शक नहीं किया जाय तो क्या किया जाय ? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ आपको करना उससे सूचित करें जिससे ऐसा नहीं हो कि जिस चीज़ को आप बनाने चले हैं वह दूसरी चीज़ को लेकर पड़ जाय ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस पर इस समय वादविवाद चल रहा है, यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो ऐसा लगता है कि प्रजातन्त्र में अब तक जितने भी अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों को वापिस समाप्त करने का यह प्रथम चरण है और इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाने का सौभाग्य प्रजातन्त्र के आधार पर इस सदन में बार बार उपदेश देने वाले माननीय राजस्व मंत्रीजी को मिला है । मैं यदि यह कहूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे राजस्व मंत्री महोदय उनके स्वयं के कहने के अनुसार कानून के माहिर हैं और ऐसी स्थिति में कानून के माहिर की ओर से यदि कोई कानून प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर और भी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सबसे पहिले यदि यह कहा जाय कि यह झगड़ा रेवेन्यू बोर्ड और राजस्थान सरकार का है और रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमैन और राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी के बीच का है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो मेरी बात कही वह शायद समझे नहीं हैं। मेरा कोई न रेवेन्यू बोर्ड से कॉन्फ्लिक्ट है और न उसके चेअरमैन से। जिस वक्त यह बिल मैंने सदन में रखा था तब कहा था कि एक केस कलेक्टर का डिसाइड किया हुआ था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास में रिविज़न पेश होना था, वह कानून की दृष्टि से पेश नहीं हो सकता था क्योंकि कॉवेनेन्टिंग यूनिट के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत गवर्नमेंट को रिविज़न के पॉवर्स नहीं थे। तब गवर्नमेंट के पास में रेमेडी नहीं रही। उसका न रिविज़न हो सकता था और न जिस अधिकारी ने फैसला दिया वह रिविज़न कर सकता था। उसमें न रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमैन से राजस्व मंत्री का कॉनफ्लिक्ट है और न राजस्थान सरकार का। उसको गलत तरीके से समझने की मेहरबानी नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अच्छा तो यही होता कि इसके कारणों को स्पष्ट रूप से हाउस में रखते; गलत तरीके से फैक्ट्स को छिपाने की कोशिश नहीं करते तो शायद सदन को किसी प्रकार का कोई मुगालता नहीं रहता। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस सदन का यह अधिकार नहीं है कि आप जहां जुडिशियरी के ऊपर, रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर, और एक आदमी का इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी से न्याय प्राप्त करने का जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर, आप किसी के नाम से एन्क्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं ? सदन का यह अधिकार है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछे कि यदि इस प्रकार का एन्क्रोचमेंट कर रहे हैं तो किन किन केसेज़ में एन्क्रोचमेंट होगा, यह आप बताते। सारे केसेज़ के फैक्ट्स सदन के सामने रखते कि उनमें इस तरह के केसेज़ हैं जहां पर किसी आदमी ने फाइल में से ११ पेजेज़ फाड़ दिये, किसी फाइल में से सारे कागज़ात चोर लिये थे, किसी जगह कागज़ात टेम्पर किये गये थे, किसी केस में कागज़ात उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों से रेवेन्यू बोर्ड न्याय नहीं दे सकता है और फिर रिविज़न करने की आवश्यकता महसूस हुई। उनके कहने के अनुसार मेरे सामने दो बातें आईं, एक तो यह है कि रेवेन्यू बोर्ड को रिविज़न के पॉवर्स नहीं हैं। कुछ केसेज़ रेवेन्यू बोर्ड में गये होंगे, जैसा कि उनका कहना है कि कुछ केसेज़ में हमारे सामने दिक्कतें आईं। उन्होंने कहा कि कुछ केसेज़ रेवेन्यू बोर्ड को रेफर किये गये लेकिन रेवेन्यू बोर्ड को रिविज़न के पॉवर्स नहीं थे, इसलिए कानून बनाया है, लेकिन इसमें आप रेवेन्यू बोर्ड को रिविज़न के पॉवर्स दे रहे हैं या राजस्व मंत्री जी स्वयं रिविज़न के पॉवर्स ले रहे हैं उनके पास में ? उनके कहने के अनुसार ही यह बात कन्ट्राडिक्ट हो जाती है। वे चाहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड को रिविज़न के पॉवर्स नहीं हैं इसलिए यह कानून लाये हैं, लेकिन उस चीज़ से इस कानून का कोई मतलब नहीं है। कानून से जो मतलब निकलता है वह यह है कि गवर्नमेंट को रिविज़न के पॉवर्स मिलने चाहिए। यह बात आपके कहने के खिलाफ है। इस प्रकार का मुगालता इस सदन को दे रहे हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

क्योंकि सदन के अन्दर फैक्ट्स को छुपाकर आप ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हैं और ऑर्डिनेन्स भी किस बात के लिए ? माननीय राजस्व मंत्री ने अब तक अपने भाषण में कहीं नहीं कहा कि जिस तारीख को ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया था उस तारीख को अगर इसको इश्यू नहीं करते तो करोड़ों, लाखों रुपयों का घाटा हो जाता और घाटे से बचने के लिए असेम्बली के सेशन का इन्तज़ार किये बिना ही ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया। वे तारीख वाइज़ स्टेटमेंट सदन के सामने पेश करें कि यदि उस दिन ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं होता तो राजस्थान में अव्यवस्था फैल जाती, करोड़ों, लाखों-रुपयों का नुकसान हो जाता। उससे रेवेन्यू मिनिस्टर की प्रतिष्ठा नहीं बनी रहती और सरकार की आलोचनाएं होतीं। गरीब लुट जाते। न तो गरीबों के लुटने का प्रश्न आता है, न इमर्जेन्सी की स्थिति पैदा होती है, न इस प्रकार के रीज़न्स और कारण मालूम होते हैं कि जिन कारणों से असेम्बली के सेशन का इन्तज़ार किये बिना ही ऑर्डिनेन्स इश्यू करने की स्थिति पैदा हुई। यह दो स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि इस सदन के अन्दर, बिना स्टेटमेंट रखे हुए, फैक्ट्सन रखते हुए माननीय राजस्व मंत्री सदन को मुगालता देकर एक ऑर्डिनेन्स को बिल के रूप में पास करवाकर एक्ट के रूप में लाने की चेष्टा करें। अच्छा होता कि राजस्व मंत्री पूरे फैक्ट्स सदन के सामने रखते ताकि पता लग जाता कि इन इन केसेज़ में सरकार के सामने डिफीकल्टीज़ पैदा हुई हैं, उन डिफीकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए सरकार की ओर से इस प्रकार का विधेयक पेश किया गया है। रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार नहीं देकर खुद अधिकार लेने की कोशिश नहीं करें। जिन केसेज़ में कागज़ात चोरी गये हैं और जिनके रिविज़न के लिए रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है उन केसेज़ को ही रेफर करेंगे। आज कौन रोक सकता है आपको। जिस किसी केस को रीओपन करना चाहेंगे आप रीओपन कर सकेंगे। आप सरकारी कानूनों के दायरे में न्याय करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपने स्वयं ने ही हुक्म दिया था, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फौजी सिपाहियों के लिए हुक्म दिया था। टिनेन्सी एक्ट में कुछ प्रोविज़न हैं लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया कि उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाय। कुल कागज़ात अगर माननीय राजस्व मंत्रीजी देखना चाहें तो दिखा सकता हूं। सदन में जो उत्तर दिया गया है, जो फैक्ट्स हैं उसके मुकाबले में किस किस तारीख को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिये हैं, आप चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो कुल कागज़ात

श्री दामोदरलाल व्यास : May I request, Sir, that we must confine to the relevancy of the Bill. यदि उनको डिस्कशन रेज़ करना है उस पोइन्ट पर तो उनके तरीके हैं, भीलवाड़ा के सैनिकों की पैरवी करनी है तो करें। मैंने गलत जवाब दिया है तो उसके लिए और तरीका है। बोलने में इर्रिलेवेन्सी को एवोइड करें तो अच्छा हो क्योंकि समय नियत है।

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस

(श्री भैरोंसिंह)

व्यक्ति को, जिस सरकार को आप अधिकार दे रहे हैं उनकी आदत कैसी है उनके प्रति हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आज्ञा देने वाले कौन महा पुरुष हैं जिन पर हम इतबार कर सकें, उनकी कार्यवाहियां जैसी हैं उनसे आभास हो सके कि गड़बड़ी नहीं होगी और कानून के विरुद्ध आचरण नहीं होगा। यह बात कही जाय तो उनको चिड़ जरूर आयेगी और चिड़ सहने की आदत नहीं है इसलिये वे उछल उछल कर बात करते हैं लेकिन जो फैक्ट्स हैं वे फैक्ट्स ही रहेंगे। मैं कहूंगा कि इस प्रकार का कदम अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जनता मांग कर रही है उसके विपरीत राजस्व मंत्री जी मनमानी करने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे जनहित का कोई प्रश्न नहीं आवेगा, लेकिन राजनैतिक और व्यक्तिगत प्रश्न आवेगा। यदि राजनैतिक प्रश्न नहीं आता है तो ईमानदार सरकार का कर्त्तव्य है कि फैक्ट्स सदन के सामने रखे। यदि सरकार ईमानदार है और जो कानून बना रहे हैं वह ईमानदारी से बना रहे हैं तो सारे फैक्ट्स सदन के सामने रखते। यदि नहीं रखते हैं तो सदन इस मतलब को समझेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाना तोहीन करना है, एन्क्रोच करना है, जनता के साथ खिलवाड़ करना है। इन सारी चीज़ों के लिये सदन को एकमत होकर विरोध करना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फूलेरा): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन भी है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर नहीं जाता हूं, लेकिन जो चीज़ मुझे ऑब्जेक्शनेबल मालूम होती हैं वे कहना चाहता हूं। बात यह है कि हम जो लेजिस्लेशन बनाते हैं उसको हर साल अमेन्ड करते रहते हैं। यह जो प्रेक्टिस है वह पब्लिक कॉन्फीडेन्स के लिये गलत है। यह जागीर वेलिडेशन कानून सन् १६५५ में पास हुआ, उसके बाद सन् १६५६ में एक बार अमेंड किया गया, फिर सन् १६५७ में अमेंड किया गया। अब यह तीसरा अमेंडमेंट लाया गया है। इसके कुल १५ क्लॉज़ेज़ हैं और ३ पृष्ठ का कानून है, उनमें से दो-तीन क्लॉज़ेज़ प्रिएम्बल, डेफिनेशन की निकल जाती है, अब जो १२ सेक्शन का दो पन्ने का कानून है उनमें तीन दफा अमेंडमेंट होते हैं। ये जो अमेंडमेंट होते हैं उनसे पब्लिक कॉन्फीडेन्स लोप होता है। जो कानून होते हैं, सेक्शन १२ में लिखा था "Finality of the Board's, order:- The order passed by the Board of Revenue under Soction 10 or 11 shall be final and binding on all concerned." जब हम कानून पास करते हैं तो लोग यह मानते हैं कि यह जो कानून पास होगा हमको उस पर आयन्दा चलना है और व्यवहारिक रूप में उसे चलाना है। लेकिन जब वे देखते हैं कि आज कानून बनता है, उसके बाद आप अमेंडमेंट करते हैं, ऑर्डिनेरी सेक्शन का अमेंडमेंट करते हैं, उसका असर नहीं पड़ता है लेकिन जो फ़ाइनेलिटी ऑफ ऑथोरिटी की बात है, जो ऑथोरिटी फाइनल फैसला करेगी that will be final and there will be no appeal or revision against it. यह तो आप डिफीकल्टीज़ क्रिएट करते हैं।

(श्री पी. के. चौधरी)

लोगों के मानस में यह बात पैदा होती है कि इस कानून में बोर्ड के डिसीजन या आज्ञा की वैल्यू कुछ नहीं है, मैं जीत जाऊं या हार जाऊं, यह अलग बात है लेकिन whatever will be the decision of the Board will be final. That was the state when the Bill was passed.

इसके बाद सन् १९५६ में अमेंडमेंट हुआ उसमें भी बोर्ड की फाइनेलिटी को टच नहीं किया लेकिन आज हम इतने दिनों बाद जो अमेंडमेंड लाते हैं उसमें बोर्ड की फाइनेलिटी को चैलेन्ज करते हैं।

अब सवाल यह है कि बार बार ये अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं और इनका असर क्या पड़ता है ? यह जरूरी है क्या ? मैं मिसाल के तौर पर एक बात आपके सामने रखता हूं। कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को और सर्विस कोआॅपरेटिव्ज़ को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी लोग यह कहते हैं कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग का मतलब यह नहीं होगा कि कलेक्टिव फार्म्स बना देंगे बल्कि जो शेअर होल्डर्स होंगे उनका शेअर ज्यों का त्यों बना रहेगा और सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब लोग यह देखते हैं कि यहां पर आज कानून पास होता है उसको हम दो साल बाद चेन्ज कर देते हैं जिसमें सोलेमली डिक्लेअर करते हैं कि उस कानून को भी हम चेन्ज करते हैं तो उनके सामने एक तरह का खतरा रहता है: Any solemn statement or authorised statement made by the Government or any statute or law passed by the Assembly is never treated to be final. अब लोगों में यह जो धारणा पैदा होती है कि जब मर्ज़ी आवेगी तब एसेम्बली मनमाने ढंग से कानून को चेन्ज कर देगी, तो जो हम सोशियल लेजिस्लेशन के जरिये सामाजिक चेन्जेज़ करना चाहते हैं और जो हम पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं उसके प्रति लोगों को विश्वास नहीं रहता है। कोआॅपरेटिव फार्मिंग का मैंने एक पर्टिनेंट एग्ज़ाम्पल दिया है। हमारे कहने पर भी गांवों के लोग हमारे पर भरोसा नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि उनका शेअर छीन लेंगे। वे हम पर इत्मीनान नहीं करते हैं, इसका कारण यह है कि समय समय पर टू सूट अवर पर्पज़ हम कानून को चेन्ज कर देते हैं।

अब दूसरा पोइन्ट यह आता है जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि दो एक केसेज़ ऐसे आये हैं जिनमें फ्रॉड हुआ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ओन मैटर ऑफ प्रिन्सिपल कानून जो बनाया जाता है "Law is the codification of general behaviour;" जनरेलाइज़ेशन होता है लेकिन पर्टिकुलर केस हो गया, उस पर हम सारे कानून को नहीं बदल सकते। हम अगर इस प्रकार से कानून को बदलते जायेंगे that means for single ingenous individual यदि कोई मामूली सी कमी रह गई तो कानून को बदल देते हैं। आखिर कानून का जन्म होता है, "The fraud runs ahead of law." यह फंडामेन्टल प्रिन्सिपल है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने भी पढ़ा होगा, "The fraud runs ahead of the law." कुछ न कुछ लूप होल्स और लेकुना रह जाते हैं जिनका फायदा कुछ लोग जरूर उठाते हैं लेकिन उनके फायदा उठाने की वजह से, एक-दो आदमी ने कानून के लेकुना का फायदा उठाया उसके लिये

(श्री पी. के. चौधरी)

सारा का सारा कानून कभी चेन्ज नहीं करते हैं। जब तक यह नोटिस में न आ जाय कि यह लेकुना इतना बड़ा है जिसकी वजह से the people in general have started circumventing the law. जब तक people in general have started circumventing the law because of that lacuna in law, it is not a good principle to bring about legislation to correct one or two individual actions. उसको करेक्ट करने के लिये दूसरी स्थिति अपनानी चाहिये और जिसे नहीं अपना सके। डेमोक्रेसी का तकाज़ा है कि उसको बरदाश्त करना पड़ेगा If you want to maintain people's confidence in these democratic institutions and in your solemn declarations, आप जो पॉलिसी डिक्लेरेशन करते हैं, कानून पास करने के समय ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स, स्पेसीफिकेशन्स देते हैं, उसके ऊपर लोगों का पर्मानेन्ट कॉन्फीडेन्स पैदा करना चाहते हैं तो सिंगल इन्स्टान्स के लिये कानून पास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक कागज़ जल गया था, इसलिए नहीं किया गया। इसलिये अब जरूरी हो गया कानून बनाने का........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I have never said that it is for a single instance that this law was amended. Several cases have come to the Government. I have only specified one or two instances for the sake of giving instances. There are many cases of this nature where people might have obtained succession by fraudulent means.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अभी दो-तीन केसेज़ के लिए फर्माया था।

श्री अध्यक्ष : वे तो मिसाल के तौर पर बताये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Can you give us the maximum number ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not possible to give the number, but there will be many.

श्री दलपतसिंह (आबू) : Are there hundred or thousand cases ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You can imagine yourself.

श्री भैरोंसिंह : He can create more than thousand.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि अव्वल तो जब कानून बनायें, एक टेन्डेन्सी जो है, हम बहुत जल्दी जल्दी पास करते हैं कानून, we don't give sufficient thought to it. One very bad tendency... जो हम यहां नोटिस करते हैं कि हम बहुत जल्दी कानून पास कर देते हैं। उसके बाद ऐसा कोई कानून पास नहीं किया है, मैं पिछले तीन साल से इस विधान सभा में हूं जिसके ऊपर हर साल अमेंडमेंट न किया हो। मुश्किल से एक आध कानून पास किया है, जिस पर अमेंडमेंट नहीं

(श्र पी० के० चौधरी)

लाये हैं। टिनेन्सी के अन्दर तो हर साल १०, ११ अमेंडमेंट लाते हैं। तो एक चीज नोटिस में आती है कि हम हरीड लेजिस्लेशन करते हैं। दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेशन पास करते हैं, we must be intelligent enough to visulise all these circumstances जिससे लूप एन्ड होल के एडवान्टेजेज़ उठाये जाते है। वह तब बन्द कर सकते हैं जब सफीशियेन्ट थोट दें, उसको लाइट में न लें, it is a discredit to us that we go on amending our legislation which we once passed. हम एक दफा कानून पास करने के बाद बराबर अमेंडमेंट करते हैं। यह डिसक्रेडिट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मैं तो खुद के लिए मानता हूं, it is a discredit on us too. We are a party to it.

तो मैं समझता हूं हर चीज के लिए एक तो हरीड लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिए और कानून बनाने के बाद उसमें अमेंडमेंट करने की बात नहीं लानी चाहिए जब तक हमको मालूम न हो; really it is causing great harm to the society or to the exchequer. ऐसा हमको मालूम न हो तो हमको अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए।

अब इसमें कम्पेन्सेशन का केस आता है। उन्होंने कहा कि फ्रोड से ले लिया, दूसरे ने नहीं लिया, दूसरा वंचित रहता है। There are Criminal Procedure and other laws; कानून का नॉर्मल रास्ता जो खुला हुआ है, जिसमें किसी डिसीज़न को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं I know this much that फ्रोड हुआ है तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हमारी जुडिशियरी को लेना चाहिए। हमें कानून नहीं बनाना चाहिए, जहां एक्ज़ीक्यूटिव फेल हो जाय ...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : फ्रोड में हाईकोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कौनसा लॉ है ?

श्री पी० के० चौधरी : भाई, हम कानून नहीं पढ़े हुए हैं।

फ्रोड इस तरह से हुआ, somebody claimed that he is an heir of that jagirdar. Then the other aggrieved party can go to the High Court in a writ that he is not the heir. यह सवाल कहां पैदा होता है, I am talking in the language of a layman. तो मैं लीगल भाषा में आपके सामने नहीं कह रहा हूं। आप कानून पढ़े हुए हैं, 'by fraud I' mean that somebody has claimed his right by fraud. That can be challenged in High Court. तो मेरा निवेदन था कि इस तरह कानून बना कर एक्ज़ीक्यूटिव का काम आसान नहीं करना चाहिए। हमें कानून बनाने चाहिए to guide the conduct of the people in general, not to protect the executive in their failures. तो यह जो कानून आया है, मैं समझता हूं जहां एक्ज़ीक्यूटिव फेल हुई है, उसकी प्रोपर इन्क्वायरी नहीं की, जिस गलत आदमी ने क्लेम कर लिया, it was the duty of the executive to detect and find out. They have failed there. आज उस बात को तो माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार नहीं करते, यह नहीं कहते, that his machinery has failed to detect it. वे यह कहते हैं कि फलांने ने गलत फ्रोड कर लिया है, फलांने

Page No.50

(श्री पी० के० चौधरी)

ने नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है तो इस तरह इसको अमेंड करना चाहते हैं We are giving a premium to the inefficiency of certain executive officers in our machinery. उसको भी हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बस, इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पहले जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया, उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने एतराज़ किया है परन्तु ऑर्डिनेन्स निकालने का संविधान ने अधिकार दिया है, उसके अन्तर्गत यह ऑर्डिनेन्स निकाला है। उसके कनूफ़र्मेशन के लिए जितना शीघ्र हो सके, सदन के सामने पेश किया गया है। मेरे खयाल से उसमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता।

दूसरा एतराज यह उठाया गया है कि रेवेन्यू कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट के डिसीज़न के ऊपर सरकार बैठ रही है और ऑर्डर को रिवाइज़ कर रही है। मेरे खयाल से वह ठीक नहीं है। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाय तो ठीक हो सकता है कि जुडिशियल कोर्ट के डिसीज़न को पहले हाइएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू डिसाइड कर दे। सरकार को रीओपन नहीं करना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि यह किस नेचर का केस है। लैंड रेवेन्यू में देखते हैं, दो तरह के केसेज़ होते हैं, एक तो जुडिशियल नेचर के और दूसरे नॉन जुडिशियल नेचर के। जुडिशियल नेचर के लिए रेवेन्यू बोर्ड को हाइएस्ट ऑथोरिटी दी गई है, नॉन जुडिशियल केसेज़ के लिए राज्य सरकार को ऑथोरिटी दी गई है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उसमें अमेंडमेंट हो गया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रिकग्नीशन ऑफ सक्सेशन ऑफ जागीर, ये जो मामले हैं, यह जुडिशियल नेचर के नहीं हैं। पुराने कस्टम हैं, ट्रेडीशन्स हैं कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स के अन्दर, उनको देखें तो मालूम होगा कि एक जागीर और सब ग्रान्ट के अधिकार देखें, एक बात के लिए भी क्लीअर कट लॉ नहीं है। पुराने कस्टम और ट्रेडीशन से वे चलते थे, ऑर्डर के मातहत से चलते थे। मेरे ख्याल से सुप्रीम ऑथोरिटी वहां के रूलर को होती थी या उसके बाद जो सब ग्रान्टी को जागीर देता था, उस ग्रान्टी को होती थी। इसी दृष्टिकोण से जागीर डिसिज़न्स एन्ड प्रोसीडिंग्स (वेलीडेशन) एक्ट पास किया गया। मैं मानता हूं कि जागीर के सम्बन्ध के जितने मामले हैं, वे सरकार से सम्बन्ध नहीं रखते। सरकार से सम्बन्ध न रख कर रेवेन्यू कोर्ट, कलेक्टर, कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड से सम्बन्ध रखते थे। तो यह बहुत बड़ी गलती की गई थी, उसके निराकरण के लिए यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। मेरे खयाल से इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। जागीर के सक्सेशन के मामले हैं, उसके अन्दर जिसने जागीर दी है, सरकार खुद जिसमें इन्ट्रेस्टेड है और जो पुरानी परम्पराओं को रिकग्नीशन देना है, मेरे खयाल से एक जिस केस के बारे में माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा था कि कॉवेनेन्टिंग स्टेट में नियम था कि ग्रान्टी मर जाता जिसका रीअल सन, ग्रान्ड सन नहीं होता था, वहां मोरूसाली कानून लागू किया जाता है। फ्रॉड से और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

मोरूसाली कानून के विरुद्ध उसको रिकग्ना-इज़ कर लिया कलेक्टर ने, उसमें रेवेन्यू कोर्ट आया नहीं, कलेक्टर ने किया था । इस दृष्टिकोण से यह कह देना कि कोर्ट ने ऐसा कर दिया, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है । पुराने कॉवेनेन्टिग स्टेट के अन्दर कुछ वर्षों पूर्व ऐसे सक्सेशन हुए । यह मोरूसाली का कानून जोधपुर में और दूसरी जगह लागू किया गया था । क्या हम चाहते हैं कि स्पष्ट तौर से फ्रॉड होते हुए भी इस सक्सेशन को हम रिकग्नाइज़ कर लें ? क्या जागीर रिज़-म्पशन एक्ट के मातहत हम कम्पेन्सेशन दें, जो रुपया जनता के हित में आ सकता है । तो कॉवेनेन्टिग स्टेट के रूलर्स की भावना नहीं थी, उसको क्या हम रिकग्नाइज़ करें । मेरे ख्याल से यह एतराज़ गलत है । मेरे ख्याल से यह जुडिशियल नेचर का केस नहीं कहा जा सकता, इसलिए सरकार समझती है और रिवाइजिंग ऑथोरिटी के रूप में ले लेती है तो कोई अन्याय नहीं है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल दोनों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप जवाब देंगे क्या ?

श्री नाथूराम मर्धा (कृषि मंत्री) : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बिल्कुल बेकार है बोलना ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : पहले ही ला जवाब हो गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वाकई मेटर लॉ का है, जागीर का है, रेवेन्यू का है, राजस्व मंत्री जी जवाब देते तो अच्छा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लॉ आपने जितना पढ़ा है उतना मैंने भी पढ़ा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपकी जुडिशियल ऑथोरिटी को चेलेंज नहीं करता पर मैं समझता हूं इसमें थोड़ी दिक्कत रहेगी। अच्छा आज देखते हैं,how high you rise !

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान जागीर डिसिजन्स एन्ड प्रोसीडिंग्स (वेलिडेशन) अमेंडमेन्ट बिल, १९६०, जो सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के व्हिप हैं उन्होंने अपने विचार सदन में रखते समय और राजस्व मंत्री जी ने भी इस ओर संकेत किया था कि कुछ केसेज़ में फ्रॉड हो गया और फ्रॉडुलेंटली डिसिज़न्स हो गये । यह बात कहने को तो बहुत साधारण सी लगती है लेकिन फ्रॉडुलें-टली डिसिज़न्स हो गये इस प्रकार का आरोप जब हम इस सदन में किसी कानून को पास कराने के लिये लगाते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि जिन अदालतों ने, जिन अधिकारियों ने निर्णय दिये हैं फ्रॉडुलेंट डिसिजन्स दिये हैं वे आपके हैं, वे अधिकारी आपके हैं, वे न्यायालय आपके हैं ! यदि राजस्थान में न्यायालयों पर फ्रॉड किया जा सकता है, किसी अधिकारी पर फ्रॉड किया जा सकता है तो फिर मैं समझता हूं मेरी तकरीर दूसरे मामले में खड़ी हुई थी, उस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

केस में भी फ्रॉड किया गया है। क्या इस चीज़ को आप मानने के लिये तैयार हैं ? जैसाकि आप कहते हैं जुडिशियल डिसिज़न्स हुए उनमें फ्रॉड हुआ तो फिर कमीशन की प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें भी फ्रॉड हुआ ? पर कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमने बड़ी से बड़ी जुडिशियल ऑथोरिटी थी, उससे जांच करवाई है, आप उनके प्रति शंका प्रकट करते हैं ? तो हम क्यों नहीं शंका करें कि नाथद्वारा एन्क्वायरी हुई है वहां भी फ्रॉड हुआ है। इसलिये आप फ्रॉड शब्द का प्रयोग मत कीजिये, यहां आप कोर्ट्स के लिये फ्रॉड का कहते हैं, वह कोर्ट नहीं है जिनके लिये हम कहते हैं, इस के बारे में तो फिर भी कोई कह सकता है कि फ्रॉड हुआ है पर यह कोर्ट्स हैं, जिनको कानून के तहत आपने बनाया है उनके लिये आप नहीं कह सकते कि फ्रॉडुलेंटली डिसिज़न्स ओब्टेन कर लिये गये और यदि किसी व्यक्ति ने इस तरह डिसिज़न हासिल किया, उसे आप फ्रॉडुलेंटली डिसिज़न समझते हैं जैसा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यहां पर कहा कि हम उनके सम्बन्ध में रिविजन रेवेन्यू बोर्ड में नहीं ला सकते तो आप पॉवर्स दे दीजिये, प्रोविजन रख दीजिये किसी कानून में, चाहे टिनेन्सी एक्ट में लिख दीजिये जागीर डिसिज़न्स एन्ड प्रोसीडिंग्स (वेलिडेशन) एक्ट में लिख दीजिये, कोई विशेष कानून इस विधान सभा में ले आइये कि १० साल के केसेज़ को रेवेन्यू बोर्ड रिवाइज़ कर सकता है। रेवेन्यू बोर्ड में रिविज़न पेश करने की कोई मियाद नहीं है। यह प्रेक्टिस है कि ९० डेज़ में रिविजन लावे, पर मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि डेढ़ साल में रिविजन एन्टरटेन किया है। इसमें भी दिक्कत महसूस करते हैं तो आप कानून ला सकते हैं विधान सभा में कि रेवेन्यू बोर्ड रिविजन कर सकता है। पर क्या अपने यह जरूरी है कि इस तरह के पॉवर्स आप हाथ में लें। जैसे आप फ्रॉड का चार्ज लगा सकतें हैं उसी तरह आप पर भी फ्रॉड का चार्ज लगा सकते हैं, तो क्या फ्रॉड करने वाले फ्रॉड के केसेज़ का डिसिजन करेंगे।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून सरकार विधान सभा में लाना चाहती है, विधान सभा की मोहर लगवाने के लिये, इसको क्या कानून कहा जाय ? यह तो जैसे जनरल अयूबखां पाकिस्तान में ऑर्डिनेन्सेज़ लागू करता है उस तरह का है। आप जुडिशियल कोर्ट के ऊपर बैठना चाहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने कर दिया, किसी ने कर दिया, आप कहते हैं हम मान्य नहीं करते, तो आप रिविजन के पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड को दे सकते हैं, इसी कानून के ज़रिये ये पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड को दे सकते हैं और किसी कानून के ज़रिये दे सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा राजस्व मंत्री महोदय से कि यह कानून आपकी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाता। यह हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि जब जागीरें खत्म हो गईं, जमींदारी, बिश्वेदारी, खेवटदारी खत्म हो गई, लैंड रिफोर्म्स का नाम खत्म हो गया, तो कुछ न कुछ काम चाहिये, और नहीं तो केसेज़ को डिसाइड करें, कुछ न कुछ काम चाहिये, कुछ न कुछ काम पैदा करना चाहिये, ऐसा काम आप इससे पैदा करना चाहते हैं और जाते-जाते जुडिशियल ऑफिसर्स का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं; जैसा कि पट्टा लावल्दी के केसेज़ में किया था, तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमारे कॉन्स्टिटियूशन में सबसे बड़ी विशेषता है, हमने जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से ऊंचा समझा है, आज राजस्थान सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हमने एक कमेटी बैठाई है जो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिये अपनी रिपोर्ट देगी। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो कोई जुडिशियल नेचर का प्रश्न नहीं है। तो मैं कहूंगा कि यह सरकारी नेचर का केस जरूर है जिससे कि विक्टिमाइजेशन होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि केसेज को री-ओपन करने के बाद आप लम्बे अर्से तक डिसिजन नहीं देंगे। माननीय राजस्व मंत्री अपने जवाब में बताने की कोशिश करें कि यह ऑर्डिनेन्स निकाला उस दिन कितने ऐसे केसेज़ पैंडिंग थे और आपने कितने केसेज़ को मंगाया है जैसा कि आपने ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है : "Since some cases of that nature were pending, it became necessary urgently to confer revisional powers upon the Government for that purpose and, therefore, an Ordinance was promulgated." इसलिये आपको यदि इसकी संख्या मालूम है, जैसा आप खुद कहते है, कुछ केसेज पैंडिंग थे तो आप उन केसेज़ की संख्या सदन में रखिये कि कितने केसेज़ को ऑर्डिनेन्स जारी करने के बाद आपने अपने पास मंगवाया है, नहीं मंगाया तो ऑर्डिनेन्स जारी करने की क्यों आवश्यकता हुई ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि केसेज़ को री-ओपन करने के बाद कुछ केसेज़ को तो दो साल तक लटकाये रखेंगे, केस पैंडिंग रहेगा और नेक्स्ट इलेक्शन में कहेंगे कि अच्छा आप जनसंघ के टिकट से खड़े हो रहे हैं, आपका केस हमारे पास पैंडिंग, पड़ा है और इस तरह इस प्रकार के पॉवर्स अपने हाथ में लेकर आप दबाव डालेंगे विक्टिमाइजेशन करेंगे क्योंकि आप कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े आधार स्तम्भ हैं; इसलिये कांग्रेस के अधिक से अधिक केन्डीडेट्स को जितना आपका फ़र्ज़ हो जाता है.......

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : जनसंघ के जागीरदार उनके टिकट पर खड़े नहीं होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोशिश करेंगे उनको जनसंघ के टिकट से खड़ा न होने देने के लिये। यदि राजस्व मंत्रीजी को मालूम हो जाय कि इस कानून के बनाने से दूसरों को फायदा है। तो ऐसा कानून वे हर्गिज़ नहीं लायेंगे, उनकी पार्टी का फायदा हो ऐसा कानून लायेंगे, कानून बनाने में उनका इस प्रकार का दृष्टिकोण बन गया है, और है। इसलिये वे इस तरह के री-ओपन किये हुए केसेज़ को पैंडिंग रखेंगे और क्योंकि आज यह बात साफ है कि राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा पोलीटिकल पार्ट प्ले किया जा रहा है, हमने केबिनेट में रिप्रेजेन्टेशन देकर कहा हमारे साथ आयें, कल हम राजाओं–महाराजाओं की खिलाफत करते थे, उनको जनता का शोषण करने वाले और खून चूसने वाले कहते थे, वे अब हमारी केबिनेट में बैठे है, बैठ सकते हैं, आज वे बैठ सकते हैं। सिद्धान्तों का कोई प्रश्न नहीं होता। कल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनसंघ के पास कोई प्रोग्राम और आदेश नहीं।

Page No.54

श्री अध्यक्ष : उत्तर का प्रत्युत्तर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संकेत मात्र कह देना चाहता हूं कि उनके केसेज़ आपके पास पड़े रहेंगे और उन केसेज़ से विक्टिमाइजेशन आप उनका करेंगे जो जागीर क्लास के लोग चुनावों में आपके खिलाफ़ लड़ने की नीति अपनावेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि उन लोगों के केसेज को उस समय तक पेन्डिंग रखे जावेंगे । आप उनसे कहेंगे कि आप हमारी खिलाफ़त करते हैं, आपका सक्सेशन का केस हमारे पास पड़ा हुआ है, हम आपके सक्सेशन को नहीं मानेंगे। रेवेन्यू बोर्ड में उसकी रिव्यू तो हो ही नहीं सकती । आप ही सर्वेसर्वा होते हैं।

अगर यही नजरिया आने वाला है तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का हित जनता का नहीं होने वाला है और काले कानून लोगों पर रहेंगे। महात्मा गांधी ने काले कानूनों के खिलाफ़ बड़े जोरदार शब्दों में अपनी आवाज़ बुलन्द की थी । उस समय के काले कानून कौन से थे जिसके खिलाफ़ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी? वे जनता के अहित के थे । आज इस लोकतांत्रिक युग में इस प्रकार के काले कानून, डेमोक्रेसी, अपोजीशन में ब्लेक एक्ट्स, काले कानून पास नहीं होने चाहिये और मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के काले कानूनों को यहां न लावें। आज इस कॉन्स्टिट्युशन एजल में आपका यह कहना और अगर अगर आप यह कहते हैं कि हम जुडिशियल डिसिजन को नहीं मानें, यह किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। हम रिव्यू के पॉवर्स गवर्नमेंट को ऐसे युग में नहीं दे सकते । एक तरफ तो आपने निश्चय किया है और जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के लिये आपने एडमिट किया है और उसके लिये आपने दलीलें दी है कि जहां तक केसेज़ का ताल्लुक है, मुकदमों का ताल्लुक है, जुडिशियरी और नॉन जुडिशियरी मे हम जाना नहीं चाहते, यह हम रेवेन्यू को पॉवर देते हैं। इसलिये आपने रेवेन्यू को पॉवर दिये। हम चाहते हैं कि एग्जीक्युटिव का ताल्लुक देश की विकास योजनाओं से रहे और देश की प्रगति से ही रहे । लेकिन न्याय की अदालतों ने जहां फैसले कर दिये और बाद में आप कहते हैं कि १० वर्षों के बाद तक उसको री-ओपन किया जा सकता है; एक, दो, तीन वर्ष की बात नहीं। पुरानी हकूमतों में पुराने जमाने के; जैसे अकबर और मुगल पीरियड और हिन्दू पीरियड के केसेज । उसी प्रकार व्यासजी के समय के केसेज़ आदि । यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रलोभन देकर कोई काम कराया, आप फिर उसको टटोल कर वापिस उखेड़ना चाहते हैं। एक ठूंठ को चूंस कर आपने फैंक दिया उसको फिर आप उठा कर उसमें से रस निकालना चाहते हैं । उसका रस तो पहले ही निकाल लिया गया है, उसके बाद में जो कुछ बचा हुआ रस है उसको फिर आप उसमें से निकालना चाहते हैं। इस प्रकार आप तीन–तीन रीजीम के केसेज़ को वापिस री-ओपन कर सकेंगे, जो लोग उन रीजिमों में उनके कृपा पात्र रहे हैं। उनको आप परेशान करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने पहले केसेज़ डिसाइड कर लिये हैं उनके लिये आपको यह शिकायत

Page No.55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो सकती है कि ये फ्रॉडुलेन्ट हुए हैं । हो सकता है कि आप यह कहें कि फ्रॉडुलेन्ट डिसिजन दिया गया था। तो १० वर्षों का समय तो बहुत भारी होता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इसके अलावा यहां पर बैठने की कुर्सी परमानेन्ट नहीं है। आप भी इन कुर्सियों से चले जावेंगे जिस प्रकार दूसरे चले गये और मैं भी चला जाऊंगा। आपके बाद कुर्सियों पर बैठने वाले यही कहेंगे कि आपने जो डिसिजन दिये वे फ्रॉडुलेन्ट थे और वे जिस प्रकार आज आप १० साल का समय रख रहे हैं वे २० साल का समय रखेंगे। यह तो कांच के रिफ्लेक्शन वाली बात होगी।

(हर्षोल्लास)

मैं यह कहूंगा कि यह कानून जो आप बनाने जा रहे हैं लोकतन्त्र के जमाने में अच्छी परम्परा की बात नहीं है। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है कि जुडिशियल डिसिजन पर आप बैठ जावें। मैं आपके इस कानून की ताईद करता, मगर इस प्रकार के कानून जो कोर्ट के डिसिजनों को बराये ताक रख कर आप लाना चाहें, यह उचित नहीं है। मैं यह कहूँगा कि कोई भी सदस्य चाहे किधर भी बैठने वाला क्यों न हो, आपका व्हिप जारी हो गया तो आपके साथ रह सकता है, आपका समर्थन कर सकता है; मगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर कहेगा तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी आपके इस कानून का समर्थन नहीं करेगा।

यह कानून है, आपके कानून की पब्लिसिटी हुई होगी। लेकिन आपके इस कानून की पब्लिसिटी अखबारों में पहले हो चुकी है। आपने विकेन्द्रीकरण किया और उसके साथ साथ आपने ऐसा काला कानून भी पास किया, आपने इसको अखबारों में पढ़ा होगा। इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि किसी तरह से आप इस प्रश्न को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें। पब्लिक की सलाह सही है। जब कभी प्रश्न खड़ा होगा कि कितने केसेज़ जनरल इलेक्शन तक पेन्डिंग रहे और किस प्रकार से जनरल इलेक्शन में उसका असर होगा। आप इस झगड़े में न पड़ें। यदि आपके पास किसी प्रकार का झगड़ा हो कि इस मामले में फ्रॉडुलेन्ट डिसिजन हुआ है और उससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ है तो मैं आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिये आपकी मनोवृत्ति के साथ हूं और अगर आप चाहें तो मैं उसकी पैरवी करने के लिये तैयार हूं, लेकिन अगर आप इस पर मत लेते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप निर्णय नहीं ले सकते। इसलिये मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपके पास केसेज हों जिसमें गवर्नमेंट को नुकसान होता हो, पब्लिक एक्सचैकर को नुकसान होता है तो आप रेवेन्यू बोर्ड को या हाई कोर्ट को इस सम्बन्ध में पॉवर्स दें या किसी हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करें, उसकी जांच के लिये। आपको जहां ५० लाख का नुकसान होता है तो आप ५ लाख रुपये इसमें दे दीजिये। सारी प्रोपर्टी एस्चीट एक्ट में आवेगी। मैं इसमें आपके साथ हूं। मगर वह डिसिजन आपके हाथ से होने वाला होता है तो यह बात ठीक नहीं है।

इसलिये अंत में मैं एक बार फिर

Page No.56

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो गलती हो गई है वह तो हो गई है उसको सदन में स्वीकार कर लेना चाहिये। गलती को सदन में स्वीकार करना बहुत बड़ी बहादुरी होती है। यह नहीं कि एक बार कानून पेश कर दिया सो कर दिया। कानून पेश करने के बाद भी जब सद् बुद्धि आती है, सद् बुद्धि की प्रेरणा देर से आती है। जब प्रेरणा आए तभी गलती मान लें। महात्मा गांधी को महान् क्यों मानते हैं और देश में मान क्यों करते हैं। वह इसीलिये कि वे अपनी गल्तियों को स्वीकार करते थे। लेकिन आप अपनी गल्तियों को स्वीकार नहीं करते। महात्मा गांधी अपनी गल्तियों को स्वीकार करते थे उसी में उनकी महानता थी। आप भी अपनी गलती को मान कर अपनी सद् बुद्धि का परिचय दीजिये। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस कानून को बनाने का जहां तक सम्बन्ध है राजस्व मंत्री ने कानून बनाया, यह ठीक है लेकिन यह कानून बनाने में सबसे ज्यादा हाथ था, वह मेरा है। दूसरों को मालूम नहीं है कि यह कानून क्यों बनाया गया? यह कानून इसलिये आया कि आज से चार साल से बराबर, चारावास केस को लेकर कहता हूँ, कलेक्टर चूरू व गंगानगर ने बीकानेर में कई जागीरदार बना दिये। ६० या ७० तो एक डिस्ट्रिक्ट में हैं। कलेक्टर ने बनाये और रेवेन्यू बोर्ड से भी उस डिसिजन को मनवाने को तैयार हुए। इसलिये राजस्व मंत्री को इसमें डिफीकल्टी पेश हुई। इसलिये यह कानून आया है। मगर इसके लिये जब आपकी इतनी बदनामी हो रही है तो आप यह रेवेन्यू बोर्ड पर ही छोड़ दें। जैसा भाग्य में होगा, होगा।

एक बात और है जिस पर विचार करने की जरूरत है। किसी जागीरदार जो उस जागीर का हकदार नहीं, ६ वर्षों से उस पर कब्जा किये बैठा हो और सब कुछ रुपया, लाखों रुपयों की संपत्ति बरबाद कर दी हो और जो मुआवजा आया उसको भी पूरा कर दिया हो, उसके बाद जब आप उस जागीर पर किसी नये जागीरदार को रखते हैं तो वह सारी जायदाद छीनने के लिये क्या दूसरा तरीका होगा? इसके लिये अगर कोई विचार हो तो उसके लिये सुझाव दें तो विचार में आ सकता है, क्योंकि यह राजस्थान की आम जनता से सम्बन्ध रखने वाली चीज है जिन पर अन्याय होगा और अन्याय होगा तो किस तरह से उसको कम्पेन्सेट किया जाएगा। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इसका रेवेन्यू बोर्ड में डिसिजन हो जावे तो उसके बाद सरकार के पास रिव्यू नहीं जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड बहुत बड़ी कोर्ट है। मैं समझता हूं कि जिसका १० वर्षों से कानूनी ढंग से कब्जा हो जावे उसके बाद दूसरा जागीरदार होता है तो पहले जागीरदार ने जो कर्जा कर लिया है वह कैसे उतारा जावेगा। नये व्यक्ति को तो १० साल बाद जागीर मिली है, इससे पहले ही पहले वाले जागीरदार ने जागीर का कम्पेन्सेशन ले लिया, मकान बेच खाये, कम्पेन्सेशन के बोन्ड बेच खाये, तो दूसरा जागीरदार बना है वह रुपया कहां से देगा? तो उनमें भी यदि डिग्री हो गई तो क्या होगा? कहां से आवेगा? यदि पोइन्ट यह

(श्री मदनसिंह)

दिमाग में आवे, उसके बाद आप सोचें। या तो उनको माफी हो, खा गये सो खा गये। ऐसा नहीं हो १० साल की जागीरों से कोई फायदा नहीं। इस कानून के साथ उन कलेक्टर्स को तो निकाल ही देना चाहिये जिनके समय में यह घोटाला हुआ हैं, इतना अनर्थ हुआ, अन्याय हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : उनके कहने से किया हो तो ?

श्री मदनसिंह दांता : उनके कहने से तो यह नहीं हुआ है वे भले आदमी हैं। कहीं कह दिया हो तो मुझे पता नहीं। चरवाहा केस में खुद रेवेन्यू मिनिस्टर सोच रहे हैं कि रामसिंह से कैसे वसूल हो । १७,१८ हज़ार रुपया खा गया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हैं। ऐसे मामलों में यदि डिसिज़न हो भी गया तो फायदा क्या होगा ? इसका स्पष्टीकरण कर दें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, समझा दें कि इस तरह से उगाई हो जावेगी, लॉसेज़ की रिकवरी हो जावेगी, उससे कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अनर्थ होने वाला है। वैसे ही जागीरदारों के पास अब क्या रहा है ! रेवेन्यू मिनिस्टर साहब अपने हथकन्डों से प्राप्त कर लेंगे, और भी नीति है उनके पास। लेकिन यह कानून किस तरह से लागू होगा, एक पोलिटिकल दृष्टि से नहीं, किन्तु जिस तरह से हम सफाई से बात करते हैं उसी तरह से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बता दें कि जीतने वाले जागीरदार के लिए क्या होगा और जो खा गया जागीरदार उससे किस तरह से होगा। ये लॉज़से हुए हैं; गवर्नमेंट की तरफ से भी उन पर जुल्म हुए हैं, गवर्नमेंट इसी को देख कर उनको माफ कर देगी। हरज़ाना जागीरदार का हुआ तो क्या उसको गवर्नमेंट देगी ? कलेक्शन करेंगे तो कुछ आवेगा नहीं। आपकी सद्भावना होते हुए भी सतीशचन्द्र जी फरमा रहे हैं इसलिए आप भी उन छोटे अफसरों में आ जावेंगे तो आपकी बदनामी की सूरत है।

श्री अध्यक्ष : श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जागीर डिसिज़न्स एन्ड प्रोसीडिंग्ज़ (वेलीडेशन अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनेन्स, १६६०, के सम्बन्ध में जो विशेष बात कही गई है वह यह है कि रिविज़न के पॉवर्स सरकार को न दिये जाय और दूसरी बात यह कही गई कि सरकार को पॉवर्स दिये जायं तो रेवेन्यू मिनिस्टर को न दिये जांय। एक तरह की यह भावनात्मक बात कही जाती है, सेन्टीमेन्टल बात कही जाती है। जो विचार अब तक हाउस के सामने आये हैं उनसे यह बात प्रकट होती है। देखना यह है कि रिविज़नल पॉवर्स का सिग्नीफिकेन्स क्या है, किसको मिलने चाहिए केसेज़ कोर्ट में आते हैं तो जो हाईयेस्ट कोर्ट होती है, या जो हाईयेस्ट ऑफिसर होता है उनके पास रिविजन के लिए वे जाते हैं और उसके लिए उनको अधिकार दिये जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूंगा कि क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड के सेक्शन ४३५ में रिविजन सुनने का हक है। उसके बाद अल्टीमेट ऑथोरिटी जो हाईकोर्ट है वह ४३७ सेक्शन के अन्तर्गत उसके पास जावेगा और वहां से वह ग्रान्ट होगा। काइ-

(श्री आबिदअली)

टेरिया यह है कि अल्टीमेट ऑथोरिटी है वही रिविज़न कर सकती है । हमारा जो रेवेन्यू लॉ है उसमें जितना जुरिस्डिक्शन है उसमें ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें रेवेन्यू बोर्ड को एक बात करने की ऑथोरिटी है; जैसे मातमी के केसेज़ हैं उनकी सेन्क्शनिंग ऑथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड है। फिर बताया कि रेवेन्यू बोर्ड है सेक्शनिंग ऑथोरिटी तो कोई रिविजनल ऑथोरिटी तो होनी चाहिये।

१.५४. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही रिविजन की ऑथोरिटी होगी । जिस तरह से रेवेन्यू बोर्ड सेक्शनिंग ऑथोरिटी है तो फिर उनका रिविजन किस प्रकार से करेगा? आखिर रिविजन कौन करेगा? मैं किसी इन्डिविजुअल केस में नहीं जाना चाहता हूं, व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं कहना चाहता लेकिन महज़ इस किस्म की बात कह देने से रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं उनकी पोजीशन पर फर्क नहीं आ सकता, उनकी इन्टेलीजेन्सी ने भी फर्क नहीं आता है। हमारें यहां जो दर असल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन्स हुए हैं उनमें उनका बड़ा भारी हाथ है और इसमें दो राय नहीं हो सकती है। इसमें आप भी इन्कार नहीं कर सकते हैं। उनको इसकी क्रेडिट मिली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : किसको ?

श्री आबिदअली : रेवेन्यू मिनिस्टर को। वे सन् १९५४ से काम कर रहे हैं। कोई रिएक्शन हो जाय और उस कारण हाउस में बैठ कर इस प्रकार की बात कह देने से काम नहीं चल सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केबिनेट का एक्सपेन्शन हो गया है, अब यहां बात कहने से क्या फायदा है ?

श्री आबिदअली : मुझे केबिनेट की परवाह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी आपके साथ सहानुभूति है।

श्री आबिदअली : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मैं मूल बात आपको कह रहा हूं आप उसका जवाब दीजिये, लोजिकली आप उस बात का जवाब दीजिये। एक सैंक्शनिंग ऑथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड है उसको रिविज़न के पॉवर्स किस कानून के तहत में मिल जावेंगे। आप भी वकील हैं, कानून का आपको भी ज्ञान है, अनुभव है, आप बताइये टिनेन्सी एक्ट के ९२ वें सेक्शन में ऑथोरिटी है। वहां पर सैंक्शनिंग ऑथोरिटी है तो क्या उसी को रिविजनल पॉवर्स होने चाहिये, यह कानून अपीलिंग है और महज़ सेन्टमेन्ट्स में नहीं बहना चाहिये। मैं आपको मेरे वकालत के केसेज़ को बताऊं। पेन्डिंग केसेज़ का यहां हवाला नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक केस है ठिकाना केड़ और ठिकाना मावटा। शेखावाटी से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे इसकी तस्दीक करेंगे। ठिकाना केड की एक जागीर थी, मावटा वालों का चार आना हिस्सा था। गांव में रहता था, उसको नोटिस नहीं हो सका। सेन्क-

(श्री आबिदअली)

शन रेवेन्यू बोर्ड से हो गई और एक्सपार्टी फैसला हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड में गवर्नमेंट एडवोकेट भी तो आते है जिनको ४०० रुपया आप देते हैं।

श्री आबिदअली : गवर्नमेंट एडवोकेट है तो यह आर्ग्युमेन्ट आपका एक वेग आर्ग्युमेन्ट है, इब्तिदा में भी गवर्नमेन्ट एडवोकेट होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्सपार्टी कैसे कहा गया ?

श्री आबिदअली : जिस पार्टी को नोटिस मिलना चाहिये था न मिला, आना चाहिये न आ सकी और एब्सेन्ट होने से एक्सपार्टी हो गया। एक मुकदमे में तीन डिफेन्डेन्टस हैं। यदि एक डिफेन्डेन्ट एक्सपार्टी हो जाय तो तीनों के ही खिलाफ़ एक्सपार्टी थोड़े ही हो गया। आप वहां मौजूद हों और आप कहें कि एक के खिलाफ एक्सपार्टी न हो। एब्सेन्ट है तो एक्सपार्टी होगा। मैंने इन्स्टान्स के तौर पर केड और मावटा ठिकाने का केस बता दिया। इसके लिए सोल्यूशन वही है कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हुआ है उसको सेट असाइड किया जाय। इस बारे में जब कानून हाउस मे आता है तो फिर उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कानून का जवाब कानून से दीजिये भावनाओं में मत बहिये।

२ म० प०

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें जो संशोधन लाया गया है इसको इन्डिपेन्डेन्ट व्यू से देखा जाय तो इसमें हम कह सकते है कि हम डेमोक्रेसी का कत्ल करने जा रहे हैं। अगर हम यह समझते हैं कि किसी ने जागीरों पर फ्रॉड से और किसी दबाव से, धोखा देकर कब्जा कर लिया है तो उनके लिये रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद भी सार्वजनिक सम्पति पर नाजायज़ कब्जा करने के कारण उनको दंड दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिये, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। उन लोगों को स्टे आॅर्डर देते जो जागीरदार नहीं और जागीरों पर कब्जा कर लिया हो। इस डेमोक्रेटिक पीरियड को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने रेवेन्यू बोर्ड द्वारा फैसला प्राप्त कर लिया है उसके लिये उसके रीओपन करने के अधिकार किसी अदालत को न होकर एक व्यक्ति विशेष यानी रेवेन्यू मिनिस्टर के पास रहते है तो समझता हूं उसमें मनमानी हो सकती है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर के लिये कहना नहीं चाहता, किन्तु यदि एक चेयर के पास इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं तो उसमें मनमानी करने की गुंजाइश हो सकती है। जिन्होंने फ्रॉड से किसी प्रकार कब्जा कर लिया है तो उसके लिये मेरा तो यह कहना है कि उनका कम्पेन्सेशन बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। लेकिन डेमोक्रेटिक पीरियड में इस प्रकार के अधिकार एक रेवेन्यू मिनिस्टर या सरकार को फाइनल आॅथोरिटी के रूप में हो यह कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। आज हम इस बिल द्वारा रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के सम्बन्ध में उसके रिविजन के अधिकार एक चेयर के पास देने जा रहे हैं। मेरा यह मत है कि इससे डेमोक्रेसी का एक प्रकार से कत्ल हो रहा है। मैं समझता हूं इस

(श्री दलपतसिंह)

कानून के द्वारा जो लोग रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद रिहेबिलिटेट कर पाये हैं उनको हैरेस करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इससे लोगों के दिमाग में तरह तरह के विचार होंगे और इस तरह से बहुत से केसेज़ रीओपन हो जायेंगे। मेरा यह निवेदन है कि जिनके बारे में रेवेन्यू बोर्ड द्वारा फैसला हो चुका गवर्नमेंट को चेलेन्ज करने की आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड में भी सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं जो बड़ी अच्छी सेलेरी पाते हैं, ट्रेन्ड हैं; उनके फैसले को चैलेन्ज करके आप एक जगह एक हकूमत के पास अधिकार लेते हैं इसको डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। अगर रेवेन्यू बोर्ड से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे मामले हाई कोर्ट में ले जाये जायं ताकि डेमोक्रेटिक बेसिस पर न्याय मिल सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री); माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और समर्थन भी किया है। मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि इस बिल को पेश करने की क्यों आवश्यकता हुई? बहुत जोर इस बात पर दिया गया कि जुडिशियल ऑथोरिटी के ऑर्डर्स को रीओपन करने का जो तरीका है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां तक जागीरों के सक्सेशन का प्रश्न है आप इस चीज़ को दो हिस्सों में तक्सीम कर सकते है। जागीरों के रिज़म्प्शन का पीरियड सन् १६५४ से शुरू हुआ है आज तक सब जागीरें रिज्यूम हो चुकी हैं। इसके बाद में सक्सेशन का प्रश्न है वह तो उनके लिये, जागीरदारों के लिये अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। इसके द्वारा उन केसेज़ में दखल देने का किसी प्रकार का अधिकार नही है, उनके सक्सेशन के मामले को री-ओपन करने का सवाल नहीं। एक तो पोज़ीशन यह रही। इससे यह ख्याल तो दुरूस्त हो जाना चाहिये कि जागीरदारों के केसेज़ री-ओपन हो जायेंगे, यह गलत है।

अब हमें देखना यह है कि जागीर रिज़म्प्शन के पहले जागीरदारों के सक्सेशन के लिये कौन सा लॉ था वे जुडिशियल के मामलात में माने जाते थे या नहीं? आज भी हम देखते हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के इन्डियन स्टेटस के जितने भी केसेज़ होते हैं उनका डिसिज़न गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया लेती है। आप कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स को ले लीजिये वहां पर भी एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी ही इन बातों को तय करती थी। मैंने सन् १६५५ में वेलिडेटिंग एक्ट बनाकर के इस प्रकार के पॉवर्स को डिसेन्ट्रलाइज़ कर दिया था। उस समय कानून बनाकर रेवेन्यू बोर्ड को, कलेक्टर को, कमिश्नर को इस प्रकार के पॉवर्स देने का मकसद यह था कि इनके फैसले ठीक प्रकार से हो जायेंगे, हरेक लेवल पर उनको अधिकार दिया गया था।

जब इस दरमियान कई दूसरे वाकयात भी सामने आते हैं। जैसे ठाकुर साहब दांता ने इस सदन में एक बात कई बार कही थी कि एक मामले के अन्दर अनाधिकृत आदमी उस जागीर के मुआवजे का रुपया लेकर चला गया, गवर्नमेंट के पास कोई पॉवर्स नहीं, किस तरह से उसको गलत साबित करें। इस कानून के बनाने की यह मन्शा कदापि नहीं कि जनरल सक्सेशन के केसेज़

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जो हैं उनको री-ओपन करने की बात हो। पॉवर्स जो अलग अलग ऑफिसर्स को दिये हुए हैं उनको वापिस लेना नहीं चाहते।

जहां तक गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यूज़ और कन्सोलिडेट फन्ड पर असर पड़ने का सवाल है एक जागीर जो रिज्यूम होनी चाहिये उसको यदि गलत आदमी अपने नाम करा लेता है तो उस आदमी के लिये मैं नहीं कह सकता, किसी भी माननीय सदस्य को हमदर्दी हो सकती है।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया था अगर मान लीजिये रेवेन्यू बोर्ड से किसी प्रकार गलती से या फ्रॉड से कोई फैसला हो जाता है तो क्या रिविजन के पॉवर्स उसी को दिये जा सकते हैं। एलीमेंटरी रिविजन के पॉवर्स कदापि उस कोर्ट को नहीं होते जिसने ओरिजनल फैसला किया हो। यह मेरे खयाल से बहुत गलत होगा यह कानून से, जायज़ नहीं हो सकता। इसलिये रिविजन के पॉवर्स गवर्नमेंट को अपने पास रखने पड़ेंगे। इसको बिला वजह कोई यह समझे कि यह डेमोक्रेसी की हत्या है, उनका यह मानना गलत है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा जहां तक डेमोक्रेसी का सम्बन्ध है स्टेट की ग्रांट है वह किसी को दी हुई है उसमें टर्म्स एन्ड कन्डीशन एन्जोय करने के हैं। उसमें स्टेट को रिज़्यूम करने के सोवरिन पॉवर्स गवर्नमेंट को रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। इसके लिये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स थे, उन रूल्स के अन्तर्गत किसी को सक्सेशन ग्रांट कर दी गई है तो उसको वे री-ओपन कर सकते हैं।

मिसाल के तौर पर आप जोधपुर स्टेट को ही ले लीजिये। वहां लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजन था, जितने भी सक्सेशन के केसेज़ थे उसमें अपील करने का राइट था, उसके लिये मियाद मुकर्रर थी। इसमें रेवेन्यू बोर्ड के रिविजन की अपील करने का प्रोविजन नहीं था, आप मुझे समझाइये कि १९५५ से १९५८ तक के बाद में क्या किया? १९५८ में इसको अमेंड किया, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फाइनल ऑथोरिटी रक्खा। अब १९५६ से पहले का कोई केस है जिसमें फ्रॉडुलेन्टली सरकार के इन्टरेस्ट के खिलाफ किसी ने सक्सेशन ओब्टेन कर लिया और सरकारी खज़ाने से रुपया कम्पेन्सेशन का ले लिया। इसके बाद अपील करने का प्रोविजन था, जोधपुर वाले में तो नहीं, अपील की भी मियाद गुज़र चुकी इसलिये भी अपील नहीं कर सके तो बतलाइये कौनसा तरीका है जिससे सरकारी खज़ाने से गया पैसा वापिस ले सकें और फ्रॉड को रैक्टीफाई कर सकें। आप इसको पसन्द करेंगे कि सरकारी खज़ाने से इस तरह से लाखों रुपया ले जावें और नुकसान पहुंचा दें सरकारी खज़ाने को। सरकारी खज़ाने को नुकसान पहुंचाना डेमोक्रेसी की हत्या है या उसको वसूल करने का तरीका अपनाना डेमोक्रेसी की हत्या है। यह आप ही तय कर लें। केवल भावना में बहना और इसके इम्प्लीकेशन्स को नहीं समझना और बात इधर से उधर कह देना, यह जायज़ नहीं है।

प्रेस रिपोर्ट भी मैंने देखी है। पर वह इस सदन के सदस्यों के हवाले से आई है। इस कानून को समझने के लिये सारे इन्टीग्रेटिंग स्टेटों के सक्सेशन लॉज़ को समझने की जरूरत है। इसके बाद में वेलिडेटिंग एक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१९५५ को समझने की जरूरत है और फिर किन हालतों में सरकार यह संशोधन ला रही है उनको देखने की जरूरत है।

अब रिविजन का पावर भी सरकार को ही हो सकता है, क्योंकि फाइनल ऑथोरिटी जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो उसके निर्णय का रिविजन वही करे यह तो होता नहीं, इसलिये उसके निर्णय को रिविजन करने का अधिकार सरकार के ही पास हो सकता है।

अब मिसयूज की बात कही गई। मैं निवेदन करूं कि इतने इतने संशोधन यहां आये। आपने उनमें भी कोशिश की। पर एक भी केस ऐसा बता दीजिये कि किसी एक केस में भी सरकार ने (अश्रव्य) किया हो। तो इस बात की भी आशंका नहीं करनी चाहिये।

ठीक है लूपहोल्स कानून में रहते हैं इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि यह किसी इन्डिविजुअल के फायदे के लिये बनाया गया है या किसी के नुकसान के लिये। जो कानून है उसकी मंशा के मुताबिक सबको न्याय मिले इसी भावना से इसको बनाया जा रहा है। पर न्याय के बजाय सरकारी खजाने को ही कोई नुकसान पहुंचाए तो सरकार का भी और हरएक का यह फर्ज़ है कि उसको रोके। ऐसी सूरत में आप और हम सबको एक राय से इस बिल को पास करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

क्लॉज़ २

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है:
"(i) Substitute the words 'High Court' for the words 'Government" or 'State Government' wherever they occur.

(ii) In sub-clause (1) delete the following words and phrases wherever they occur:—

'On its own motion or' and 'or on the facts otherwise coming to its knowledge or notice'.

(iii) Delete part (b) of sub-clause (2)."

इस बिल को जिस उद्देश्य से पेश किया गया और कई सदस्यों ने शंकाएं और सन्देह व्यक्त किया उस दृष्टि को ध्यान में रखकर ही मैंने यह संशोधन पेश किया है और पहले ही पेश कर दिया था। कारण यह है कि जैसे राजस्व मन्त्रीजी ने बताया कि बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनमें रिविज़नल पॉवर न होने से गलत डिसिज़न हो जाने पर भी उसे बदला नहीं जा सकता इसलिए यह रिविज़नल पॉवर्स लिये जा रहे हैं और दूसरा यह भी बताया कि अब रेवेन्यू बोर्ड से ऊपर दूसरी सत्ता कौन हो सकती है जिसे यह पॉवर दिया जाय। इसलिए सरकार ने

(श्री शंकरलाल)

अपने हाथ में यह सत्ता ली है। वही रेवेन्यू बोर्ड से ऊपर है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर चूंकि लोगों को सरकार पर शंकाएं हैं, पर रिविजन का पॉवर होना भी जरूरी है इसलिए मैंने यह 'हाई कोर्ट' शब्द रक्खा है। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के विरुद्ध अपील या रिविज़न के पॉवर्स हाई कोर्ट को हों। इसलिए जहां सब क्लॉज़ में 'गवर्नमेंट' शब्द है वहां 'हाई कोर्ट' शब्द रक्खा है।

इसका कारण यह है कि जब एक न्याय की अदालत रेवेन्यू बोर्ड कोई मामला तय करती है और इसके बाद में कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि जिसकी बिना पर कहा जा सके कि इस निर्णय में न्याय नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाकर अपना न्याय प्राप्त किया जा सकता है, फिर वह न्याय चाहे कोई पार्टी प्राप्त करे या सरकार करे। अगर सरकार यह महसूस करती है कि किसी ने धोखा देकर उसके खज़ाने से रुपया वसूल कर लिया है और गलत तरीके से कर लिया है तो सरकार हाई कोर्ट में अपील या रिविज़न की दरख्वास्त दे सकती है और वहां से फैसला करा सकती है। इसमें किसी को कोई शंका और सन्देह नहीं रहेगा और न किसी को कोई ऐतराज ही होगा।

एक बात और है, जब सरकार का इन्टरेस्ट इसमें इन्वोल्व्ड हो तो उसके फैसले का अधिकार सरकार को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये न्याय का तकाज़ा यह है कि जिसका जिसमें इन्टरेस्ट इन्वोल्व्ड हो उसको उस मामले में फैसला करने का अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। इस से लोगों को शंकाएं होंगी और न्याय के उसूल के खिलाफ़ भी यह बात होगी। इसलिए सरकार को इसका फैसला हाई कोर्ट से कराना चाहिए।

यह और भी जरूरी है जब कि राजस्थान सरकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रही है और न्याय को प्रशासन से अलग करने का इरादा रख रही है और इस दृष्टि से वह न्याय पंचायतें तक अलग कायम करने जा रही है, तो कानून में भी सरकार को इसी भावना से काम लेना चाहिये। सरकार अगर यह महसूस करती है कि रेवेन्यू बोर्ड के किसी फैसले से पब्लिक का या पब्लिक मनी का या सरकारी पैसे का अहित होने वाला है तो ये पॉवर, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट में वेस्ट कर दिये जावें तो क्या आपत्ति हो सकती है किसी को?

दूसरा मैंने संशोधन रक्खा है वह इस तरह है:

"(ii) In sub-clause (i) delete the following words and phrases wherever they occur:—

'On its own motion or' and 'or on the facts otherwise coming to its knowledge or notice'. उपाध्यक्ष महोदय, किसी सक्सेशन के मामले में किसी को आपत्ति हो और वह आकर कोर्ट के सामने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करे और जिस सत्ता में न्याय करने का हक निहित हो वह स्वयं इनीशियेटिव ले तो यह न्यायपूर्ण बात नहीं हो सकती। सरकार और जागीरदार के बीच झगड़ा होगा उसी प्रकार दूसरी पार्टी की तरफ से दूसरा भी आवेदनपत्र प्रस्तुत कर

(श्री शंकरलाल)

सकेगा पर यह "On its own motion and or on the facts otherwise coming to its knowledge or notice". ये शब्द हैं ऐसे हैं कि चाहे जब और चाहे जिस नोलेज पर बिना कारण दखल किया जा सकता है। उस पर पार्टी को आपत्ति हो सकती है इस लिए हाई कोर्ट में भी एप्रोच हो तो किसकी एप्लीकेशन हो। इसलिए यह संशोधन मैंने रक्खा है। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन के अन्दर जितनी भी जो बातें उठाई गई हैं उनको किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और राजस्व मन्त्रीजी का मकसद भी पूरा हो जायगा। फ्रॉड भी नहीं होना चाहिये, यह उद्देश्य भी उनका पूरा हो जावेगा।

साथ ही यह भी बात रक्खी गई कि यह जो दस साल की बात कही गई है इसमें आज जैसा शासन चल रहा है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आपका अमेंडमेंट नहीं है इसमें।

श्री शंकरलाल : इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट रक्खा हाई कोर्ट को पॉवर देने का, यह मैं रखता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके लिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी सूचना में बेशक फर्क है। वह समझते हैं कि सरकार और जागीरदार में कोई कुछ झगड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि प्रश्न है वह सक्सेशन किसको रिकग्नाइज़ किया जाय, यह है। फैसला यह करना है कि कलेक्टर, कमिश्नर ने या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब किसी जागीरदार का नेचुरल बोर्न सन (son) नहीं है तो क्लेमेन्ट्स में से किसको रिकग्नाइज़ किया जावे। All these officers will do recognition on behalf of the State. It is the State Government, and the State Government alone which is empowered to do under the law to give recognition to a particular succession of state Grantee. इसलिये यह सवाल नहीं है कि जागीरदार और सरकार के दरमियान किसी बात का झगड़ा है। दर असल में हमें रिकग्नीशन देना है और उस रिकग्नीशन के लिये सम्पूर्ण अधिकार सरकार में निहित है। That is the State Government's sovereign right

श्री शंकरलाल (रायपुर) : तो क्या जागीर भी सरकार में ही वेस्ट होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर सरकार में वेस्ट होगी, तो गलत क्या है ? सक्सेशन अगर जायज नहीं रहता है तो वह भी होगा। तो यहां तो रिकग्नीशन का सवाल है, मुकदमेबाजी का सवाल नहीं है। इस दृष्टि से थोड़ा सोचने का ही सवाल है। कोई झगड़ा नहीं है जिसके लिये हाई कोर्ट में जाना पड़े या सरकार का इन्टरेस्ट होने से वह स्वयं फैसला न कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि सरकार किसको रिकग्नीशन दे। कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह फैसला करते हैं तो वह भी रिकग्नाइज़ ही करते हैं, अडॉप्शन के रिकग्नीशन का सवाल है। As far as the Governmentis concer-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ned, Government is to decide it on its merits. रहा सवाल दूसरे संशोधन का। मैं नहीं समझता कि कोई ख्वाब तो नहीं आवेगा सरकार को। तो कोई न कोई मूव ही करेगा, इत्तला ही देगा। जहां रिविजनल पॉवर का ज़िक्र आता है वहां ये ही शब्द होंगे। आप तो वकील हैं। जानते हैं इसको। जहाँ पॉवर रिविजन के हैं वहीं इस तरह के शब्द आये हैं: On its own motion or, 'and or on the facts otherwise coming to its knowledge or notice.' इसलिये यह भी ठीक ही है। मैं समझता हूँ कि आप सन्तुष्ट हो गये होंगे।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : सन्तुष्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing your motion ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : Yes, Sir, I beg leave to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ पर श्री शंकरलाल ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ और ३ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २ और ३ स्वीकार किए गए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९६० पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९६०, पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(२. २२. म. प.)

राजस्थान भू-धारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचारार्थ विमर्श एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

राजस्थान टिनेंसी (द्वितीय संशोधन)विधेयक, १९६०, को विचारार्थ लिया जाये।

श्री नाथूलाल करौल (लालसोट-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है। लेकिन मैं इसका विरोध करते हुए आप से निवेदन करता हूं कि इसके जो सेक्शन ४२ के अन्दर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह बता दिया है कि केनाल एरिया के खातेदारों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं दिया जाये। लेकिन जब सबके अन्दर समानता लानी ही है अपने यहां और दूसरे जिलों के अन्दर जमीन बेचने का अधिकारी है तो फिर केनाल एरिया के लिए क्यों ऐसा किया गया है ? अगर ऐसा किया गया तो मैं यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ ? लेकिन सेक्शन ४६ में जो अन्धे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं इनको तो जमीन बेचने का अधिकार देना ही चाहिये या जैसे विडो हो या कोई डाइवोर्स की हुई औरत हो तो उनको भी अपनी जमीन बेचने का अधिकार हो। सेक्शन ४६ के अन्तर्गत आपको इनकी अपनी जमीन बेचने का अधिकार देना चाहिये। आगे यहां क्लॉज़ ४ के अन्दर आपने यह बताया है कि जो सेक्शन ८४ है मूल एक्ट का, सब-सेक्शन (५) और (६) के अन्दर तहसीलदार के बजाय सब डिविज़नल ऑफिसर होना चाहिये। तो मैं कहूंगा कि इससे तो आपने हमारी दिक्कतें और अधिक बढ़ा दीं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : यह जो जनरल लाइसेन्स के लिये है। एक दरख्त या दो दरख्त काटने का अधिकार जो है वह तो तहसीलदार को होगा और जैसे जंगल के जंगल काटेंगे तो इसके लिये तहसीलदार को अधिकार नहीं होना चाहिये और इसके लिए सब-डिविज़नल ऑफिसर को अधिकार होने चाहिए।

श्री नाथूलाल करौल : जैसे एक चाही जमीन है और उसमें १०० दरख्त हैं और उनको हटाना है क्योंकि अगर वे दरख्त नहीं हटेंगे तो हमारी काश्त नहीं हो सकती उसके लिये तहसीलदार के पास जाकर एप्लीकेशन दे देते थे और वह तहसीलदार उसको पटवारी के पास भेजकर उससे रिपोर्ट मंगाकर देख लेता था और काम हो जाता था, लेकिन अब सब-डिविज़नल ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी होगी और वह फिर उसको तहसीलदार के पास भेजेगा और फिर तहसीलदार पटवारी के पास भेजेगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, यह प्रोसीजर नहीं है।

श्री नाथूलाल करौल : यही होगा। नहीं तो क्या सब-डिविज़नल ऑफिसर को स्वप्न आ जायेगा कि कितने दरख्त हैं ? वह जब तक इसके लिए तहसीलदार और पटवारी से रिपोर्ट नहीं मंगायेगा तब तक लाइसेन्स इश्यू नहीं करेगा; यह प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस अमेंडमेंट को ले आये, लेकिन दिक्कत यही होगी कि सब-डिविज़नल ऑफिसर के पास से तहसीलदार और तहसीलदार के पास से पटवारी के पास जाना पड़ेगा और फिर उसके पास से सब-डिविज़नल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और तब जाकर लाइसेन्स इश्यू होगा। यही

(श्री नाथूलाल करौल)

कह कर मैं बैठता हूं, इसको आप जरा देख लीजिये।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने राजस्थान टिनेंसी(द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०, विचारार्थ रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जैसा कि बार बार सदन में कहा जाता है कि हमारा ज्यादा कानून पास करना एक तरह से रिवाज़ सा पड़ गया है। इसी सम्बन्ध में मैं यहां तक कह देना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं समझ रहा हूँ कि राजस्थान के किसानों के मुतल्लिक सदन में बहुत जल्दी जल्दी कानून लाये जा रहे हैं। राजस्थान वास्तव में एक कृषि प्रधान देश है, इसके अन्दर ८० प्रतिशत के करीब किसान हैं उनके मुतल्लिक जो भी कानून सदन के अन्दर रखे जायें उनके ऊपर पूर्ण रूप से सोच विचार करके ही कदम उठाने होते हैं और उन्हें पास करना होता है। ऐसी सूरत में कोई भी जल्दी में संशोधन लाया जाये उसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार किये बिना पास कर दिये जाने का नतीजा खास करके उस वर्ग के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा अशिक्षित है, उनके ऊपर नहीं होता। कुछ दिन पहले उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कानून पास किया टिनेन्सी के सम्बन्ध में उसका क्या कुछ नतीजा हुआ? हमें एक परिपाटी सी डाल लेनी चाहिए कि जो भी कानून हम बनायें उससे पहले के जोभी उससे संबन्धित कानून बन चुके हों उनका एक रिव्यू जरूर करना चाहिये ताकि मालूम हो जाये कि उनके किसान कितने सुखी हुए या कितने दुःखी हुए। इसलिए हम आज तक जो कानून बना चुके हैं उनके मुतल्लिक गहराई में नहीं जाकर इतना कह देना तो मैं जरूर समझ रहा हूं कि कुछ दिन पहले राजस्थान केनाल के लिये कानून बनाया आज उसी के अन्दर एक हिस्से का इजाफ़ा और कर रहे हैं क्लॉज़ २ के अनुसार। तो वह मैं समझ रहा हूं कि वास्तव में राजस्थान केनाल के अन्दर खातेदारी छीनने का संशोधन जो कुछ दिन पहले बनाया तो उसका असर उस राजस्थान केनाल के एरिया में हम देखें त मालूम होगा कि किसान और भी अधिक दिक्कत, परेशानी में पड़ गये और उनकी तकलीफें और भी बढ़ गई। राजस्थान केनाल, उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों के बाद आने वाली हैं लेकिन आज वहां के किसानों को खातेदारी छीनने के नाम से जमीन से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार की रिपोर्ट वहां से आ रही है उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में कानून जिससे किसानों के दिल में स्थायित्व पैदा किया जाना चाहिये, जिससे कि उनको कुछ राहत मिले और उससे वह ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें और जिससे उनका और देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े उसको मद्दे नजर नहीं रखते हुए जल्दी में कोई कानून बना दें जिससे असर विपरीत हो, तो यह कदम उचित नहीं होगा। तो मैं एक मिसाल पेश कर रहा था कि कुछ दिन पहले राजस्थान टिनेन्सी के अन्दर राजस्थान केनाल, के अन्दर बसने वाले किसानों के लिए कानून बना और आज उसका क्या असर हुआ वह देखने से मालूम होता है। वहां के किसानों का एक डेपूटेशन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिला और वे किसान करीब ७०-८० की संख्या में आये और उन्होंने अपना सारा हाल सुनाया। उससे हम यह समझे

(श्री मोहरसिंह)

कि वास्तव में इस प्रकार की चीज़ उस समय हमारे सामने आई जो कि उस समय नहीं आनी चाहिए थी और उसी के अन्दर अब एक छोटा सा अमेंडमेंट और जोड़ा जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस चीज को बतला दूं। यह अप्रासंगिक नहीं होगा और जरूरी है कि वह चीज़ आ जानी चाहिए। राजस्थान केनाल के अन्दर बसने वाले जहां नहर आवेगी वहां के किसानों से संबंधित है और उसको नाम दिया है १५ए। जिनके पास २०० बीघा ज़मीन थी वह कानून बन जाने के बाद ५०—५५ बीघा के करीब ज़मीन रह जायेगी और उसके बाद में जो जमीन बाकी रह जायेगी वह खातेदारी छिन जाने से १५० बीघा से किसान को अलहदा होना पड़ेगा। आज जिस इलाके में १२ वर्ष के बाद में नहर आयेगी वहां पर लोगों के पास में जो रोटी का साधन है उस ज़मीन में १० सेर अनाज फी बीघा ही बड़ी मुश्किल से होता है। वहां पर अकाल १० साल में से सात साल पड़ता है उनकी ज़मीन छीन लेने का मतलब क्या हुआ ? और छीनी भी क्यों जाय कि वे खातेदार हैं, वहां पर गवर्नमेंट लैंण्ड होगी। गवर्नमेंट जिसके ऊपर मन्शा होगी उसको दे। इस तरह से वहां का किसान अपनी ३।४ ज़मीन से महरूम कर दिया जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि किसान ने जमीन छोड़ना शुरू की। नहर आयेगी और उस जमीन की प्रोडक्शन शक्ति बढ़ेगी १२ या १० वर्ष के बाद में। उस वक्त तक किसान खायेगा क्या ? उसका क्या इन्तज़ाम किया ? वह कोई इन्तज़ाम नहीं किया। नहर आयेगी उस बात के लिए, नहर के लिए उन्हें १० वर्ष तक के लिए पिटिएबल दशा में छोड़ दिया। वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। उन किसानों के पास खबर देर से पहुंची काश्त नहीं करने के लिए और उन्होंने वह ज़मीन काश्त कर ली। अभी ७०-८० आदमियों का एक डेपूटेशन आया था उसने हमारे सामने विचार रखे कि इस प्रकार से ज़मीन लेंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी हमने काश्त कर दी तो क्या हो गया ? हमारी जमीन थी उस पर काश्त लेकिन सरकार ने कहा कि तुमने जमीन पर बिना इज़ाज़त काश्त की इसलिए तावान दो, और तावान भी कितना ? ६ आना बीघा और १) रु० मालिकाना। मालिकाना जहां नहर से सिंचाई होती है वहां लिया जाता है। यहां नहर आयेगी १० वर्ष के बाद में, लेकिन उनसे १ रु० ६ आना तावान और मालिकाना लिया गया। इस नहर से ८।) रु० फी बीघा उनके ऊपर लगाया। राज्य की इज़ाज़त हुए बिना उस जमीन पर काश्त करने के लिए जो कि ५० वर्षों से, ४५ वर्षों से और ३० वर्षों से उनके पज़ेशन में थी और जिस पर फसल बोते चले आ रहे थे। गज़ब क्या कर दिया ? नहर आयेगी इसलिए खातेदारी राइट्स छीनने का कानून बना कि इतनी हो जमीन रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रख सकेंगे और तुमने इस ज्यादा ज़मीन पर काश्त क्यों की ? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं लगा, लेकिन उसको नहीं माना और कहा कि ८।) रु० फी बीघा के दो। ८।) रु० काश्तकार ने दिया। वह चुकाया। उसके बाद में जमीन का इस साल का लगान चुका दिया। उसके बाद में तावान भी दिया। अगर उनके पास में जमीन पूरी नहीं रही तो वे खायेंगे क्या ? किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन-पोषण

(श्री मोहरसिंह)

करेंगे ? इस तरह का कानून हमारे यहां बनाया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, वह वास्तव में ऐसी चीज़ है कि उस पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए।

उन किसानों पर जो उस इलाके में, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर के इलाके में रहते हैं, जैसलमेर का मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन बीकानेर की एक एक तहसील का अच्छा अनुभव है कि उससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा, यह वहां के लोगों से जाकर पूछेंगे तो पता लगेगा। वहां पर किसान खानाबदोश होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कानून जो कुछ बने तो पुराने कानून जो इसके मुताल्लिक बनाये गये हैं उनका रिव्यू हो, उन पर विचार हो। उसके बाद में कानून में संशोधन करने के लिए नये कानून लायेंगे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके के लिए यह बनाना उचित होगा। उचित ही नहीं जरूरी होगा।

तो मैं कह रहा था कि यह कानून जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें धारा १५ (क) में कुछ शब्द जोड़ने के लिए कहा गया है, इस अधिनियम की धारा के पश्चात् शब्द तथा अंक '१३ में या धारा' निविष्ट किये जायेंगे और सदैव निविष्ट हुए समझे जायेंगे।" राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १९५५ के अन्दर बनाया उसके अन्दर धारा १३ के अन्दर यह चीज़ रखी गई। जागीरदारों के पास जगीरदारी एबोलिशन के बाद में जो खुदकाश्त थी उनको खातेदारी राइट्स दिये गये हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीज़ों को दोहराने के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में यह समझा जाना चाहिए कि इस प्रकार के जो कानून हैं जिसकी एक क्लॉज़ यह है और दूसरी क्लॉज़ पर मुझे कहना है। कुल मिलकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के संशोधन जब टिनेन्सी एक्ट में लाने हैं तो इन संशोधनों के लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाकर उसके तहत में सारे सेक्शन्स पर विचार करें तो ठीक हो। किसान जैसा अशिक्षित वर्ग है उसके लिए रोज़ाना कानून बढ़ाते जायें, वे चक्कर में डाल दिये जायं, वकीलों की चकफेरी में डाल दिया जाये, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा, उस इलाके के लिए उचित नहीं होगा। जो किसान बीकानेर के हैं उनको नुक़्तेनिगाह से धारा १३ में तशरीह नहीं करना चाहिए, किसी की गलती रही है उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। धारा १३ के अन्दर खातेदारी राइट्स मान लिये हैं और खुदकाश्त की जमीन मान ली है उसका खमियाजा हमारे इलाके के लोगों पर हुआ। उसकी मेरे ख्याल से एक–दो मिनिस्टर साहब को जरूर अच्छी तरह की जानकारी होगी जो कि बीकानेर के इलाके में घूमे हुए हैं। धारा १३ के अन्दर जिसको वे खुद काश्त करते थे उस पर उनके खुदकाश्त के राइट्स मान लेना चाहिए। उनमें न भूल हुई है और न होगी। हमने एक मूल सिद्धान्त कायम किया है कि जमीन किस की, कि जो जोते उसकी। जमीन किसकी, जो बोता है उसकी। वे उस जमीन पर बरसों से काश्त करते आ रहे हैं। बीकानेर की मिसल बन्दोबस्त के खाना नं० ५ के अन्दर वे आदमी खातेदार थे........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस यह नहीं हो रही है कि उनको खातेदारी राइट्स हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

या नहीं। आप वाला संशोधन अभी तक पेश नहीं हुआ।

श्री मोहरसिंह : आपके मुद्दे पर मैं आ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेन्शन ऑफ पॉवर्स है। पहले क्या किया और क्या नहीं किया उससे इसकी रेलेवेन्सी नहीं है।

श्री मोहरसिंह : रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय जिस बात के लिए कह रहे हैं उसकी भूमिका के अन्दर........

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका अधिक विस्तृत हो गई है।

श्री मोहरसिंह : यह सारा मसला टिनेन्सी से संबंधित है। उनसे ज़मीन लेंगे उस फैक्ट से यह संबंधित है .. ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मेरी व्यवस्था है इस सम्बन्ध में यह है कि भूमिका अधिक विस्तृत हो गई है इसलिए आप संदर्भ पर चलेंगे।

श्री मोहरसिंह : मैं संदर्भ पर आ रहा था। वैसे किसान वर्ग को जो कि सदियों से पिछड़ा हुआ है उसे कानूनों और वकीलों के चक्कर से दूर रखकर प्रोडक्शन के अन्दर ज्यादा ध्यान लगवाये जाने की ज़रूरत है। इसलिए स्पष्ट से स्पष्ट और खुलासे से खुलासा कानून बनाया जाय तो सही होगा। तो क्लॉज़ २ में यह दिया गया है '१३ में या धारा निविष्ट किये जायेंगे और सदैव निविष्ट हुए समझे जायेंगे।' इस तरह का क्लॉज़ रखते हैं तो इस शब्दों पर पूर्ण रूप से विचार करने की बात है। इस चीज़ को सदन के अन्दर लाया जाय, इसको मैं सही नहीं समझता हूं।

धारा ३ में कहा गया है कि धारा ४२ ....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपका अमेंडमेंट नहीं है दो और तीन पर है।

श्री मोहरसिंह : संशोधन नहीं है लेकिन यह रखना चाहता हूँ। मैं मूल रूप से बोल रहा हूं इनके खिलाफ कि यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर बैठकर सिलेक्ट कमेटी में विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी संशोधन नहीं है।

श्री मोहरसिंह : इसको सदन के अन्दर रखा है। मेरा अधिकार है इसको कमेटी में रखने के लिये कहने का, मैं तो यहां कहूंगा कि इसको यहां पर विचार के लिये लिया ही न जाय, इस रूप में इसको समझें। इसके अन्दर ऐसी चीज़ आई है कि धारा १५ (क) में वर्णित जहां तक जमीन के ट्रान्सफर और बेचने का सवाल है, उनको हक है इसके तहत में, वहां आपने राजस्थान केनाल एरिया में उस हक से उनको वंचित किया है कि वे उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ३० एकड़ सिंचित और ६० एकड़ असिंचित पर किसान का अधिकार है बेचने का लेकिन राजस्थान केनाल या भाखरा केनाल के अन्दर खातेदार है तो वह उतनी जमीन भी नहीं बेच सकता है। जहां तक मैं समझता हूँ यह है कि किसान का मूल अधिकार है खातेदारी जमीन को बेचने का। वह राजस्थान केनाल के अन्दर जहां कि

(श्री मोहरसिंह)

डेवलपमेंट की स्कीम लाना चाहते हैं, एक तरीके से उसके अन्दर विकास करना चाहते हैं इसलिए किसान को अधिकार जो दिये हुए हैं जमीन के बेचने का उससे उसको वंचित कर रहे हैं कि वह नहीं बेच सकता है । मैं समझता हूं कि यह उसके मूल अधिकारों पर कुठाराघात है । जहां पर हर एक को, जिसके पास में सम्पत्ति है, उसको बेचने का अधिकार है वहां पर किसानों को जो ४२ के अन्दर इजाजत दी गई है उससे भी उसको वंचित कर रहे हैं वह वहां पर कोई ज़मीन नहीं बेच सकता है । वह भी इसलिए कि गवर्नमेंट वहां पर नहर लाना चाहती है । राजस्थान का किसान मना नहीं करता है । डेवलपमेंट किये जायं । लेकिन उसके पास ज्यादा जमीन है, उसको नहीं बेचे; इस प्रकार की दृष्टि उचित नहीं है ।

अलावा इसके, उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है ? यह एक चीज़ है, मूल सिद्धांत है कि किसान का जमीन से कुछ रिश्ता है । उस चीज़ से किसान को परे हटाना चाहते हैं । इस अमेंडमेंट का मुद्दा यही है कि किसान से जमीन का रिश्ता तोड़ा जाय । जो शोषण कर रहा है उससे जमीन का रिश्ता तोड़ा जाय तो वह न्याय की बात है, लेकिन जो किसान हाथ से काश्त करता है उसको इस तरह से छोटे-छोटे कानून बनाकर जलील किया जाय । उनका जो अधिकार है उससे उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं । यह कहां का इन्साफ है ! यह वास्तव में उनके साथ इन्साफ नहीं है, गैर इन्साफ है । जिसने काश्त को बनाया, जिसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ, सन् १९५२ में अधिकार दिया उतना भी अधिकार नहीं रखना उचित नहीं है । वास्तव में डेवलपमेंट होने से, नहर आने से जो खर्चा पड़ेगा उसे खातेदार किसान देंगे । हमारी यह मंशा नहीं है कि डवेलपमेंट न किया जाय बल्कि हम तो यह चाहते हैं, सब बारानी ज़मीन को चाही बनादी जाय ताकि ज़मीन की समस्या ही हल हो जाय । किसानों को उसकी जमीन से अलग हटाने का और ज़मीन पर से उसके ममत्व को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए मैं मूल क्लॉज़ नं० ३ का विरोध कर रहा हूं । वास्तव में मूलभूत अधिकार उसका जमीन पर है वह रहना चाहिए । ५ बीघा जमीन भी वह नहीं बेच सके यह न होना चाहिये । इसलिए मैं इसका खंडन कर रहा हूं । मैं आवश्यक नहीं समझता कि जो अमेंडमेंट रखा गया है उसे पारित किया जाय इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेरी सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (सेकन्ड अमेडमेन्ट) बिल राजस्व मन्त्रीजी ने रखा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यों तो सरकार अपनी ओर से किसी प्रकार का संशोधन रखती है तो उसमें सरकारी स्तर पर कुछ सद्भावना अवश्य निहित रहती है और उसी के आधार पर वह कोई न कोई ऐसा परिवर्तन करना चाहती है । पर ऐसा है कि राजस्थान का इलाका बहुत लम्बा-चौड़ा है और उसके किस किस इलाके में किस किस प्रकार के किसान रहते हैं और उनकी क्या हालत है क्या नहीं है, जो कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं उसका असर कहां कहां पर किस प्रकार का होगा, उसमें किसानों को कुछ प्रेरणा होगी या नही,

(श्री मुरलीधर व्यास)

उत्पादन बढ़ेगा या नहीं, आम लोगों में उत्पादन के प्रति जो एक प्रेरणा चाहिए उसमें कुछ उत्साह मिलेगा या नहीं ? कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। उसके साथ-साथ जो कानून हम बनाते हैं उसकी मंशा हमेशा यह होती है कि कम से कम वह ऐसा बने जिससे सामान्य न्याय की दृष्टि से लोगों को ठीक तौर से न्याय दे सकें। कहीं कानून ऐसा न बन जाय जिससे हम कुछ लोगों को लाभ दे सकें और कुछ दूसरे लोगों के लाभ का मौका आवे तो कोई अड़चन डाल कर, विशेष बातें डालकर उनको लाभ न दिलाने का प्रयत्न करें। यदि इस प्रकार का कानून होता है तो वह कानून सब के लिये समान न्याय का नहीं होता। हम जो भी कानून भूमि सुधार का बनाना चाहते हैं वह इस प्रकार का हो कि उससे प्रोडक्शन बढ़े और सामान्य न्याय मिल सके और जो किसान हैं उनको महसूस हो सके कि मैं जमीन का मालिक हूं। अब इस संशोधन के द्वारा सरकार यह करना चाहती है कि पहले जिस प्रकार भाखरा आदि दूसरे स्थानो पर जहां प्रोजेक्ट एरिया था वहां पर जमीन को बेचने का अधिकार नहीं रखा, किसी के पास रह गया उसे मिल भी गया, अब राजस्थान नहर के अन्तर्गत जो भूमि आई है उस पर क्योंकि ठीक ढंग से लोगों को बसाना है, कुछ व्यवस्था करनी है, इस बात को लेकर सरकार ज़मीन बेचने का अधिकार किसानों को नहीं देना चाहती है। जहां तक जमीन बेचने का अधिकार है मैं सोचता हूं इस प्रकार का अधिकार देने के बाद आज का युग ऐसा है कि जिन लोगों के पास ज्यादा साधन हैं वे ज़मीन खरीद सकेंगे और राजस्थान नहर को लेकर बहुत से इलाकों में जमीन खरीदी भी गई है। सरकार ने जाहिर किया है कि जमीन खरीदना बन्द है और इस व्यवस्था को इस कानून के जरिये रखना चाहते हैं मैं जहां तक उनकी मंशा की कद्र करता हूं पर इसके साथ-साथ मैं यह सूचना चाहता हूं कि राजस्थान नहर किन-किन इलाकों में कितने समय में कहां कहां पहुँचेगी, इसका नक्शा थोड़ा साफ होना चाहिये। यदि राजस्थान नहर आज से ५० साल बाद किसी इलाके में जाती है और वहां के किसानों का भी अधिकार आप छीनना चाहते हैं, जब कि दूसरे इलाको के किसानों को जमीन बेचने का अधिकार दिया है तो स्वभावत: सामान्य न्याय नहीं होगा। आज मैं सोचता हूँ कि बीकानेर में जब कभी किसी गांव में नहर आयेगी जिसकी योजना तो बनी है, उस योजना के अनुसार राजस्थान सरकार कह दे कि २५ साल बाद पहुँचेगी तो उस इलाके के लोगों को अभी से वंचित करना उचित नहीं है। चूरू और अन्य इलाकों में खातेदारी राइट मिल गया लेकिन दूसरों को नहीं देना चाहते तो स्वभावत: चूरू ज़िले में ही एक तरफ वे लोग हैं जिनको अधिकार मिलता है और दूसरों को नहीं मिलता है तो वे लोग कहेंगे कि हमको अधिकार क्यों नहीं मिलता ? तो इस प्रकार की बात होती है और उसके साथ-साथ जो सुधार हमारे यहां होंगे उसमें जो खुदकाश्त खातेदार हैं उनको विशेष अधिकार दिये, सुविधा दी, ३० एकड़ सिंचित जमीन दी और इसके अतिरिक्त है तो बेचने की हमने सीमा निर्धारित की। इसके अतिरिक्त वहां मकान बना सकते हैं, रूरल एरिया में सुविधा

(श्री मुरलीधर व्यास)

विशेष तौर से दी है, और भी नाना प्रकार की सुविधाएं खातेदारों को दी हैं। यदि इस श्रेणी के काश्तकार नहीं देते हैं तो जो दूसरी सुविधाएं दी हैं वे उसको नहीं मिल सकतीं। आपने सीमा–निर्धारित की तो ज्यादा से ज्यादा यह अधिकार देते कि विशेष ज़मीन जोतने वाले किसान हैं। उनके लिये हम कम से कम इतनी ज़मीन उनके खुद काश्त की मानलें और उससे अधिक जमीन का सवाल है उसके बारे में सरकार अपने तरीके से कुछ विचार करेगी उसके साथ–साथ आपको यह ख्याल होना चाहिए कि जब सरकार ने स्वयं ने जमीन लोगों को देने का अधिकार रखा, अब जितनी ज़मीन राजस्थान केनाल के अन्तर्गत आती है उसको बेचने का अधिकार सरकार को होगा। अब क्या होगा कि किसान लगातार जमीन पर काश्त करता है, उसको जोतता है और कारणवश उस जमीन को नहीं ले सका और दर्ख्वास्त नहीं दी तो नतीजा यह होगा कि जमीन दूसरों को मिल जायेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार जमीन वह जोतता है और उसके बाद पटवारी से या और किसी कार्यकर्ता से वह जमीन किसी दूसरे ने मांगी तो कोई न कोई ऐसा नुक्स निकाला जायगा जिसके कारण वह जमीन उस काश्तकार के अलावा दूसरे को मिल जायेगी। तो जमीन पर जिसका मूलभूत अधिकार होना चाहिये उसको नहीं मिल सकेगा। अब भी बहुत से किसान इस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिये। मन्त्रीजी से रूणियावास के किसान मिले थे और अपनी कठिनाई बताई थी। जहां तक बेचने का सवाल है इतना ही प्रतिबन्ध हो कि ज़मीन उसको ही मिलेगी, यह सारी बात है लेकिन ये सारी बातें मौखिक हैं। कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सदियों से जो आदमी जोतते आये हैं, चाहे कुछ भी हो, राजस्थान में प्रोजेक्ट एरिया में उसको जमीन बेचने का अधिकार नहीं देते हैं, सरकार स्वयं रखती है, तो दूसरी बात क्लीयर नहीं है। आज जमीन एक आदमी को मिल सकती है, कल दूसरे को मिल सकती है। सालाना दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी। सालाना दर्ख्वास्त देनी पड़े उसके बजाय एक आदमी को तीन–चार साल के लिए दी जाती है तो कुछ व्यवस्था रहती है।

दूसरे, पूरा अधिकार मिल जाना चाहिए नहीं तो ठीक बात है कि जमीन जिसकी है उसको अधिकार मिलेगा। आगे जाकर जब नहर आयेगी तो नहर आने के बाद पहला राइट उसका रहेगा। इन चीजों के बारे में कुछ साफ नहीं है, जब तक साफ़ नहीं होता, तो जो कानून आज बन जाता है, पांच साल, १० साल में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का कौन लाभ उठायेगा, क्या परिस्थिति होगी? इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम इतना हो जाना चाहिए कि एक सीमा निर्धारित की गई है, उतनी जमीन तो किसान को मिल जानी चाहिए। ऊपर की जमीन हो सकती है, उसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से लोगों को बसाना है, उसके बारे में विचार करें। जिन लोगों ने सदियों से जमीन ले ली है, जो चाहते हैं कि जमीन के मालिक बनें, आज मौका है उनको मालिक बनाने का, उनको अधिकार देने का। उस ज़मीन को कोई न कोई लेकर दूसरे को उसके मूलभूत अधिकार से वंचित कर देता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, तो मैं समझता हूं कि जो अधिकार एक को दिया है, उससे दूसरे को वंचित कर देते हैं। मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे और अगर इसके जरिये सामान्य न्याय मिल सके और जो खुदकाश्त पर खातेदारी का लाभ दिया गया है वह भी लाभ उठा सके, तो ठीक बात है। अगर वह अधिकार नहीं मिल पाता है और वह अधिकार से वंचित रहता है तो उनके प्रति अन्याय है और इस बात को रोकना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, एक जिस बात को लेकर माननीय सदस्य, जो बीकानेर से आये हुए हैं चूरू से आये हुए हैं और चाकसू से आये हुए हैं, विरोध किया है और कहा है कि राजस्थान केनाल में खातेदारी जमीन को बेचने से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, वे स्पष्ट हैं और जिस बात को लेकर अमेंडमेंट की जरूरत हुई, वह साफ लिखी हुई है। माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान केनाल से जो पानी आयेगा, नहर आयेगी, उससे हमारे राज्य की ही नहीं, देश की अन्य समस्या हल करना चाहते हैं। उस जगह नये राजस्थान का निर्माण हुआ है वहां वेल प्लान्ड कोलोनाइज़ेशन का निर्माण करना चाहते हैं। जिन लोगों की जमीन है, उनको अधिकार दे दिया जाय तो वे उसको बेच सकते हैं और उसका रिज़ल्ट यह होगा कि वह टुकड़े टुकड़े करके बेच देगा। इसका नतीजा यह होगा कि जिस वक्त राजस्थान नहर आये तो कोलोनाइज़ेशन के लिए ज़मीन न बचे और फिर वे किसान, जिनके पास आज जमीन है, वे अपनी जमीन बेच देंगे और बाद में कहेंगे कि हम लैंडलैस हो गये हैं इसलिए जमीन दी जाय। इसलिए यह किसानों के हित को देख कर कानून रखा गया है जिससे उनकी जमीन रहे और वे लैंडलैस न बनें। इसके साथ ही राजस्थान केनाल के आने की वजह से जमीन की कीमत बढ़ गई है, जिस जमीन की तरफ कोई नहीं देखता था, आज उस जमीन की कीमत नहरी जमीन के बराबर पहुंच गई है। ऐसी हालत में लालच में आकर किसान जमीन बेच सकता है और किसान खुद लैंडलैस बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय सदस्य किसानों की तरफ से कहते हैं कि किसानों को नुकसान होगा और उनके इन्डेफीनिट राइट्स हो जायेंगे, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। यह ठीक है कि रूणियावास के किसानों को लेकर आप आये थे और कहा था कि बेचने के अधिकार से वंचित किया जाता है। हम किसानों के राइट में दखल नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए जब राजस्थान नहर की जमीन के अलॉटमेंट के रूल्स पब्लिश हो जायें तो आप देख लेंगे। भाखरा के रूल्स देखेंगे तो निश्चित् तौर से टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन दिया है। गंगानगर के रूल्स देखेंगे तो उसमें भी ऐसा किया है। यह बेसिक पॉलिसी है स्टेट की, जो जमीन को काश्त करता है, उसका पहला राइट है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए जो राजस्थान नहर के एरिया में काश्त करते हैं, जो कल्टीवेटर हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उनको प्रायोरिटी न दी जाय और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अलॉटमेंट के वक्त उनको कन्सीडर नहीं किया जाय। उनका राइट होगा। अब रहा सवाल किसी निश्चित कानून का तो मैं कहूंगा कि अलॉटमेंट के रूल्स निश्चित आपके सामने आने वाले हैं, आप देख लेंगे उसमें। मैं निवेदन करूं कि कानून में राइट्स नहीं बनाये जाते हैं, रूल्स में प्रायोरिटी फिक्स की जाती है, किन किन आदमियों पर अलॉटमेंट का कानून लागू किया जायेगा, किस किस को जमीन दी जायगी, कितनी दी जायगी। यह सही है कि किसानों की जितनी फिक्र आपको है, उतनी ही हमको भी है....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री दामोदरलाल व्यास : हम समझते हैं कि किसानों का राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम भी समझते हैं इसलिए इस एंप्रीहेन्शन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही, यह कानून लाना आवश्यकहै क्योंकि कोलोनाइज़ेशन के लिए, वेल प्लान्ड कोलोनाइज़ेशन के लिए जमीन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, किसानों के हित में रखना जरूरी है क्योंकि ऊंची कीमत देख कर वे लालच में न आ जायं, उनको जरूरत हो या उनको लालच हो और वे जमीन बेच दें और उनके पास रोजगारी के लिए कोई धन्धा न रहे। तो इस प्रकार गवर्नमेंट के सामने एक प्रोब्लम आ जायेगी क्योंकि नये लैंडलैस व्यक्ति पैदा हो जायेंगे और जिन्होंने आज जमीन बेच दी, वे ही कल जमीन के लिए खड़े हो जायेंगे। इसलिए किसानों के हित की दृष्टि से और वेलप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइज़ेशन की दृष्टि से यह उचित है कि रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय।

दूसरा पॉइन्ट है तहसीलदार के बजाय एस. डी. ओ. को पॉवर देने का। अभी तक लाइसेन्स देने की पॉवर्स तहसीलदार के पास थे, उनका मिस यूज़ हुआ और ये पॉवर्स गलत तरीके से काम में लाये गये। कई तहसीलदारों को इसके लिए सज़ा मिली है। हम चाहते हैं कि ज्यादा जिम्मेदार ऑफिसर के पास यह पॉवर रहे, इसलिए एस. डी. ओ. को रखना वाजिब समझा गया है। मैं समझता हूं कि यह........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सबके लिए नया क्यों नहीं बना देते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां राजस्थान नहर नहीं आ रही है। यह ठीक है और यह करना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (सैकिंड अमेन्डमैन्ट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री शंकरलाल।

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्लॉज़ चार में अमेंडमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

Page No.76

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मन्त्री) : उसके पहले क्लॉज़ दो और तीन पास कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लोजेज़ २ और ३ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ और ३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ४, श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर क्लॉज़ चार के अन्दर संशोधन रखा हैं। [संशोधन :– Substitute the words "Sarpanch of the Concerning Gram Panchayat" in place of "Sub Divisional Officer"] क्लॉज़ चार जो हैं, अपना जो पुराना प्रिन्सिपल एक्ट है, उसके सेक्शन ८४ के अन्तर्गत जो तहसीलदार को रिमूवल ऑफ ट्रीज़ के लिए लाइसेन्स देने का अधिकार है, उसके अन्दर एस. डी. ओ. को पॉवर्स देने का प्रावधान रखा है। मैंने यह संशोधन रखा है कि तहसीलदार, एस. डी. ओ. को पॉवर न होकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पॉवर्स होनी चाहिए। इसके अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच को पॉवर्स होनी चाहिए। जो संशोधित बिल हैं, उसमें जो एब्सट्रेक्ट है, उसमें सब क्लॉज़ पांच के अन्दर पंचायत को पॉवर्स दे रखी हैं। तहसीलदार के साथ कुछ मामलों में, जहां दरख्त काटने के लिए इजाज़त लेने का काम पड़ता है, उसमें लिखा है :

"Provided that where a tenant wants to purchase a tree for an agricultural purpose from another tenant, the Tehsildar, Naib Tehsildar or Sarpanch of the Gram Panchayat in whose Jurisdiction the tree stands may grant permission for the removal of such tree and no court-fee shall be charged by the Tehsildar."

तो यह तो पहले से ही प्रावधान रखा है, हालांकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पॉवर्स दी हैं, पंचायतों को भी पॉवर्स दी हुई हैं कि किसी काश्तकार को दरख्त काटने के लिये पर्मिशन दे....

(३ म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, यह धारा ८४ है पुराने एक्ट की इसके सब क्लॉज़ (५) और (६) हैं, (५) में ग्राम पंचायत को पॉवर्स हैं। सब क्लॉज़(६)में पहले तहसीलदार का पॉवर है, वह यह है : " (6) Upon receipt of an application under sub-section (5) the Tehsildar may after making such inquiry as may be necessary in the prescribed manner and taking it to consideration the prescribed matters, grant the requisite licence in the prescribed form on payment of the prescribed fee, subject to such terms and conditions and restrictions as may be prescribed." तो दरख्तों को काटने के मामले में एक जगह तो सरपंच को पॉवर्स दे रखी हैं, दूसरे में तहसीलदारों को पॉवर्स दे

(श्री शंकरलाल)

रखी हैं, वहां एस. डी. एम. को लाना चाहते हैं। सभापति महोदय, यह वृक्षों को काटने का, रिमूव करने का कानून है, यह ऐसा साधारण होना चाहिये क्योंकि वृक्षों का सम्बन्ध अधिकतर ग्रामीण जनता से, अधिकतर किसानों से और साधारण लोगों से है। तो एक तरफ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के ज़रिये ग्राम पंचायतों को पॉवर्स दे रखी हैं तो उस ग्राम में वृक्ष हैं तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत लाइसेंस दे, तो तहसीलदार की जगह एस. डी. एम. लाना चाहते हैं उसकी जगह ग्राम पंचायत शब्द लाया जाय। तहसीलदार से हटा कर ग्राम पंचायत को यह पॉवर दें तो हमारे ध्येय की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से और ग्रामीण जनता को सुविधा देने की दृष्टि से यह ठीक होगा। मैं समझता हूं, राजस्व मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि वे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बड़े प्रेमी और हामी हैं....

(हंसी)

(३.२ म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्लॉज़ ८४ टिनेन्सी एक्ट में संशोधन आया है। उसके सब–क्लॉज़ (१) में लैंड होल्डर को पॉवर्स हैं कि अपनी कृषि की जरूरतों को, डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिये पेड़ काट सकता है। नं० २ में खातेदार को पॉवर्स हैं कि वह अपने पर्पज़ के लिये कृषि की जरूरियात को पूरा करने के लिये दरख्त काट सकता है, नं० ३ में है कि गैर खातेदार को जरूरत हो तो वह खातेदार की पर्मिशन से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये पेड़ काट सकता है और नं० ४ में है कि सब–टिनेन्ट भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये दरख्त काट सकता है। तो खातेदार, गैर खातेदार, सब टिनेन्ट्स और लैंड होल्डर्स को अपनी जरूरत के लिये दरख्त काटने का अधिकार है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जनरल लाइसेंस में, जनरल लाइसेंस का मतलब यह है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिये बेचता है, यह कह कर बेचता है कि इन्टेन्सिव कल्टिवेशन के पर्पज़ के लिये, दरख्तों के कारण खेती ठीक नहीं हो रही है, यह कह कर बेचता है। इस तरह जनरल लाइसेंस देने की पॉवर्स पहले तहसीलदार के पास थीं, उन पॉवर्स को अब एस. डी. एम. के पास रखते हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने इन पॉवर्स के मिसयूज़ के लिये कई तहसीलदारों को सज़ाएं दी हैं, पर चूंकि उनको पॉवर्स थे, उन्होंने इस प्रोविज़न का फायदा उठा कर इस तरह के जनरल लाइसेंस देकर जंगल के जंगल कटवा दिये हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्लॉज़ ५ पढ़ तो लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : हां पढ़ता हूँ: "Any person desiring to remove, otherwise than in accordance with the foregoing sub-sections any trees which vest in him or are his property or are in his possession may do so under a licence to be granted on application by the Tehsildar;" अब इस जगह तहसीलदार की बजाय एस. डी. एम. रखना चाहते हैं। अपनी खुद की जरूरत के लिये यदि कोई काटना चाहे तो उसको कोई इजाज़त की जरूरत नहीं....It is not for his dome-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

stic purposes. इसके बाद इसका प्रोविज़न है कि किसी काश्तकार से दूसरा काश्तकार अपनी जरूरत के लिये दरख्त खरीदता है तो परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं । इसमें डरने की कोई बात नहीं है । ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिये कि गैर ज़िम्मेदारी से कोई न काटे, और ज्यादा जिम्मेदार अफसर के पास यह अधिकार रखना चाहते हैं । किसान गाड़ी बनाये, या अपने और काम में लाये, जिस काम के लिये उसे जरूरत है तो उसको किसी प्रकार के लाइसेंस की, परमिशन की जरूरत नहीं है । एक किसान की जमीन में यदि पेड़ नहीं हैं तो वह दूसरे किसान से खरीद सकता है । हम तो रेस्ट्रिक्शन उस केस में लगाना चाहते हैं कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यदि कोई किसान दरख्तों को बेचता है तो ऐसा करना देश के हित में होगा कि इस तरह का लाइसेन्स एस.डी.एम. दे, डिसाइड करे ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : जो संशोधन श्री शंकरलाल जी ने रखा है मैं उसके पक्ष में तो नहीं हूं, बिल्कुल विपक्ष में हूं, साथ ही साथ सरकार ने जो रखा है उसका विरोधी हूं । मैं कहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल की आवश्यकता ही नहीं है, इसको हटा दिया जाय ...

श्री सभापति : Can you challenge it at this stage? There is no amendment on this point.

श्री मोतीलाल : A member can give his point.

श्री सभापति : No doubt you can challenge the whole Bill, but you cannot challenge one particular clause unless there is such an amendment.

श्री मोतीलाल : I am not challenging that. I am merely requesting the Government that it is completely un-necessary.

श्री सभापति : I am sure the Hon'ble Member shall not go beyond the scope with regard to it. If he wants to participate in the debate, he will speak over the amendment.

श्री मोतीलाल : Sir, for the purpose for which the Government has moved this amendment I will speak on that purpose.

श्री सभापति : For that you can speak in the third reading.

श्री मोतीलाल : As I have already submitted I am speaking against the amendment.

श्री सभापति : You can speak on the amendment and oppose it. But you cannot oppose the original clause.

श्री मोतीलाल : I am opposing the intention of the Government; why they require the amendment in the clause. So I am requesting the Government that the intention of the Government is not correct.

श्री सभापति : Under what rule?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : Under fundamental rules.

(हंसी)

श्री मोतीलाल : I think, Sir, that whatever amendment is moved it is with some intention and the House has every right to discuss that intention and objective.

श्री सभापति : Please tisten to me. As a matter of fact this right could have been exercised at the time of first reading. Now you will again get the chance in third reading.

श्री मोतीलाल : All right, Sir. I will speak only against the amendment on the clause.

श्री मोतीलाल : अमेंडमेंट जो पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाली से नहीं रायपुर से ।

(हंसी)

श्री मोतीलाल : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि सब क्लॉज़ (५)व(६) के अन्दर तहसीलदार की जगह जो अमेन्डमेन्ट सरकार द्वारा रखा, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट रखा है, उसकी जगह ग्राम पंचायत रखा जाय इसका मैं विरोध करता हूं, कि हरे दरख्तों को काटने का अधिकार दिया गया है ।

श्री सभापति : Wait a bit please. We are short of quorum,

(गणपूर्वक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री मोतीलाल : मिस्टर चेअरमैन, सेक्शन ८४ की, सब-सेक्शन (१), (२), (३) और (४) में लैंड होल्डर,खातेदार, गैर खातेदार और सब-टिनेन्ट को अधिकार दिया हुआ है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ काट सकता है । इसके बाद सब-सेक्शन (५) में बताया है कि यदि वह इन चार स्थितियों के अलावा और स्थिति में जरूरत हो तो तहसीलदार की इजाज़त से दरख्त काट सकता है जैसा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि तहसीलदार के पास यह अधिकार रहने से मिसयूज़ हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि मिसयूज़ हुआ है तो उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिये था पर उन्होंने नहीं कहा कि क्या एक्शन लिया है ? फिर तसीलदार के स्टेन्डर्ड का ऑफिसर मिसयूज करता है तो हमें सोचना चाहिये कि सब-क्लॉज़ (५) और (६) में दी हुई जरूरतों के अतिरिक्त जरूरत है, लाइसेन्स लेने की जरूरत है तो वहां सरपंच को अधिकार दें क्या ? हरी लकड़ी न काटी जाय यह हमारा लक्ष्य है, इसको कड़ा से कड़ा प्रतिबन्ध लगा कर रोका जाना आवश्यक है । हालांकि इस पर मेरा कोई संशोधन नहीं है फिर भी मैं यह सुझाव रखूंगा कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कलेक्टर को कर दें तो उचित होगा ।

मेरे ज़िले का उदाहरण दूं । हज़ारों हरे पेड़ काट काट कर जो मेन रेलवे लाइन है, जयपुर-जोधपुर लाइन है, उस पर स्टॉल हैं, उनमें पटक रखा है । गवर्नमेंट के पास शिकायत की गई कि हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, माननीय राजस्व मन्त्री जी को स्वयं को कटा हुआ एक हरा पेड़, गाड़ी में लदा हुआ बता दिया, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है । तीन-चार दिन पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में गया तो वहां लोगों की

Page No.80

(श्री मोतीलाल)

मांग है, जिस प्रकार मृत्युभोज को बन्द करने की आम लोगों की मांग थी, उसी प्रकार इन हरे दरख्तों को न काटने के लिए भी आम लोगों की मांग है । हरे दरख्तों के काटने को मृत्युभोज से भी खतरनाक माना है । तो मैं निवेदन करूंगा कि थर्ड रीडिंग के समय माननीय राजस्व मंत्रीजी अपनी तरफ से अमेंडमेंट मूव करेंगे कि ऊपर बताई गई चार केटेगरीज़ के अलावा किसी भी सूरत में हरे दरख्त को काटने की इजाजत नहीं दी जायेगी । माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत हाउस से और सरकार से निवेदन करूंगा कि लकड़ी का काटना बिलकुल बन्द कर दिया जाय, हरी लकड़ी काटने वालों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय; जो हरी लकड़ी काटता है, बेचता है, व्यापार करता है तो इन लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिये । ऐसा न करके यदि तहसीलदार की जगह एस. डी. एम. कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है । मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि तहसीलदार और एस. डी. ओ. में कोई डिफरेंस नहीं है । जहां तक हो सके कलेक्टर को ही यह पॉवर्स दिये जायं ।

जहां तक भाई शंकरलालजी ने संशोधन रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि जनता के हित में, राष्ट्र के हित में और स्टेट के हित में यह उचित होगा कि हरे वृक्षों को नहीं काटा जाय । इससे राष्ट्र को और जमीन की उर्वरता को फायदा है । किसी खेत में खेजड़ी का पेड़ है, उस खेत का मालिक उस खेजड़ी के लूंग पत्ते से उस खेत की लैंड रेवेन्यू चुका सकता है । बिना गोबर-खाद दिये बाजरे की पैदा डबल होगी ।

तो मैं माननीय शंकरलालजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लें और सरकार से निवेदन करूंगा कि हरी लकड़ी काटने पर व इसका व्यापार करने पर कन्ट्रोल कर दें ।

श्री नाथूलाल करौल (लालसोट-सु) : सभापति महोदय, माननीय शंकरलालजी ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । धारा ८४ की उपधारा (५) और (६) में दरख्तों को काटने का, लाइसेन्स देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे देना चाहिये, यह बिलकुल ठीक है । डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यदि यह अधिकार कलेक्टर को दे दिया जाय तो ठीक है । मैं निवेदन करूं कि यदि हम जनरल लाइसेन्स के लिये एप्लीकेशन कलेक्टर के पास देंगे तो कलेक्टर को तो वहां की सारी स्थिति मालूम नहीं, वह तो पटवारी से लेकर तहसीलदार तक छानबीन करेगा ।

अगर किसी काश्तकार के खेत में १०० पेड़ खड़े हैं, उनके कारण काश्त नहीं हो रही है तो वह कलेक्टर के पास जायगा, तो उसको कितनी दिक्कत उठानी पड़ेगी कि कब वे १०० पेड़ काटने की उसको इजाज़त मिले और कब वह उस खेत में काश्त करे । डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि खेजड़ी के लूंग को काट कर गर्मी में रख लेते हैं । तो अकाल में फायदेमन्द होता है और उसी प्रकार जैसे आपके यहां लूंग फायदेमन्द होता है वैसे ही हमारे यहां है । लेकिन जिस खेत में पेड़ सबसे ज्यादा खड़े हो जावेंगे उसमें काश्त नहीं हो सकती है । हम हाथ से हल चला कर खेती करने वाले

Page No.81

(श्री नाथूलाल करौल)

हैं, वहां खेती नहीं हो सकती है यह हमें मालूम है। इसलिए निवेदन करूंगा कि (५), (६) पर जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा उसको स्वीकार किया जाय और ग्राम पंचायत को इसके पॉवर्स दे दिये जायं।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय चेयरमैन महोदय, दरख्तों के सिलसिले में, खेती के सिलसिले में या फरोख्तगी के सिलसिले में सवाल है उसमें, टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट में, क्लॉज़ दिया गया है उसके विरोध में मेरे माननीय साथी श्री शंकरलालजी ने एक संशोधन रखा है कि एस० डी० ओ० को नहीं, किन्तु ग्राम पंचायत के सरपंच को दरख्वास्त देने पर यह इजाजत ले-ली जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में किसान का और दरख्तों का नजदीक का सम्बन्ध है। यह उसी तरह से है कि जैसे किसान के लिए जितनी जमीन आवश्यक है, उतने ही जरूरी उसके लिए दरख्त भी हैं और इसमें किसी की दो राय हो नहीं सकती। एक मेरे माननीय साथी की ओर से कहा गया कि ज्यादा दरख्त हो जाने से काश्त में बाधा आ सकती है। ज्यादा दरख्त ऊट पटांग तरीके से जमीन में हो जांय उनको साफ किये बिना हल चलाना मुश्किल हो जायेगा। लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी सही है कि दरख्त से खाद भी मिलता है। बारानी का जहां सवाल है खेजड़ों के जहां दरख्त हैं, या उसी जैसी पत्ती वाले दरख्त होते हैं जिनको जयपुर में किसी ओर आम बोलते हैं, उससे जो लौंग होती है उससे खाद मिलता है। खेजड़ा खड़ा रहे, लौंग गिरता रहे, तो किसान जो हैं वे जानते हैं कि इससे डबल अनाज होता है। कई दरख्त ऐसे होते हैं कि जिनको हटा दिया जाना आवश्यक होता है उनको हटा दिया जाय, कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जिनसे ज़मीन को खाद मिलती रहती है और जिनसे दुगुनी काश्त होती है तो वे रखे जाते हैं। इस दृष्टि से कि उनका प्रोटेक्शन करना है हरियाली ज्यादा होने से भी वर्षा जल्दी आती है। दरख्तों का किसानों से सम्बन्ध है, जो काटे जाने लायक है उनको काटा जाना चाहिये इसमें किसी की भी दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जहां दरख्त बचाने की आवश्यकता पड़ जाय, बारानी में अकाल पड़ जाय, वहां किस दरख्त को बचाने की आवश्यकता है ? एक ऊब खूब होता है, आधा सूख जाय, वह इस काबिल नहीं रहता है कि खाद दे सके, हालांकि उसने जमीन को खूब खाद दिया था, लेकिन उसको काट देने की आवश्यकता रहती है। किसान उसको बेच नहीं देगा तो फिर क्या करेगा उसका ? इसलिए उसके लिए वह इजाज़त लेगा। वह सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के पास जावेगा। जैसे मेरे एक साथी ने बताया कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, तहसीलदार, तहसीलदार गिरदावर से पूछेगा और गिरदावर पटवारी से पूछेगा कि इसको काटा जाय या नहीं, कोई हर्ज तो नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : There is no quorum please.

श्री मोहरसिंह : इसका यह सबूत है कि किसानों के कानून के सम्बन्ध में कितनी

(श्री मोहरसिंह)

सहानुभूति है। तीन दफा कोरम के लिए घंटी बजानी पड़ती है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस सूरत में दरख्त हटा देना निहायत जरूरी हो जावेगा। वह एस० डी० ओ० के पास आकर दर्ख्वास्त देता है, वह हैडक्वार्टर पर हो या नहीं हो, उसको दुबारा जाकर परेशान होना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यदि किसान को दरख्त काट कर बेचना हो तो वह ग्राम पंचायत के सरपंच से इजाज़त ले ले। शंकरलालजी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने क्लेरिफिकेशन्स के सिलसिले में इस धारा से क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे यह माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा। जिन जरूरत-मन्द खेती करने वालों को, चाहे वह खातेदार हो, खुद काश्तकार हो, गैर खातेदार हो, टिनेन्ट हो या सब टिनेन्ट हो, उनको खेती--बाड़ी या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इजाज़त या पर्मिशन लेने की आवश्यकता हो तो वे ऐसा कर सकते हैं। क्लॉज ५ है उसमें ऐसा है कि वे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन है, खातेदारी में या खुद काश्त में, कुछ सीलिंग से ज्यादा ज़मीन हो, बड़ा एरिया हो और उनको यह लालच हो कि खड़े हुए दरख्तों को बेच कर पैसा बना लेना चाहिये और इस तरह से लोग समझते हैं कि दरख्तों को लाइसेन्स लेकर काट लिया जाय....

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सीलिंग एरिया की मिकदार बांध लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बंधी हुई है लेकिन ऐसे मामले आये हैं कि तहसीलदार लाइसेन्स दे देता है और जस्टीफाइड समझ कर दे देता है। इस तरह से हज़ारों पेड़ कटवा दिये गये। आप लोग ही चिल्लाये कि इतने दरख्त काट लिये, मवेशी चरते हैं, दिक्कत होती है, जब मैं फोरेस्ट का काम देखता था, लोगों ने हल्ला किया कि इतनी ज़मीन सीलिंग के डर से बेच रहे हैं और दरख्त काटे जा रहे हैं और तहसीलदारों ने लाइसेन्स दिये। जिम्मेदारी के साथ जैसा उनको करना चाहिये था वैसा उन्होंने काम नहीं किया। तहसीलदारों से यह बाहर की जिम्मेदारी रखना इसके लिए तय किया गया।

पंचायत के क्या फन्क्शन्स हैं और क्या यूज़ हो सकता है यह आगे के क्लॉज़ में दिया हुआ है। आपने कहा कि कलेक्टर को जरूर देना चाहिये, नहीं तो लोग अनअधिकृत रूप से दरख्तों को काटेंगे। मोतीलालजी ने जो कहा है वह लाइसेन्स की समस्या नहीं है। रातों रात मर्जी से ही काश्तकार काट कर ले आता है। उसको किस तरह से रोका जा सकता है? इसलिए जो संशोधन रखा गया है वह न तो वाजिब है और न उधर से रखा है, वह समस्या का सोल्यूशन है। इसमें सोच विचार कर वाजिब जरूरत हो लाइसेन्स देने की, तो लाइसेन्स दिया जाना चाहिये। इसलिए यह क्लॉज़ जैसा है वैसा ही रहना चाहिये। जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है मैं आशा करता हूं कि वे उसको विड्रॉ कर लेंगे।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, जैसे तहसीलदार ने लाइसेन्स देने में गलती की है तो एस० डी० ओ० को पॉवर्स देने से क्या होगा यह तो भविष्य ही बतायेगा।

श्री सभापति (अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : डिस्कशन तो नहीं। खैर। मैं इसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४,५ और ६ स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ४,५ और ६ विधेयकके अंग बनें गये। (विराम)

क्लॉज़ ७, श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे इस क्लॉज में दो संशोधन थे एक संशोधन जो है वह क्लॉज़ ४ से संबन्धित था जो कि हमने पास कर लिया है वैसी हालत में वह संशोधन पेश नहीं करता हुआ द्वितीय संशोधन ही सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा "In part (ii) in column 4 of the new S. No. 48 (2) substitute the words 'one year' for the words 'three years'.

श्री सभापति : You don't want to move part (i) ?

श्री शंकरलाल : वह क्लॉज़ ४ से संबन्धित था अतः उसको मूव करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पार्ट दो का संशोधन मूव कर रहा हूं। पुराने एक्ट की धारा १०२ है वह इस प्रकार है : "102. Recovery of amount realised in excess.— If a landholder realises any rent in excess of the maximum rent prescribed under section 97, read with sections 98, 99 and 100, such excess shall be recoverable from such landholder as an arrear of land revenue on an application being made by the tenant to the Tehsildar in this behalf within one year of of such realisation"

तो यह १०२ धारा थी उस काश्तकार के लिये जिससे लैन्ड होल्डर जो है उसने ज्यादा लगान वसूल कर ली एक साल में दरख्वास्त देकर ज्यादा लगान जो वसूल कर लिया गया है वह ले ले, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है "S. No. 48 shall be renumbered as 48 (i)" इससे मैं सहमत हूं। नया सीरियल नम्बर एड किया गया जिसका धारा १०२ से सम्बन्ध नहीं था। वह तो केवल ज्यादा लगान किसी लैंड होल्डर ने ले लिया उसके लिये था। सीरियल नम्बर ४८ का जो सेकन्ड पार्ट है, दरख्त काट लेने पर सजा देने के लिये है, उसके लिये दरख्वास्त

(श्री शंकरलाल)

करने का समय ३ साल का रखा है। उसके लिए धारा ८६ जो है वह इस प्रकार है :

"86. Penalties for unlawful removal.-Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable—

(a) in the case of a first contravention—

(i) where a tree has been removed, with fine which may extend to one hundred rupees for each tree that has been removed, and (ii) in other cases, with fine which may extend to one hundred rupees," यह जो धारा ८६ पुराने एक्ट की है उसमें शिड्यूल नहीं था इसलिए जोड़ा गया है। पेनल्टी और दूसरा शिड्यूल तो ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन टू रिमूव, इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन थ्री ईयर्स रखा है। उस तीन साल की जगह मैंने एक साल का संशोधन रखा है। एक आदमी दरख्त काट लेता है उसके लिए शिकायत करने का समय रखा है तीन साल का। तीन साल के अन्दर तो वह दरख्त किसी के दरवाजे की शोभा बढ़ायेगा, खिड़की की शोभा बढ़ायेगा या किसी अरठ में काम आयेगा, तीन साल में तो उस दरख्त का क्या क्या हो जायेगा ? तीन साल के अन्दर दरख्वास्त दी जाती है तो वह कोमन सेन्स और लॉ की दृष्टि से भी ठीक नहीं होता। इसके लिये मेरा संशोधन है उसमें एक साल काफी है। तीन साल के बाद तो किसी को फंसाने के लिए भी दरख्वास्त हो सकती है। इसके लिये एक साल का पीरियड ठीक रहेगा

"In part (ii) in column 4 of the new S. No. 48 (2) substitute the words 'one year' for the words 'three years'."

यह मेरा संशोधन है, राजस्वमंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देख लेते तो उनको यह गलतफहमी नहीं रह सकती थी। इसमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तीन साल का समय जो रखा गया है वह ठीक है, शिड्यूल में अमेंडमेंट ठीक नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, हालांकि राजस्व मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं होता, फिर भी मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री सभापति : जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय, क्या यह सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ को विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेंसी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी(द्वितीय संशोधन,विधेयक, १९६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० पारित किया गया।

३. ३६ म. प.

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १३५९
(विचारार्थ एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५९, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, हाउस, मैं समझता हूं, इस बिल पर वाद–विवाद करने के लिये तैयार होकर नहीं आया है अतः इसे कल लिया जाय।

श्री सभापति : I think the Bill was circulated.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Mr. Chairman, the Bill is in consideration stage now. When the Bill was moved there was no quorum.

श्री सभापति : No snch objection was raised at that time.

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५९, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

Page No.86

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान लैंड एक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १६५६ पारित किया गया ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३ बज कर ३८ मिनट पर दिनांक ३ मार्च, १६६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, २ मार्च, १६६०)

स्कम्भ स्कम्भ

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६२६

राजस्थान नहर योजना से नोहर तहसील में सिंचन कार्य।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में निर्मित औषधियों की खरीद।

इन्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मांगों पर कार्यवाही।

उनियारा म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा कस्बे में सड़क निर्माण हेतु प्रदत्त धन–राशि में से किया गया खर्चा।

नोहर की डिस्पेन्सरी का अस्पताल में परिवर्तन।

टौंक जिले में प्रसूति–गृह खोलना।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मदनगंज के वैद्यों का बारबार स्थानान्तरण।

भरतपुर जिले में टूटे हुए बांधों की मरम्मत व नवीन बांधों का निर्माण।

एन. इ. एस ब्लॉक्स।

लालसोट कस्बे में 'ए' श्रेणी के अस्पताल तथा शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना।

तहसील सहाड़ा के मौजा सरगांव में गौवाऊ तालाब की वृद्धि के कारण भर जाने वाले पानी को नियन्त्रित करना।

दौसा अस्पताल में मकानात, डाक्टरों, नर्सों व बिजली के इलाज की व्यवस्था।

गालब बांध, उनियारा।

नगर विकास मन्डल, जयपुर द्वारा दलित वर्ग के लोगों को मकान निर्माण हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट।

नाजायज़ तौर पर भाखरा नहर को काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही।

रतनगढ़ नगर पालिका में हुए गबन व अवैधानिक कार्यों की शिकायतें।

वैक्सिनेटर्स नियुक्त करने के नियम।

कृषि विभाग द्वारा बीज रूप में प्रदत्त गेहूं का श्री कल्याणमल सोमाणी द्वारा दुरुपयोग।

झुंझुनूं जिले में काश्तकारों को ट्रेक्टरों की खरीद हेतु प्रदत्त ऋण।

जयपुर जिला बोर्ड के हिसाब की जांच।

Page No.88

स्कम्भ स्कम्भ

पंचायत समिति रायपुर के प्रधान के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही।

प्रान्त के प्राकृतिक चिकित्सालय।

विकास कार्यों में रुरल नायर्स के व्यक्तियों की नियुक्ति।

राजसमन्द सब-डिविजन की खारी बांध योजना में प्रगति।

अनियमितताओं के कारण भूतपूर्व अधीक्षक, कैटल ब्रीडिंग फार्म के विरुद्ध कार्यवाही।

ग्राम हरिपुर (थाना गाजी) में प्लान्टेशन का कार्य।

पुरः स्थापित किया गया विधेयक १०३६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि-अवाप्ति) विधेयक, १६६०, को पुरः स्थापित किया।

विचारार्थ लिये गये विधेयक १११५

निम्नांकित विधेयक विचारार्थ लिये जाकर सदन द्वारा पारित भी किये गये:—

(१) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १६६०।

(२) राजस्थान भू-धारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६०।

(३) राजस्थान भूमि-अर्जन (संशोधन) विधेयक, १६५६।

गुरुवार ३ मार्च, १६६० की कार्य-सूची

१. राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श एवं पारण)।

२. राजस्थान बीज तथा बीज पौध विधेयक, १६५८

(विचार विमर्श एवं पारण).

३. राजस्थान आर्मड कॉन्सटेबुलरी (संशोधन) विधेयक, १६५८.

(विचार विमर्श एवं पारण)

४. राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १६५६

(विचार विमर्श)

————

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४ का उत्तर देखिये)

सूची

१. मेसर्स मूंगाराम रामचन्द्र, भरतपुर
२. मेसर्स देश रक्षक औषधालय, कनखल
३. मेसर्स दामोदरदास रामचरणदास, जयपुर
४. मेसर्स पुष्करणा आयुर्वेदिक फार्मेसी, देहली
५. मेसर्स कृष्णा फार्मेसी, अमृतसर
६. मेसर्स चुन्नीलाल कल्याण वर्कस, जयपुर
७. मेसर्स भारत किराना कम्पनी, देहली
८. मेसर्स गुलामअली कादिरअली, उदयपुर
९. मेसर्स मोहम्मद हुसेन बाटलीवाल, उदयपुर
१०. मेसर्स किशोरीलाल अग्रवाल, भरतपुर
११. मेसर्स केशरलाल अत्तार, जयपुर
१२. मेसर्स गैंदीलाल रूपनारायण, जयपुर
१३. मेसर्स फूलचन्द गंगाराम, जयपुर
१४. मेसर्स देवीसहाय प्रभुदयाल, देहली
१५. मेसर्स सेवाराम फोफलिया, जोधपुर
१६. मेसर्स गोकलचन्द पुणमचन्द, जोधपुर

सूची

१. मेसर्स गैंदीलाल रूपनारायण, जयपुर
२. मेसर्स चुन्नीलाल कल्याण वर्क्स, जयपुर
३. मेसर्स पुष्करणा आयुर्वेदिक फार्मेसी, देहली
४. मेसर्स गोकलचन्द पूणमचन्द, जोधपुर
५. मेसर्स दामोदरदास रामकुरणदास, जयपुर
६. मेसर्स मोहम्मद हुसेन बाटलीवाला, उदयपुर
७. मेसर्स सेवाराम फोफलिया, जोधपुर
८. मेसर्स किशोरीलाल अग्रवाल, भरतपुर
९. मेसर्स मूंगाराम रामचन्द्र, भरतपुर

रिवाईज्ड टेन्डर सन् १९५८–५९ : अनुच्छेद (अ)

मेसर्स सेफी ट्रेडिंग कम्पनी, उदयपुर से खरीदी जानेवाली औषधियों की सूची :

संख्या	टेन्डर नं०	नाम औषधि	तोल	दर नये पैसों में	कीमत नये रुपय, पैसों में
१.	५	अकलकरा	१७॥ सेर	२४.०० रु० सेर	२४५.००
२.	११	अडूसा नया	७ मन	११.०० मन	७७.००
३.	१६	असगंध	३। मन	.९७ न० पै० सेर	१२६.१०
४.	२३	अमलवेत	४॥ मन	१.६२ ,,	२९१.६०
५.	५५	कटेरी बड़ी	४ मन	.३६ ,,	५७.६०
६.	६३	रायफल	१। मन	.६० ,,	३०.००
७.	६७	खस	२ मन, २॥ सेर	.७० ,,	५७.७५
८.	७२	गिलअरमनी	१० सेर	.४५ ,,	४.५०
९.	८६	गौंद बबूल	२० सेर	३.१९ ,,	६३.८०

१	२	३	४	५	६
१०.	८७	गोदन्ती हरताल	१५ मन	.७२ न० पै० सेर	४३२.००
११.	६७	चव्य	१ मन, २५ सेर	१.६४ ,,	१०६.६०
१२.	६६	चाय के फूल	३ मन	.४६ ,,	५८.८०
१३.	११०	नीम्बू सत्त	२५० पौं०	३.६४ पौं०	६८५.००
१४.	११७	नाग शीशा	१७॥ सेर	१.६२ सेर	२८.३५
१५.	१२४	पाठ	२५ सेर	.३७ ,,	६.२५
१६.	१३२	पृष्ठ परणी	१० सेर	.५३ ,,	५.३०
१७.	१४०	पीपल छाल	१० सेर	.४४ ,,	४.४०
१८.	१४७	बहड़ की मीगी	२ सेर	२.७५ ,,	५.५०
१९.	१५४	बाय बिडग	३॥ मन	.६२ ,,	१२८.८०
२०.	१६५	भारगी	१। मन	.३४ ,,	१७.००
२१.	१७०	मकोय	२ मन	१.६४ ,,	१५५.२०
२२.	१७४	मोमपीला	२ मन	१.३७ ,,	१०६.६०

१	२	३	४	५	६
२३.	१७५	मुलेहटी	८॥ मन	१.२४ सेर	४२१.६०
२४.	१६२	राल	१। मन	२.२४ ,,	११२.००
२५.	१६५	रेणु का बीज	॥ मन	.२४ ,,	४.८०
२६.	१६६	रेवत चीनी	१० सेर	१.३६ ,,	१३.६०
२७.	२०६	शिलारस	२२॥ सेर	४.१६ ,,	६४.२७
२८.	२०६	सीप मोती बड़ी	६॥ मन	६.२५ ,,	३,५१५.००
२६.	२२४	सहीजना छाल	१० सेर	.३० ,,	३.००
३०.	२३४	सरसों पीली	१२॥ सेर	.७२ ,,	६.००
३१.	२४३	कौंच बीज़	३० सेर	.८४ ,,	२५.२०
३२.	२६५	खड़िया मिट्टी	२ मन	.२४ ,,	१६.२०
३३.	२८०	जवाहर्ड	४ मन	.६० न०पै०	६६.००
३४.	२८१	तगर	१५ सेर	१.८७ न० पै०, सेर	२८.०५
३५.	२८८	तालमखाना	१५ सेर	१.३७ ,,	६१.६५

१	२	३	४	५	६
३६.	२६४	दालचीनी	४॥ मन	१२.४४ न० पै० सेर	२,२३६.२०
३७.	२६५	दानेदार शक्कर	४७॥ मन	१.०० ,,	१,६००.००
३८.	३०१	हिंगुल हंसनाद	६ मन	१३३.०० ,,	४४,२८०.००
३९.	३०२	हल्दी	२॥ मन	.६० ,,	६०.००
४०.	३०५	हर्ड छाल बिना गुठली	२६॥ मन	.२४ ,,	२५४.००
४१.	३०७	हरताल वर्की	१ मन, ३५ सेर	४८ रु० सेर	३,६००.००
४२.	३११	समुद्र नमक	५ मन	२४ ,,	४८.००
				योग:—	५६,७८४.१२

Page No.94

आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

अनुच्छेद 'ब'

वर्ष सन् १६५८—५६ के रिवाईज्ड टेण्डर तथा पूर्व के टेण्डर के आईटम्स की न्यूनतम दरों की तुलनात्मक तालिका

क्रम सं०	नाम औषधि	पूर्व की दर रु० आ० पा० प्रति सेर	संशोधित दर रु० नये पैसे प्रति सेर
१.	आंवलासार गंधक	१— ७—०	१.६२
२.	ईसबगोल भूसी	२—१२—०	२.६२
३.	कटेरी छोटी	०— ६—०	०.३७
४.	खूब कला	१—१२—०	३.५०
५.	गावजवा	१— ६—६	१.७५
६.	चपड़ी लाल	०—१३—०	०.६४
७.	नीम छाल	०— ३—६	०.२५
८.	पठोल पत्र	०— ६—६	०.४४
९.	बापची बड़ी	०— ४—६	०.३४
१०.	भांगरा हरा	०— ४—०	०.३१
११.	मुन्नका पेटी का नया	२—११—०	३.२५
१२.	यशद अशुद्ध	१— ६—०	१.५०
१३.	सनाय	०—१०—०	०.७४
१४.	सहदेवी	०—१४—०	१.५०
१५.	कवाबचीनी	१०—१२—०	११.५०
१६.	जायफल	४३— ०—०	७३.००
१७.	जटामासी	२— २—०	२.३४
१८.	तेल सरसों	१—१०—०	१.७५
१९.	हींग हीरा	१८— ०—०	२५.००

Page No.95

१	२	३	४
२०.	अब्रेशम	६–१०–०	१३.५०
२१.	अजवायन सत	१६–१४–० पौं	२८.००
२२.	करंज बीज	०–१०–० सेर	०.७४
२३.	कूठ	०–१२–०	०.७५
२४.	गुलाब फूल	२– ४–०	३.६६
२५.	गुल गावजवा	२४– ०–०	२४.००
२६.	पितपापड़ा	०– ६–०	०.४०
२७.	पुनर्नवाश्वेतमूल	०– ७–३	०.६०
२८.	बेरजा गीला	०– ७–३	०.६६
२९.	कपूर देशी	१४– ०–०	३२.५०
३०.	जमालगोटा	३– ०–०	३.२५
३१.	तज	०–१०–०	१.००
३२.	काकड़ा सींगी	२–१२–०	५.२५
३३.	मजीठ	१– ८–०	२.८७
३४.	छाड़छड़ीला	०–१०–०	०.७५
३५.	जहरमोराखताई	२– ७–३	५.००
३६.	आंवला सूखा बिना गुठली	०– ३–६	०.२३
३७.	अकीक	१– २–०	२.८१
३८.	इलायची छोटी हरी	२२–१२–०	२३.८१
३९.	पीपल छोटी बराड़ी	७– ६–५	१०.८१
४०.	पापाड़खार	०– ६–०	०.३७
४१.	मुर्दासींगी	२– १–०	२.५०
४२.	मिश्री सूखी	१– १–०	१.१६

Page No.96

१	२	३	४
४३.	लौंग	११–१२–०	२३.६४
४४.	शंख के टुकड़े	०– ८–७	०.६२
४५.	कपित्थ	०– ६–०	०.७५
४६.	कहरवा	२७– ०–० (सेर)	२४.८१ (पौं)
४७.	जीराश्वेत	२– ४–० (सेर)	३.६५ (सेर)
४८.	सौंफ	१– ६–६	१.२२
४९.	अजवाइन	०– ८–६	०.७४
५०.	अन्जीर	१–१४–०	२.४७
५१.	एरन्डमूल छाल	०–१४–०	१.३७
५२.	कत्थाश्वेत	३– ८–०	६.००
५३.	गुडब्रेली	०– ९–०	०.४९
५४.	पिन्डखजूर नया	०– ८–०	०.७५
५५.	घमासा	०– ९–०	०.५०
५६.	विधारीकन्द	०–१२–६	०.७५
५७.	कुचीला	०– ६–६	०.६२
५८	कोड़ी पीली	१– ६–६	२.००
५९.	दम्बुलअखवन	३– ०–०	३४.५०
६०.	हाऊबेर	०–१२–०	१.३१
६१.	अकलकरा	६– ०–०	१४–०–०
६२.	अडूसा नया	०– ३–६ (सेर)	११–०–०
६३.	असगंध	१– २–०	०.६७ (सेर)
६४.	अमलवेत	१– ७–३	१.६२
६५.	कटेरी बड़ी	०– ६–६	०.३६

१	२	३	४
६६.	जायफल	०– ७–६	०.६०
६७.	खशा	०–१०–०	०.७०
६८.	गिलेअरमनी	०–१०–०	०.४५
६९.	गोंद बबूल	१–१२–०	३.१९
७०.	गोदन्ती हरताल	०– ६–०	०.७२
७१.	चव्य	०–१५–०	१.६५
७२.	धाय के फूल	०– ६–०	०.४६
७३.	निम्बू सत	२– ६–० (पौं)	३.६४ (पौं)
७४.	नाग शीशा	१– ५–० (सेर)	१.६२ (सेर)
७५.	पाठ	०– ६–०	०.३७
७६.	पृष्टपरणी	०– ७–६	०.५३
७७.	पीपल छाल	०– ५–०	०.४४
७८.	बहेड़े की मींगी	१– ४–०	२.७५
७९.	बाय बिडंग	०–११–०	०.९२
८०.	भारंगी	०– ५–६	०.३४
८१.	मकोय	१–१२–०	१.९४
८२.	मोम पीला	१– ५–०	१.३७
८३.	मुलेहटी	१– ३–०	१.२४
८४.	राल	१–१०–०	२.२४
८५.	रेणु का बीज	०– ३–०	०.२४
८६.	रेवतचीनी	१– ६–०	१.३६
८७.	शिलारस	१–१२–०	४.१९
८८.	सीप मोती बड़ी	१– २–०	९.२५

Page No.98

१	२	३	४
८६.	सहीजना छाल	०– ५–६	०.३०.
९०.	सरसों पीली	०–१२–०	०.७२
९१.	कौंच बीज	०– ८–०	०.५४
९२.	खड़िया मिट्टी	०– २–०	०.२४
९३.	जवाहर्ड	०– ८–६	०.६०
९४.	तगर	१–७–७	१.८७
९५.	ताल मखाना	१– ३–६	१.३७
९६.	दालचीनी	५– २–०	१२.४४
९७.	दानेदार शक्कर	०–१४–७	१.००
९८.	हिंगुलहंसपाद	५१– ८–०	१२३.००
९९.	हल्दी	०– ९–०	०.६०
१००.	हर्ड छाल बिना गुठली	०– ३–६	०.२४
१०१.	हर्तालवर्की	३२– ०–०	४८.००
१०२.	समुद्र नमक	०– ३–६	०.२४
१०३.	अजमोदा	०– ७–०	०.५५
१०४.	गोखरू बड़ा	०–१३–११	१.०६
१०५.	नमक सांभर	०– ०–११	०.०७
१०६.	नौसादर पपड़ी	२– २–०	२.३६
१०७.	पीपरा मूल मोटा	४–१५–७	८.६४
१०८.	प्रियंगु फूल बंगाली	२– ०–०	३.५०
१०९.	पोखरमूल	३–१५–०	५.२५
११०.	बकायन छाल	०– ५–०	०.३४
१११.	बहेड़ा छाल बिना गुठली	०– ३–६	०.२५

१	२	३	४
११२.	भिलावा	०– ४–०	०.२४
११३.	मरोड़ फली	०– ५–६	०.३४
११४.	सालपर्णी	०– ६–०	०.५३
११५.	सफेद सुरमा	०– ३–०	०.२२
११६.	सींग सांभर	०– ८–०	०.६०
११७.	सप्तपर्णी	०–१०–०	०.७५
११८.	सिरस छाल	०– ६–०	०.३७
११९.	कालमेघ	०– ८–०	०.५६
१२०.	कुड़ा छाल	०– ५–६	०.३४
१२१.	जवासा	०– ६–०	०.४२
१२२.	जावित्री	४२– ०–०	७२.००
१२३.	तेजपाल	०– ७–६	०.६६
१२४.	ताम्रतार	२–१२–०	४.००
१२५.	दन्तीमूल	०–१०–०	०.७५
१२६.	कालासुरमा	२– ४–०	३.००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर देखिये)

मांग	उत्तर
१. आयुर्वेदिक परीक्षाओं की व्यवस्था के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आयुर्वेद फैकल्टी की स्थापना की जाय । जब तक यह सम्भव न हो परीक्षा व्यवस्था इन्डियन मेडिकल बोर्ड के अधिकार में दी जाय ।	१. राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फैकल्टी का आरम्भ करने और आयुर्वेद की विभागीय परीक्षाओं को लेने के लिये निरन्तर अनुरोध किया है और आवश्यक आर्थिक सहायता के लिये भी सरकार सिद्धान्ततः तैयार है परन्तु विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक फैकल्टी शुरू करने के लिये तैयार नहीं है । राज्य सरकार का विचार है कि इस ओर प्रयत्न जारी रहे और तब तक वर्तमान व्यवस्था में कोई अस्थाई परिवर्त्तन वांछनीय नहीं है ।
२. इन्डियन मेडिसिन एक्ट के उद्देश्य को तथा धाराओं को देखते हुए उक्त पद्धति का निश्चित रूप से बोर्ड ही उत्तरदायी है फिर भी अन्य बोर्ड की स्थापना करना उचित नहीं है ।	२. सरकार ने स्टेंडिंग बोर्ड की स्थापना करना भी उचित समझा इसलिये इस बोर्ड की स्थापना की गई ।
३. एक्ट की धारा २३, ४०, ४७ में बोर्ड को दिये गये अधिकारों के अनुसार छात्रवृत्ति एवं आयुर्वेद यूनानी संस्थाओं को सहायता देने के लिये उचित धनराशि प्रदान करने के लिये निवेदन किया गया था ।	३. भिन्न भिन्न स्टेडीज के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का निर्णय एक सम्मिलित राज्यस्तरीय एजूकेशन स्कॉलरशिप कमेटी करती है जिसमें डाइरेक्टर आयुर्वेद भी सदस्य हैं। देशी चिकित्सा संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड स्वीकृत नियमों के अनुसार दी जाती है । सहायता पाने वाली संस्थाओं का विभागीय निरीक्षण अनुदान के सदुपयोग का उत्तरदायित्व राजकीय विभाग पर होना आवश्यक है । दूसरे विभागों जैसे शिक्षा आदि में भी ग्रान्ट-इन-एड स्टेचुटरी

१	२
	बोर्ड्स जैसे हायर सेकन्डरी बोर्ड के बजाय विभाग द्वारा ही स्वीकृति होती है। फिर भी ग्रान्ट-इन-एड के नियमों के अनुसार इन्डियन मेडिसिन बोर्ड का उचित प्रतिनिधित्व रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।
४. बोर्ड के सचिव का पद गजटेड बनाने एवं वेतन स्तर २५० से ६०० किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया था।	४. सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।
५. शिक्षा का संचालन बोर्ड द्वारा होना चाहिये।	५. यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।
६. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, चल-चिकित्सालयों का निर्माण तथा विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन शीघ्र किया जाना चाहिये।	६. इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई मांग नहीं आई।
७. देशी चिकित्सा परिषद् के अधिवेशन के सम्बन्ध में।	७. अखिल भारतीय देशी चिकित्सा परिषद् का वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४४ का उत्तर देखिये)

सूची बंन्धातं जो भरतपुर जिले में भीषण बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण टूटे

क्रमांक	नाम बांध	नाम तहसील
१.	थाऊ बरोली	कामां
२.	पसोबा	डीग
३.	चुलेरा	,,
४.	कलावटा	कामा
५.	बालमपुरा	,,
६.	कुर्कन	नगर
७.	दौलतगढ़	भरतपुर
८.	पुरा मालोनी	रूपवास
९.	खान सुरजापुर अपर	,,
१०.	खानवां बंन्ध	,,
११.	बहनेरा	भरतपुर
१२.	लेह बन्ध	,,
१३.	दहगांव	,,
१४.	चिकसाना बन्ध	,,
१५.	स्योराना बन्ध	,,
१६.	जीवदा	बैर
१७.	जटपुरा	,,
१८.	नागला छीतरिया	बयाना

१	२	३
१६.	बिनाऊवा	रूपवास
२०.	मालोनी अपर	,,
२१.	मालोनी लोवर	,,
२२.	बरोली	,,
२३.	ठाण्डा	,,
२४.	वांसी	बैर
२५.	बूराहपुरा	नन्दवई
२६.	शेरगढ़	बयाना
२७.	मगला शेरसिंह	,,
२८.	शकरपुर	रूपवास
२९.	बारा बंदली	,,
३०.	लोवर कुर्का	,,
३१.	महलो	,,
३२.	कांदोली	,,
३३.	मुरकी बन्ध नं० १	,,
३४.	नोरवा	,,
३५.	मेरथा	,,
३६.	आर० टी० बन्ध	बाड़ी

नये बांध बनाये जाने की योजना

(क) किरावली बांध योजना (तहसील बैर) अनुमानित लागत १५,०००) रु० ।

(ख) कूकपुरा राता का खासा (तहसील धौलपुर) अनुमानित लागत, २,१२,०००)रु० ।

(ग) पापड़ा बांध का विस्तार (तहसील कामा) १,३६,०००)रु० एवं ऊंचा करना ।

(घ) गुड़ गांव केनाल (तहसील कामा) अनुमानित लागत ३०,००,०००) रु०

इसको अतिरिक्त भरतपुर फीडर पर काम चालू है और इससे लगभग १८,००० एकड़ भूमि सिंचाई होगी और १५ लाख रुपया की लागत होने की संभावना है।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING BLOCKS IN DIFFERENT SERIES.

Stage.	Series.	Tetal No. of Blocks.	Approximate peoples' participation per thousand persons.	
II Stage Blocks	1952-53	11	Rs. 14/-	Thousand.
„	1953-54	2	Rs. 18/-	„
„	1955-56	7	Rs. 13/-	„
„	1956-57	4	Rs. 11/-	„
C. D Blocks.	1956-57	4	Rs. 11/-	„
„	1957-58 (April, 57)	1	Rs. 17/-	„
„	1957-58 (Oct.,57)	12	Rs. 13/-	„
Ist Stage Blocks.	1955-56	3	Rs. 3/-	„
„	1956-57 (April)	11	Rs. 10/-	„
„	1956-57 (October)	14	Rs. 5/-	„
„	1957-58 (April)	11	Rs. 4/-	„
„	1957-58 (October)	12	Rs. 4/-	„
„	1958-59 (April)	8	Rs. 1.6/-	„
„	1958-59 (October)	9	Rs. 3/-	Hundred.
Multipurpose.	1957.	1	Rs. 3/-	Thousand.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

(१) तहसील हनुमानगढ़ (चक लुणजा, मक्कासर, डबली)

सूची

सन्	संख्या
१९५५	१०
१९५६	२
१९५७	१२
१९५८	११
१९५९	८
जोड़	४३

(२) तहसील सूरतगढ़ (चक पीलीबंगा, दुलयाना)

सन्	संख्या
१९५५	२
१९५६	-
१९५७	३
१९५८	१३
१९५९	८
जोड़	२६
कुल जोड़	६९

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर देखिये)

राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत नोहर तहसील के गांव और उनके सिंचित होनेवाले क्षेत्रों की सूची

	गांव	सिंचित होनेवाले क्षेत्र (बीघा में)
१.	रावतसर	१५,८७३
२.	भैंरूसरी	६०६
३.	खैडासुरी	६,७१७
४.	खोडा	८,२७६
५.	केसरदेसर	४,३३५
६.	कालिया खोडा	३४६
७.	हुकमपुरा	२२५
८.	कनवानी	७४३
९.	गन्धेली	७४७
१०.	सरदारपुरा	४१२
११.	थालढ़का	५६
१२.	बुघवालिया	१
१३.	चाइया	३०४

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
९८९	२	टेण्डर्स ! अनुमोदित	टेण्डर्स अनुमोदित
९९०	२	वष से	वर्ष से
९९२	अन्तिम से २	।प्रनुपस्थित)	(अनुपस्थित)
९९४	७	बोर्ड की	बोर्ड को
९९५	अन्तिम से ८	हस्तान्तरित	स्थानान्तरित
१०००	८	है वे	है वह
१००२	प्रथम	पर भ	पर भी
१००५	१२	१४६	१४९
१००७	शीर्ष	प्रश्नान्त	प्रश्नोत्तर
,,	२३	टैक्किल	टैक्निकल
१०१२	६	नहीं मिली	नहीं मिला
,,	२९	बोडीज़, के	बोडीज़ के
१०२२-२३	शीर्ष	२ मार्च,	२ मार्च, ६०.
१०२६	पंक्तिसं.३केनीचे	—	(श्री गिरधारीलाल का प्रश्न
—,,—	पंक्ति संख्याए	(श्री गिरधारीलाल का प्रश्न	संख्या १६४ नहीं लिया गया)
१०२८	७ व ८	संख्या १६४ नहीं लिया गया)	—
१०३०	अन्तिम से ४	हरिपरा	हरिपुरा
,,	५	स्यायत्त	स्वायत्त
१०३८-३९	१८	हजार। रुपये	हज़ार रुपये
१०३९	शीर्ष	२ माच	२ मार्च
१०४३	अन्तिम से २	(विचारार्थ ए	(विचारार्थ एवं
१०४४	२०	इससक्सेशन	इस सक्सेशन
,,	७	बोड का	बोर्ड का
,,	१९	इन्ट्रेस्ट	इन्टरेस्ट
,,	२१	इम्पर्शियल	इम्पार्शियल
,,	२२	चूंके	चूंकि
१०४६	४	टे तों	दे तो
,,	९	बोष्डस	बोर्ड्स
१०५०	९	बांघ कर	बांध कर
१०५१	अन्तिम से ५	भीए क	भी एक

(२)

१	२	३	४
१०५४	७	सामान	समान
१०५६	अन्तिम से २	हमपे से	हममें से
१०६८	शीर्ष	—	(श्री अनोपसिंह)
१०७१	६	करना	करना है
१०७८	११	अमेंडमेंड	अमेंडमेंट
१०८२	शीर्ष	श्र पी० के०	श्री पी० के०
१०८६	२१	में बहुत	मैं बहुत
१०६८	१२	भलै आदमी	भले आदमी
१०६६	अन्तिम से ५	वोड के	कोड के
१११६	११	त मालूम	तो मालूम
११२१	६–१०	काश्त लेकिन	काश्त की, लेकिन
,,	अन्तिम से ७	आर कहा	और कहा
११२६	प्रथम	ओर	और
११४२	६	tisten to	listen to
११४६	अन्तिम	दिद्व्रों	विद्व्रों
११५०	२३	बने गये	बने
११५४	अन्तिम से २	१३५६	१६५६
११५५	१५	No snch	No such.
११७६	सीरियलनं०२७	मगला शेरसिंह	नगला शेरसिंह
११७८	३	Tatal No	Total No.